الهندية
١٦٧

يا باغي الخير أقبل

सत्य धर्म

लेखक
शैख़ अब्दुर्रहमान बिन हम्माद अल-उमर

अनुवादक
रज़ाउर्रहमान अंसारी

دين الحق

إعداد
الشيخ عبدالرحن بن حماد العمر

ترجمة إلى اللغة الهندية
رضاء الرحمن أنصاري



The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Rawdhah Area
Under the Supervision of Ministry of Islamic Affairs and Endowment
and Call and Guidance -Riyadh - Rawdhah
. 4922422 - fax.4970561 E.mail: mrawdhah@hotmail.com P.O.Box 87299 Riyadh 11642

सत्य धर्म

लेखक
शैख़ अब्दुर्रहमान बिन हम्माद अल-उमर
अनुवादक
रज़ाउर्रहमान अंसारी

دين الحق

إعداد
الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر

ترجمة إلى اللغة الهنديه
رضاء الرحمن انصاري

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بحوطه بني تميم
تحت اشراف وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم ، ١٤٢٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمر ، عبدالرحمن بن حماد

دين الحق .- حوطة بني تميم .

١٦٠ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك : ١ - ٥ - ٩٢٣٨ - ٩٩٦٠

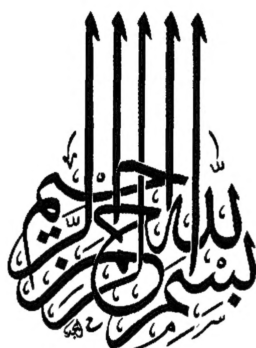
(النص باللغة الهندية)

١- الإسلام - مبادئ عامة أ- العنوان

ديوي ٢١١ ٢٢/٤٥٤٤

رقم الايداع ٢٢/٤٥٤٤

ردمك : ١ - ٥ - ٩٢٣٨ - ٩٩٦٠





भूमिका

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع رسل الله

यह मुक्ति के लिए निमंत्रण है जिसे संसार के हर एक बुद्धिमान (पुरूष हो कि महिला) की सेवा में रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, शक्ति एवं उँचाई वाले अल्लाह से आशा करता हूँ कि जो उस के मार्ग से भटका हुआ हो, वह इसके माध्यम से भाग्यशाली वने, मुझे तथा जिसने इस के प्रचार एवं प्रसार में भाग लिया हो उसे उत्तम पुण्य से सम्मानित करे।

ऐ बद्धिमान इंसान ! तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मुक्ति एवं कल्याण इस जीवन में हो कि परलोक (आखिरत) के जीवन में, वह इस बात पर निर्भर है कि तुम अपने अल्लाह को पहचानो जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस पर तुम ईमान ले आओ, उसी की उपासना (इबादत) करो, तथा उस नबी को पहचानो जिसे तुम्हारे रब ने तुम्हारी एवं संसार के सारे लोगों की ओर भेजा है, उस पर ईमान ले आओ तथा उसीकी पैरवी करो अर्थात उस सत्य धर्म को पहचानो जिसका तुम्हारे रब ने आदेश दिया है उस पर ईमान ले आओ एवं उसी के नियमानुसार कार्य करो।

यह पुस्तक "सत्य धर्म" जो आप के हाथों में है इसमें उन्हीं मुख्य बातों की चर्चा है जिसकी खोज करना तथा उस पर चलना अति

आवश्यक है। मैंने टिप्पणी में कुछ शब्दों की व्याख्या एवं कुछ नियमों का स्पष्टीकरण कर दिया है जो उसके योग्य थे। इन सारी चीज़ों में मैंने अल्लाह की बात तथा अल्लाह के रसूल ﷺ की हदीसों पर ही विश्वास किया है, इसलिए कि इस सत्य धर्म का यही एक मात्र मूल सूत्र है, इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला कोई और धर्म स्वीकार करने वाला नहीं है।

मैंने अनुचित अनुसरण को छोड़ दिया है जिसने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट किया है अपितु मैंने कुछ पथभ्रष्ट सम्प्रदायों की भी चर्चा की है जो सत्य पर होने का दावा तो करते हैं किन्तु उनका सत्य से कोई नाता नहीं, अतः मुख्य उद्देश्य यह है कि सीधे-सादे लोग इससे बचे रहें, अल्लाह ही मेरे लिए अधिक है तथा वही उत्तम कार्य को सफल करने वाला है।

अल्लाह से क्षमा का इच्छुक

अब्दुर्रहमान बिन हम्माद आले उमर

अध्याय - १

अल्लाह[1] एक महान उत्पतिकर्ता की पहचान

ऐ बुद्धिमान इंसान ! तुझे ज्ञात होना चाहिए कि रब वही है जिसने तुझे अनहोनी से होनी बनाकर जन्म दिया तथा अपने स्वादिष्ट पदार्थ के द्वारा तेरा पालन-पोषण किया, वही अल्लाह सारे संसार का रब है, अल्लाह तआला[2] पर विश्वास करने वाले बुद्धिमानों ने उसे अपनी आँखों से देखा तो नहीं है किन्तु उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली निशानियों के द्वारा उसे अवश्य देखा है, वह निशानियाँ उसे उत्पतिकर्ता अथवा आकाश एवं पृथ्वी के कुशल प्रवन्धक होने को प्रमाणित करता है, इसी से उस को पहचाना जाता है, तर्क के लिए कुछ निशानियों को निम्नलिखित में दिया जा रहा है।

तर्क १ : जगत, जीवन एवं मानव

यह विनाश होने वाली चीजें हैं जिस का आरम्भ एवं अंत है, जो विनाश होने वाला होता है वह किसी और का इच्छुक होता है

---

[1] मानव जगत और जगत की हर चीज के पूजित का नाम "अल्लाह" है तथा यह नाम अल्लाह ही के लिए विशेष है, अल्लाह ने अपने लिए इस नाम को विशेष कर रखा है और इसका अर्थ सत्य पूजित है।

[2] "तआला" शब्द अल्लाह के नाम के साथ प्रयोग किया जाता है, इस शब्द के प्रयोग का उद्देश्य सम्मान एवं प्रशंसा है, अल्लाह को महान विशेषताओं से प्रशंसित करना और खोट से पवित्र ठहराना है।

तथा जो दूसरे का इच्छुक हो वह सृष्टि ही होगा, तथा सृष्टि का कोई न कोई उत्पतिकर्ता तो होगा ही, तथा वह महान उत्पतिकर्ता अल्लाह तआला है, अल्लाह ने ही अपने से सम्बन्धित हमें शुभ सूचना दी है कि वह जगत का उत्पतिकर्ता भी है एवं कुशल प्रबन्धक भी है इस की सूचना अल्लाह ने अपने रसूल के माध्यम से उन पर उतारी हुई किताबों में दी है।

वास्तव में रसूलों ने अल्लाह की बात को जूँ का तूँ लोगों तक पहुँचा दिया है, लोगों को उसी की एक मात्र उपासना एवं उस पर विश्वास करने का निमन्त्रण भी दिया है, अल्लाह तआला अपनी किताब क़ुरआन करीम में फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

नि:संदेह तुम्हारा रब अल्लाह है जिस ने आकाश एवं धरती को छ: दिनों में बनाया, फिर अर्श (सिंहासन) पर उच्चय हुआ, रात को दिन से ढाँकता है, जो तीव्रता से उसके पीछे आ रही है, सूरज, चाँद और सितारे उसके आदेश के अधीन हैं, सुन लो सारी सृष्टि उसी की है आदेश भी उसी का है, अल्लाह तआला विभूतियों (बरकतों) वाला है जो सारे जगत का रब है। (सूरह आराफ़-५४)

आयत का सक्षिप्त भावार्थ :

अल्लाह तआला संसार के लोगों को सचेत कर रहा है कि वही उनका रब है, जिसने उन्हें जन्म दिया। छः दिनों में आकाश एवं धरती को बनाया,[1] वह सिंहासन पर उच्चय है सिंहासन आकाशों के ऊपर है। वह सबसे अधिक उच्च एवं विशाल है, अल्लाह तआला उस सिंहासन के ऊपर उच्चय है, तथा अपने ज्ञान एवं श्रवण शक्ति अथवा प्रेक्षा के द्वारा सारे संसार के साथ है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है, अल्लाह ने सूचना दी है कि उस ने रात को उस के अंधकार के द्वारा दिन को ढांकने का साधन बनाया है, वह तीव्रता के साथ उसके पीछे आती है, तथा उसने सूरज, चाँद एवं सितारे पैदा किये, इन सबको अपने अधीन कर रखा है, वह अपनी-अपनी सीमा में चलते हैं, उतपत्ति एवं आदेश देने का वह एक अकेला पात्र है, वह अपने अस्तित्व एवं विशेषताओं में महान एवं दक्ष है वह सदैव रहने वाला है, उपकार एवं भलाई करता रहता है, वह सारे संसार का रब है, जिसने उन्हें बनाया अर्थात अपने स्वादिष्ट पदार्थों के द्वारा उनका पालन-पोषण किया, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا

---

[1] अल्लाह तआला ने अपनी युक्ति के चलते इस "तदर्रुज" (धीरे-धीरे होने) का लिहाज रखा है, नहीं तो वह सारे संसार को पलक झपकने से भी पहले बना देने की शक्ति रखता है, वह हमें सूचित कर रखा है कि जब वह कोई काम करना चाहता है तो कहता है 'कुन' हो जा तो वह हो जाता है।

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

अल्लाह की निशानियों में रात-दिन, चाँद और सूरज हैं, तुम सूरज और चाँद को सजदा न करो, केवल अल्लाह ही के लिए सजदा करो, जिसने उन्हें बनाया यदि तुम केवल उसी की उपासना करने वाले हो। (सूरह फुस्सेलत-३७)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

उपरोक्त आयत में सूचना दी जा रही है कि अल्लाह तआला को प्रमाणित करने वाली निशानियों में रात-दिन, चाँद एवं सूरज हैं। चाँद एवं सूरज को सजदा करने से अल्लाह तआला रोक रहा रहा है, क्योंकि वह दोनों भी दूसरे जनितों की तरह जनित हैं तथा जनित की उपासना (इबादत) किसी भी दशा में सही नहीं है, सजदा करना इबादत है, अल्लाह तआला लोगों को इस आयत में तथा इस के अतिरिक्त दूसरी आयतों में आदेश दिया है कि केवल एक अल्लाह ही को सजदा करो इसलिए कि वही पैदा करने वाला एवं कुशल प्रबन्धक है और उपासना के योग्य है।

तर्क २ :

अल्लाह ने पुरूष एवं स्त्री को पैदा किया, पुरूषों एवं स्त्रियों का पाया जाना अल्लाह के अस्तित्व पर तर्क है।

तर्क ३ :

ध्वनियों एवं रंगों का भिन्न होना, दो व्यक्ति एक ही ध्वनि वाले नहीं पाये जायेंगे अर्थात न एक ही रंग वाले। बल्कि दोनों में अवश्य कुछ न कुछ अंतर होगा।

तर्क ४ :

भाग्य का भिन्न होना, कोई धनवान है तो कोई निर्धन, कोई स्वामी है तो कोई सेवक। जबकि प्रत्येक व्यक्ति सोच-विचार एवं बुद्धि का अधिकारी है तथा प्रत्येक व्यक्ति धन सम्पन्नता, प्रतिष्ठा एवं सुन्दर पत्नी का इच्छुक भी है। किन्तु अल्लाह ने जो भाग्य में लिख दिया है उससे अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें अल्लाह की महान बुद्धिमत्ता है, अल्लाह ने लोगों को आपस में एक-दूसरे की परख एवं सेवा का साधन बनाया है ताकि सारे लोगों का लाभ नष्ट न हो जाये।

यदि अल्लाह ने इस संसार में किसी को कुछ नहीं दिया हो तो अल्लाह ने सूचना दी है कि वह स्वर्ग (जन्नत) में उसके प्रदानों में अधिकता करेगा इस शर्त पर कि उस की मृत्यु ईमान पर हुई हो, इसके अतिरिक्त अल्लाह ने निर्धन को ऐसी विशेषताओं से सम्मानित किया है जिससे वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से लाभांवित होता है जिससे बहुत से धनवान वंचित होते हैं, यह अल्लाह की बुद्धिमता एवं न्याय का दर्शन है।

तर्क ५ :

नींद तथा सच्चा सपना के द्वारा अल्लाह तआला सोने वालों को

कुछ परोक्ष की सूचना शुभ समाचार या चेतावनी हेतु दे देता है।

तर्क ६ :

आत्मा (रूह) जिसकी वास्तविकता अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता।

तर्क ७ :

मानव, तथा उसके शरीर में जो इंद्रियाँ हैं, इसी प्रकार मास्तिष्क एवं पाचन शक्ति का क्रम आदि... ।

तर्क ८ :

बंजर ज़मीन पर अल्लाह तआला वर्षा बरसाते हैं तथा अनेक प्रकार के फल-फूल उगाते हैं।

यह कुछ तर्के उन सैकड़ों तर्कों में से हैं जिनकी चर्चा अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फ़रमाया है, यह तर्कें उस के अस्तित्व पर अर्थात उंसके उत्पतिकर्ता होने को प्रमाणित करती हैं।

तर्क ९ :

मानव का स्वभाव अल्लाह के अस्तित्व, उसके उत्पतिकर्ता होने की गवाही देता है, जो इसको नहीं मानता है वह अपने आप को भ्रम में फँसा लेता है, कम्यूनिष्ट इस संसार में अभागापन का जीवन व्यतीत करता है, इसलिए मृत्यु के बाद उसका ठिकाना नरक (जहन्नम) में होगा, जिस अल्लाह ने उसे अनस्तित्व से अस्तित्व दिया विभिन्न प्रकार के अनमोल उपकरणों से उसको सम्मानित किया उसके झुठलाने का यही प्रतिशोध है नहीं तो वह

'तौबा' कर ले तथा अल्लाह और उसके रसूलों पर अर्थात उस के धर्म (दीन) पर ईमान ले आये।

तर्क १० :

विभूति (बरकत) यानी कुछ प्राणि वर्गों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जैसे [illegible]ेड़, बकरी। इसके विपरीत फ़शल में कमी होती जा रही है जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ के।

अल्लाह की विशेषतायें :

वह पहला है, उसकी कोई आरम्भता नहीं। जीवित है सदा से, सदैव के लिए, उसके लिए न मृत्यु है न कोई अंत। वह नि:स्पृह है तथा स्थिर एवं सदैव रहने वाला है, वह किसी का इच्छुक नहीं है, वह एक एवं अकेला है उसका कोई भागीदार नहीं है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ O اللَّهُ الصَّمَدُ O لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ O وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

(ऐ मुहम्मद !) आप कह दीजिए अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह नि:स्पृह है न उससे कोई जन्म लिया न वह किसी से जन्मा, और न कोई उसके समान एवं बराबर है। (सूरह इख़्लास)

सूरह की व्याख्या :

कुफ़्फ़ार ने जब अंतिम नबी से अल्लाह की विशेषताओं के संबन्ध

में मालूम किया तो अल्लाह तआला ने यह सूरह नाज़िल किया जिसमें यह आदेश दिया गया :

अल्लाह अकेला है जिसका कोई साझी नहीं है, वह सदा रहने वाला और हर उपाय करने वाला है, संसार की हर वस्तु पर उसका शासन है, लोगों को अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केवल उसी की ओर झुकना चाहिए।

उसका न कोई पिता है न बेटा, तथा न यह सत्य है कि उसके लिए बेटा-बेटी और माता-पिता हों, बल्कि उसने अपने लिए इनको नकारा है, इस सूरह में तथा इसके अतिरिक्त दूसरी सूरतों में, वंश एवं जन्म का प्रवाहित रहना मानव जाति की विशेषतायें हैं, नसारा जो मसीह क़ो अल्लाह का बेटा मानते हैं। अल्लाह ने उन पर प्रतिवाद किया है। इसी प्रकार उन पर भी जो ओज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं और दूसरों पर भी रोष व्यक्त किया जो यह समझते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं।

अल्लाह ने सूचना दी है कि उसने अपनी शक्ति से ईसा عليه السلام को विना पिता के जन्म दिया जिस प्रकार मानव जाति के पिता हज़रत आदम عليه السلام को मिट्टी से जन्म दिया तथा हव्वा मानव जाति की माता को आदम عليه السلام की पसली से जन्म दिया अर्थात आदम عليه السلام की संतान को पुरूष एवं महिला के पानी (वीर्य) से जन्म दिया। हर वस्तु को उसने अनस्तित्व से अस्तित्व में लाया तथा अपने सारे प्राणि वर्गों के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, कोई भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, वह जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है, जैसाकि उसने ईसा عليه السلام को बिना

पिता के जन्म दिया तथा उनसे बात करवाया जबकि वह उस समय अपनी माता की गोद में थे, जैसाकि उसने मूसा ﷺ की छड़ी को दौड़ते हुए साँप की आकृति में परिवर्तन किया, और जब उन्होंने समुद्र में उसे मारा तो समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया। बीच में मार्ग बन गया जिससे वह और उनकी क़ौम गुज़र गई, जैसाकि उसने अंतिम नबी हज़रत मुहम्मद ﷺ के लिए चाँद का फट जाना फ़रमाया, तथा उसी ने वृक्ष को यह आदेश दिया कि वह आप ﷺ को सलाम करे, तथा पशु को आदेश दिया कि वह आप ﷺ की दूतत्व (रिसालत) की गवाही उच्च आवाज़ में दे ताकि लोग सुन सकें, वह कहता था : मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तथा आप "बुर्राक़" पर 'आकाश की यात्रा' की, मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़्सा फिर आप को "मेराज" से प्रतिष्ठित किया गया, आप ﷺ के साथ फ़रिश्ता जिब्राईल ﷺ थे, यहाँ तक कि आप आकाशों के ऊपर पहुँच गये, अल्लाह ने आप से बात की, आप ﷺ पर नमाज़ें अनिवार्य कीं, फिर आप ﷺ धरती पर (मस्जिदे हराम) लौट आये। रास्ते में आप ﷺ ने हर आकाश के निवासियों का दर्शन किया, यह सारी घटना एक ही रात में फ़ज्र से पहले घटी, "इस्रा" व "मेराज" की घटना क़ुरआन एवं हदीसों में तथा इस्लामी इतिहास की पुस्तकों में प्रसिद्ध है।

अल्लाह तआला की पवित्र विशेषताओं में सुनना, देखना, ज्ञान, शक्ति एवं संकल्प भी हैं, हर वस्तु को वह देखता है, सुनता है, उसकी श्रवण शक्ति एवं दृष्टि के सामने कोई चीज़ बाधक नहीं है, गर्भाशय में जो कुछ है उसका उसे ज्ञान है, छाती जिसको छुपाते हैं उससे वह परिचित है, जो हो चुका अथवा जो होने

वाला है उसका भी उसे ज्ञान है, वह शक्ति एवं संकल्प वाला है, जब किसी चीज को "कुन" (हो जा) कहता है तो वह "फ़यक़ून" में परिवर्तित हो जाता है यानी वह हो जाता है।

उसकी पवित्र विशेषताओं में कलाम भी है, वह जब चाहे जो चाहे कलाम फ़रमाता है। मूसा ﷺ तथा अंतिम नबी हज़रत मुहम्मद ﷺ से उसने कलाम किया है, क़ुरआन का प्रत्येक शब्द उसका कलाम है जिसे अपने प्यारे नबी मुहम्मद ﷺ पर उतारा, वह उसकी विशेषताओं में से एक विशेषता है, और मख़लूक नहीं, जैसाकि गुमराह "मोतज़िला" (पथभ्रष्ट मुसलमानों का एक गुट जो अपने आप को शिष्ट कहलाता है उनके निकट क़ुरआन मख़लूक़ है) का विश्वास है।

अल्लाह की पवित्र विशेषताओं में चेहरा, दो हाथ, "इस्तिवा"[1] एवं

---

[1] "इस्तिवा" का अर्थ अरबी भाषा में जो क़ुरआन की भाषा है "उच्च होना" "ऊपर होना" के हैं, अल्लाह के सिंहासन पर ठहरने का अर्थ अल्लाह का उस पर उच्च होना उसके ऊपर होना है, उसकी दशा उसके अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं है, इसलिए कि वह वैसे ही ठहरा है जैसे अल्लाह की प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता के योग्य हो।

"इस्तिवा" का अर्थ "इस्तौला" कब्जा करना नहीं है जैसाकि कुछ गुमराह लोगों ने आशय कर रखा है जो अल्लाह के विशेषताओं की वास्तविकता का इंकार करते हैं जिसे अल्लाह ने अपने लिए प्रमाणित किया है और उसके रसूलों ने भी उसे अल्लाह के लिए सिद्ध किया है, उन्होंने यह समझा कि यदि विशेषताओं की वास्तविकता को प्रमाणित किया जाये तो सृष्टि से समानता होगी, यह विचार ग़लत है इसलिए कि समानता तो उस समय होगी जब यह कहा जाये कि यह मानव की फ़लां विशेषताओं की तरह है, परन्तु बिना स्पष्टीकरण के समानता

नुज़ूल[1] भी है, अल्लाह ने स्वयं अपने आप को इस की विशेषता रखने वाला बताया है और रसूलों ने भी अल्लाह के लिए यह सिद्ध किया है, उसकी विशेषताओं में प्रसन्नता एवं प्रकोप भी है। वह अपने मोमिन बंदों से प्रसन्न होता है और उन काफ़िरों पर क्रोधित होता है जो उसके प्रकोप के योग्य कार्य करते हैं। प्रसन्नता एवं प्रकोप भी बाक़ी विशेषताओं के प्रकार हैं और सृष्टि की विशेषताओं से तुल्य नहीं रखता है। उसका विवरण बयान नहीं किया जायेगा और न ही स्पष्टीकरण दिया जायेगा।

क़ुरआन एवं हदीस से यह सिद्ध है कि मोमेनीन स्वर्ग में तथा क़ियामत के मैदान में अल्लाह को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखेंगे, क़ुरआन एवं हदीस में अल्लाह की विशेषताओं का सविस्तार चर्चा है आप वहाँ देखें।

और बिना स्थिति जाने अथवा बिना उपमा और उदाहरण के विशेषताओं को प्रमाणित करना जो अल्लाह के प्रतिष्ठा के योग्य रहे, यह मानव के साथ समानता नहीं है, यही सत्य है जिसे हर मोमिन को थाम लेना चाहिए यद्यपि बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ दिया हो।

[1] सही हदीस में है : हमारा रब जब रात्रि का तीसरा पहर बाक़ी रहता है तो सबसे निचले आकाश पर उतरता है।

इंसानों एवं जिन्नों की उत्पत्ति का उद्देश्य

जब आपको मालूम हो गया कि अल्लाह आप का रब है जिसने आप को पैदा किया, तो यह भी जान लीजिए कि उसने आप को बिना उद्देश्य के पैदा नहीं किया, बल्कि अपनी उपासना (इबादत) के लिए पैदा किया। इसका तर्क स्वयं उसका कथन है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ O مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ O إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

मैंने इंसानों एवं जिन्नों को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, न मैं उन से जीविका का इच्छुक हूँ और न यह चाहता हूँ कि वह मेरे लिए खाने का प्रबन्ध करें, निःसंदेह अल्लाह ही अन्नदाता है शक्तिवाला है। (सूरह जारियात-५६-५८)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

पहली आयत में अल्लाह तआला ने सूचना दी है कि अल्लाह ही ने जिन्न [1] एवं इंसान को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, दूसरी और तीसरी आयत में फ़रमा रहा है कि वह बन्दों से

[1] 'जिन्न' बुद्धि वाली प्राणी है, अल्लाह ने उन्हें इंसान की तरह अपनी उपासना के लिए पैदा किया है, वह जमीन पर इंसानों के साथ ही रहते हैं किन्तु इंसान उसे देख नहीं सकते।

बिल्कुल निःस्पृह है, वह उनसे जीविका का इच्छुक नहीं है और न यह चाहता है कि बन्दे उसके खाने का प्रबन्ध करें। इसलिए कि वह स्वयं शक्ति वाला जीविका देने वाला है, उसके अतिरिक्त किसी को कहीं से जीविका उपलब्ध नहीं हो सकेगा, वही है जो वर्षा देता है तथा पृथ्वी पर अबोध जीवों को अल्लाह ने इंसानों की सेवा के लिए जन्म दिया है ताकि इंसान उसके द्वारा अल्लाह की आज्ञा पालन में लगा रहे, हर गतिवान एवं स्थिरता वाली तथा प्रत्येक जीव संसार में अल्लाह की उत्पत्ति है। अल्लाह ने हर वस्तु को बुद्धिमता के साथ जन्म दिया है, जिसका उसने क़ुरआन में चर्चा की है, विद्वानों (उलमा) ने अपने-अपने ज्ञान के हिसाब से उन बुद्धिमत्ताओं का वर्णन किया है।

जीविका एवं आयु तथा घटना एवं आपत्तियों में कमी एवं वृद्धि भी अल्लाह की हिक्मत से है, अल्लाह तआला इसके द्वारा अपने बुद्धिमान बन्दों को परखना चाहता है जो अल्लाह ने भाग्य में लिख दिया है उससे प्रसन्न होकर उसको स्वीकार कर ले तथा अल्लाह तआला को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा रहे तो अल्लाह उससे प्रसन्न रहेगा और लोक एवं परलोक के उपकार प्रदान करेगा तथा जो अल्लाह ने भाग्य में लिख दिया है उसको स्वीकार न करे और उससे प्रसन्न नहीं रहे तथा अल्लाह की आराधना न करे तो अल्लाह उससे क्रोधित होगा तथा वह लोक एवं परलोक में भी दुर्भागी होगा। हम अल्लाह की प्रसन्नता के इच्छुक हैं और उसकी अप्रसन्नता से पनाह चाहते हैं।

मृत्यु के पश्चात जीवन, लेखा-जोखा, कर्मों का फल एवं स्वर्ग-नरक की चर्चा

जब आप को यह मालूम हो गया कि अल्लाह ने आप को अपनी उपासना के लिए पैदा किया है तो यह भी जानना आवश्यक है कि अल्लाह ने अपनी किताबों में चर्चा कर दिया है कि वह शीघ्र ही मृत्यु के पश्चात तुम्हें दोबारा जीवित करेगा और तुम्हारे कर्मों का फल देगा, इसलिए कि इंसान मृत्यु के पश्चात इस विनाशी दुनिया[1] से परलोक (जहाँ किये का फल भोगना पड़े)[2] की ओर जाता है, जब इंसान की निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है तो अल्लाह तआला यमदूत (मलकुल मौत) को आदेश देते हैं और वह इंसान की रूह (प्राण) निकाल लेता है, शरीर से रूह निष्कासित होते समय की पीड़ा सहन करने के बाद ही उसे मृत्यु हो जाती है।

रूह यदि मोमिन हो तो अल्लाह तआला उसे "दारूल नईम" स्वर्ग में रखते हैं, यदि वह काफिर एवं अवज्ञाकारी हो, अंतिम दिन को झुठलाने वाली हो तो उसे "दारूल अजाब" आग में रखता है। यहाँ तक कि महाप्रलय (क़ियामत) का समय न आ जाये। जब सारी दुनिया की मृत्यु हो जायेगी सिवाय अल्लाह के कोई बाकी न रहेगा उस समय अल्लाह तआला सारी दुनिया को दोबारा जीवित

---

[1] कर्म और नाश का स्थान।

[2] प्रतिकार और नित्यता का स्थान।

करेंगे तथा रूहों को शरीरों में लौटा देंगे जैसाकि प्रथम बार उसको जन्म दिया था और शरीर अपनी पुरानी अवस्था में आ जायेगा। यह सब लोगों के लेखा-जोखा के लिए होगा। हर व्यक्ति पुरूष हो कि महिला, धनवान हो कि निर्धन एवं स्वामी हो कि सेवक सब के सब अपने-अपने कर्मों का फल पायेंगे किसी पर अत्याचार नहीं होगा, नृशंसित (मज़लूम) को अत्याचारी (ज़ालिम) से बदला दिलाया जायेगा।

जिन्न और इंसान हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पायेगा, मोमिनीन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे यहाँ तक कि भिखारी ही क्यों न हों, तथा काफ़िर चाहे संसार में कितना ही धनवान एवं उच्च पद का मालिक क्यों न रहा हो नरक में होंगे। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

तुम में अल्लाह के निकट वही अधिक प्रतिष्ठा वाला है जो अधिक संयमी है। (सूरह हुजरात-१३)

जन्नत (स्वर्ग) :

यह उपकारों का स्थान है, इतनी सारी नेमतें हैं कि इसकी प्रशंसा पर किसी की ज़ुबान शक्तिमान नहीं है, इसमें सौ श्रेणियाँ हैं, हर श्रेणी में लोग अपने-अपने ईमान एवं कर्म के हिसाब से रहेंगे स्वर्ग की अंतिम श्रेणी के लोगों को इतनी समृद्धियाँ उपलब्ध रहेंगी जितनी कि संसार में सबसे अधिक समृद्धि वाले बादशाह को उपलब्ध होती हैं बल्कि उससे भी सत्तर गुना अधिक उन्हें सुख मिलेगा।

आग (नरक) :

अल्लाह हमें इससे बचाये, मृत्यु के पश्चात परलोक में यह यातना (अज़ाब) के स्थान पर है, इसमें इतने प्रकार की यातनायें हैं जिसकी चर्चा से ही हृदय काँप जाता है तथा आँखें आँसुओं से भर जाती हैं, परलोक में यदि मृत्यु का अस्तित्व होता तो आग वाले मात्र उस को देख कर ही प्राण त्याग देते, किन्तु मृत्यु एक ही बार होती है जिससे इंसान सांसारिक जीवन से परलोकिक जीवन की ओर स्थानान्तरित होता है, क़ुरआन में मृत्यु, लेखा-जोखा और मृत्यु के पश्चात जीवन एवं स्वर्ग -नरक की विस्तृत चर्चा है।

मृत्यु के पश्चात दोबारा जीवित होने और लेखा-जोखा से सम्बन्धित क़ुरआन में बहुत सारे तर्क हैं :

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

हम ने तुम्हें इसी से जन्म दिया (ज़मीन से) तथा मृत्यु के पश्चात इसी में लौटा देंगे तथा फिर इसी से तुम्हें दोबारा अंतिम दिन निकालेंगे। (सूरह ताहा-५५)

अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ O قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

तथा हम से ही बातें बनाने लगा तथा अपने जन्म को भूल गया, कहने लगा भला इन सड़ी-गली हड्डियों को कौन जीवित कर सकता है, (ऐ पैग़म्बर) कह दीजिए, उन्हें वही जीवित करेगा जिसने उन्हें प्रथम बार पैदा किया था। (सूरह यासीन-७८,७९)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

काफ़िरों का यह विचार है कि वह कभी मृत्यु के पश्चात उठाये नहीं जायेंगे, कह दीजिए क्यों नहीं ! शपथ है मेरे रब की तुम्हें दोबारा उठाया जायेगा तथा तुम्हारे करतूतों की तुम्हें सूचना दी जायेगी और यह कार्य अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है। (सूरह तग़ाबुन-७)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

पहली आयत में अल्लाह ने सूचना दी है कि उसने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। वह ऐसे कि उसने उनके पिता आदम को मिट्टी से बनाया, तथा मृत्यु के पश्चात वह उन्हें क़ब्रों में लौटा देता है जिसमें उनकी प्रतिष्ठा है, वह दोबारा उन्हें उस से उठायेगा और वह जीवित होंगे, जब सारे लोग जीवित हो जायेंगे तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दिया जायेगा।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला काफ़िरों पर प्रतिवाद कर रहे हैं जो दोबारा जीवित होने को झुठलाते हैं तथा विनाश के पश्चात जीवन को विश्वास के अयोग्य विचार करते हैं, अल्लाह तआला कहते हैं कि वह उन्हें जीवित करेगा जैसा कि उसने उन्हें प्रथम बार अनास्तित्व से अस्तित्व में लाया था।

तीसरी आयत में भी काफ़िरों पर प्रतिवाद है जो मृत्यु के पश्चात जीवन से इंकार करते थे, अल्लाह ने रसूलुल्लाह ﷺ को आदेश दिया कि वह सतर्कता पूर्वक क़सम खाकर बयान करें कि अल्लाह तआला उन्हें शीघ्र ही दोबारा उठायेगा तथा उन्हें उन के कर्मों का फल देगा और यह सारा काम अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है।

एक और आयत में अल्लाह ने सूचना दी है कि वह जब उठायेगा ऐसे लोगों को जो दोबारा जीवन एवं आग से इंकार करते हैं तो उन्हें आग में प्रवेश करेगा तथा उनसे कहा जायेगा :

﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾

लो नरक के यातना का स्वाद चखो जिसको तुम झुठलाते थे। (सूरह अस्सजदः-२०)

इंसान के कथनी एवं करनी का निरीक्षण :

अल्लाह तआला को हर व्यक्ति के कथनी एवं करनी का गुप्त हो कि प्रकट पहले ही से ज्ञान है। उसने इस को "लौहे महफ़ूज" में आकाश एवं धरती और इंसान के जन्म से पहले ही लिख रखा है,

इसके साथ-साथ उसने हर इंसान के साथ दो फ़रिश्ते भी निरीक्षण के लिए बैठा रखा है । एक दायीं ओर जो नेकियाँ लिखता है तथा एक बायीं ओर जो बुराईयाँ लिखता है उनसे कोई चूक नहीं होती है ।

प्रलय (क़ियामत) के दिन हर इंसान को उसका कर्मपत्र (नामये आमाल) दिया जायेगा, जिसमें उसके कथनी एवं करनी लिखे होंगे, वह उसे पढ़ेगा तो किसी चीज का इंकार नहीं करेगा । यदि किसी ने इंकार किया तो अल्लाह तआला उसके कान, आँख, हाथ, पाँव एवं चमड़ी से कहलवायेगा और वह उसके करतूत बयान करेंगे । क़ुरआन में इसका विस्तारपूर्वक बयान है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

वह कोई शब्द मुंह से निकालने नहीं पाता है कि एक फ़रिश्ता उसके पास तैयार एवं निरीक्षक के तौर पर होता है । (सूरह क़ाफ़-१८)

एक और स्थान पर फ़रमाया है :

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ٥ كِرَامًا كَاتِبِينَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

हालांकि तुम पर (हमारी ओर से) निरीक्षक नियुक्त हैं प्रतिष्ठित एवं लिखने वाले हैं जो तुम करते हो सकी सूचना उसे है । (सूरह इंफ़ितार-१०-१२)

आयतों की व्याख्या :

अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि उन्होंने हर इंसान के साथ दो फ़रिश्तों को लगा दिया है, एक दायें है जो नेकियाँ लिखता है एक बायें है जो बुराईयाँ लिखता है। उसने इंसानों के साथ प्रतिष्ठित फ़रिश्तों को लगा रखा है, वह उनके सारे कामों को लिखते हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें यह शक्ति दी है कि वह उन के सारे कामों का ज्ञान रखते हैं और उन्हें लिखते हैं, अल्लाह ने उसे उनके जन्म से पहले "लौहे महफ़ूज" में लिख रखा है।

शहादत (गवाही) :

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित (माबूद) नहीं है तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं तथा मैं गवाही देता हूँ कि स्वर्ग सत्य है, नरक सत्य है और प्रलय आने ही वाली है जिसमें कोई संदेह नहीं। अल्लाह तआला क़ब्र वालों को लेखा-जोखा के लिए दोबारा जीवित करेगा, अल्लाह ने अपनी किताब में और प्यारे रसूल ﷺ के माध्यम से जो भी सूचना दी है वह सत्य है, ऐ बुद्धिमानों ! मैं तुम्हें भी इसी गवाही पर ईमान लाने, इस का ऐलान करने तथा इसके अनुसार कार्य करने का निमन्त्रण देता हूँ, यही मुक्ति का मार्ग है।

अध्याय - २

रसूल की पहचान

जब तुम को यह पता चल गया कि अल्लाह तुम्हारा रब है, उत्पतिकर्ता है तथा वह तुम्हें दोबारा जीवित करेगा ताकि तुम्हारे कर्मों का फल दे तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उसने लोगों के निदेश (हिदायत) के लिए रसूल भी भेजे हैं, जिसकी आज्ञापालन एवं पैरवी का आदेश दिया है, तथा उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सही उपासना (इबादत) की पहचान का कोई मार्ग नहीं है सिवाय रसूल की पैरवी के, अल्लाह की उपासना और उसके शास्त्र (शरीयत) के द्वारा होगा जिसे अल्लाह ने नाजिल फ़रमाया है।

वह रसूल जिन पर ईमान लाना एवं उनकी पैरवी करना सारे लोगों पर आवश्यक है वह अंतिम रसूल हजरत मुहम्मद ﷺ हैं। सारे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल हैं, वह अनपढ़ नबी मुहम्मद ﷺ हैं जिनकी शुभ सूचना मूसा ﷺ एवं ईसा ﷺ ने 'तौरेत' एवं 'इंजील' में चालीस से अधिक अवसरों पर दी है। यहूद और नसारा इन किताबों में उलट-फेर से पहले इसको पढ़ा करते थे।[1]

---

[1] मुहम्मद ﷺ के आने की शुभ सूचनायें मालूम करने के लिए जिसकी चर्चा "तौरेत" 'इंजील' में है निम्नलिखित पुस्तकों को दखें :

अल जवाबुससही लिमन बद्दल दीनल मसीह जि०-१, शैख़ुल इस्लाम अहमद बिन तैमिया, हिदायतुल हयारी लिल अल्लामा मुहम्मद इब्नुल

हज़रत मुहम्मद ﷺ पर अल्लाह ने दूतत्व (रिसालत) को समाप्त किया, तथा उन्हें सारे लोगों केलिए नबी बनाकर भेजा। वह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हाशमी एवं कुरैशी हैं। वह इस संसार के सबसे प्रतिष्ठित एवं सच्चे इंसान हैं, वह अल्लाह के नबी इस्माईल बिन इब्राहीम عليه السلام की नसल से हैं। आप का जन्म मक्का में ५७० ई॰ में हुआ, जिस रात आप का जन्म हुआ तथा जिस पवित्र छण आप माँ के पेट से इस संसार में तशरीफ़ ला रहे थे एक महा प्रकाश ने सारे संसार को उज्जवल किया, लोग स्तब्ध हो गये तथा इतिहास की पुस्तकों ने इसका रिकार्ड किया, काबा शरीफ़ में रखी मूर्तियाँ अधोमुख हो गयीं, फ़ारस के बादशाह किसरा के महल में कम्प हुआ तथा दस से अधिक कंगूरे गिर गये, पारसियों की आग जिसकी वह पूजा करते थे बुझ गई जबकि वह दो हज़ार वर्ष से नहीं बुझी थी।

यह सारी घटनायें वास्तव में अल्लाह की ओर से पृथ्वी वालों के लिए अंतिम नबी के आगमन का ऐलान था कि वह सारे बुतों को टुकड़े-टुकड़े कर देगा जिसकी पूजा की जाती है, फ़ारस एवं रोम को एक अल्लाह की उपासना और उसके सत्य धर्म में प्रवेश करने का निमन्त्रण देगा, यदि न मानें तो अपने अनुकर्ताओं के द्वारा उन से धार्मिक युद्ध (जिहाद) करेगा तथा अल्लाह तआला उसकी सहायता फ़रमायेगा। इस्लाम धर्म को फैलायेंगे तथा बाद में यही हुआ नबी ﷺ के नबी हो जाने के बाद आप ने उसको

क़ैय्यम, अस-सीरतुन नब्वीय: लि इब्ने हिशाम, तथा तारीख़ इब्ने कसीर में मोजिज़ातुन नुबुव्व:।

वास्तव में परिवर्तित कर दिखाया।

अंतिम रसूल मुहम्मद ﷺ को अल्लाह ने कुछ विशेषताओं से सम्मानित किया है जिसमें से कुछ निम्नलिखित में दिया जा रहा है :

प्रथम : वह अंतिम रसूल है उनके बाद न कोई रसूल होगा न नबी।

द्वितीय : आप का दूतत्व (रिसालत) आम है, सारे लोगों के लिए आप रसूल हैं, सारे लोग आप की उम्मत (मानने वाले) हैं जिसने आप की पैरवी की वह स्वर्ग में प्रवेश किया और जिस ने आप की पैरवी नहीं की वह आग (नरक) में प्रवेश करेगा, यहूदी एवं नसारा पर भी अनिवार्य है कि वह आप की पैरवी करें, जो आप की पैरवी न करे तथा आप पर ईमान न लाये वह मूसा एवं ईसा और सारे नबियों का काफ़िर माना जायेगा। मूसा एवं ईसा तथा सारे नबी उस व्यक्ति से मुक्त हैं जो मुहम्मद ﷺ की पैरवी न करे, इसलिए कि अल्लाह तआला ने सारे नबियों को आदेश दिया था कि वह मुहम्मद ﷺ के आगमन की शुभ सूचना दें, तथा अपनी उम्मतों को यह चेतावनी दें कि वह उनकी पैरवी करें, तथा आप जो धर्म (दीन) लाये हैं यह वही धर्म है जो अम्बिया अपनी क़ौमों के पास लाये थे। अल्लाह ने उसे पूर्ण एवं सरल अंतिम रसूल मुहम्मद ﷺ के समय में किया। मुहम्मद ﷺ के भेजे जाने के बाद इस्लाम के अतिरिक्त किसी और धर्म को अपनाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है इसलिए कि यही पूर्ण एवं सरल धर्म है जिसके

द्वारा अल्लाह ने सारे धर्मों को निरस्त कर दिया है तथा वही सत्य एवं सुरक्षित धर्म है।

यहूदियत एवं नसरानियत परिवर्तित धर्म है, वह अपनी असली हालत में बाक़ी नहीं है, इसलिए जो प्यारे नबी ﷺ का अनुयायी है वह मूसा एवं ईसा अलैहिमुस्सलाम का भी अनुयायी समझा जायेगा तथा जो भी इस्लाम धर्म से बाहर होगा मूसा एवं ईसा तथा सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का काफ़िर माना जायेगा। यद्यपि वह इस भावना में रहे कि वह मूसा एवं ईसा अलैहिमुस्सलाम का अनुयायी है, इसी कारण यहूद एवं नसारा के बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय विद्वानों ने मुहम्मद ﷺ पर ईमान लाने तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने में अग्रसरता की।

अल्लाह के रसूल ﷺ के चमत्कार[1] (मोजेज़ात) :

जीविनी लिखने वाले विद्वानों ने मुहम्मद ﷺ के चमत्कार को गिनवाते हुए दर्शाया है जो आप के सच्चे नबी होने को प्रमाणित करते हैं। उनकी संख्या एक हज़ार से भी अधिक है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित में दिये जा रहे हैं :

१. मुहरे नबूवत जिसे अल्लाह ने आप के मोढ़ों के बीच बनाया था वह (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) हलके उभरे हुए माँस के आकर में था।

---

[1] शब्द 'मोजिज़ात' चमत्कार का क़ुरआन में चर्चा नहीं है क़ुरआन में आयात (निशानियों) की चर्चा है जो अधिक सही है इसलिए कि 'मोजिजह' 'ख़रके आदत' के लिए विशेष है।

२. धूप में आप चलते तो बादल आप पर छाया कर देता।

३. आप के हाथ में कंकरियों का "तस्बीह" पढ़ना तथा वृक्ष का आप को सलाम करना।

४. अंतिम काल में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना देना तथा वह धीरे-धीरे बिल्कुल सत्य साबित होना।

यह परोक्ष की बातें जो आप ﷺ की मृत्यु के बाद संसार के समाप्त होने तक प्रकट होती रहेंगी, इस में से कुछ की जानकारी अल्लाह ने आप को दी थी तथा आप ने लोगों को उससे अवगत कराया, यह बातें हदीस की पुस्तकों में तथा क़ियामत की निशानियों पर लिखी जाने वाली पुस्तकों में सुरक्षित हैं।

आप के यह चमत्कार अगले अम्बिया के चमत्कार की तरह हैं, किन्तु अल्लाह ने आप को एक ऐसे मुख्य चमत्कार से सम्मानित किया है जो अंतिम समय तक बाक़ी रहेगा, ऐसा चमत्कार आप के अतिरिक्त किसी और नबी को नहीं प्रदान किया गया, वह "पवित्र क़ुरआन" अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने जिसकी सुरक्षा का जिम्मा लिया है। किसी का कोई प्रयास उस को बदलने के लिए सफल नहीं हो सकता, यदि किसी ने कुछ परिवर्तन का प्रयास किया तो तुरन्त उसका पता चल गया। देखिए मुसलमानों के पास क़ुरआन के करोड़ों नुस्खे हैं किन्तु एक-दूसरे में कण भर भी अंतर नहीं है, इसकी तुलना में तौरेत एवं इंजील को देखिए, इसके बहुत से नुस्खे हैं तथा आपस में कोई समानता भी नहीं है। अल्लाह ने जब इसकी जिम्मेदारी यहूद व नसारा को सौंपी तो उन लोगों ने इसके साथ मज़ाक़ किया तथा इसमें बहुत कुछ

परिवर्तन कर डाला, परन्तु क़ुरआन की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अल्लाह ने ले रखी है। किसी को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया है जैसाकि अल्लाह का कथन है :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

नि:संदेह हम ने ही क़ुरआन को उतारा है तथा हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। (सूरह हिज्र-९)

क़ुरआन अल्लाह का कलाम है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, बौद्धिक एवं न्यायिक तर्क

इस बात पर न्यायिक एवं बौद्धिक बहुत से तर्क हैं। जिनमें से यह भी है कि मक्का के काफ़िरों ने जब मुहम्मद ﷺ को झुठलाया और क़ुरआन को अल्लाह के कलाम होने का इंकार किया तो अल्लाह ने उन्हें खुला चैलेंज दिया कि वह इस जैसा क़ुरआन ले आयें, किन्तु वह विवश हो गये हालाँकि वह उनकी भाषा थी, वह मिष्टभाषी लोग थे, उनके पास बड़े-बड़े साहित्यकार एवं व्याख्याकार और उच्च स्तर के कविगण थे, किनतु वह विवश हो गये। फिर अल्लाह ने उन्हें चैलेंज किया कि कम से कम क़ुरआन जैसी दस सूरतें ही गढ़ कर बता दें, फिर भ वह विवश रहे। फिर अल्लाह ने उन्हें एक ही सूरत समानता में पेश करने का चैलेंज किया, किन्तु वह फिर भी विवश रहे, उसके बाद अल्लाह ने उनकी विवशता का ऐलान कर दिया। सारे इंसान एवं जिन्न वह एक-दूसरे के सहायक हों फिर भी क़ुरआन जैसा कलाम पेश करने से विवश हैं। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

(ऐ पैग़म्बर) आप कह दीजिए यदि सारे इंसान एवं जिन्नात मिलकर भी इस प्रकार का क़ुरआन लाना चाहें तो इस

जैसा क़ुरआन कदापि नहीं ला सकते चाहे एक-दूसरे क़ा सहयोग भी करें। (सूरह इस्रा-८८)

क़ुरआने करीम यदि मुहम्मद ﷺ का कलाम होता तो मिष्टभाषी लोग उस जैसा क़ुरआन पेश कर देते किन्तु वह कलाम अल्लाह का है उसकी महानता इंसान के कलाम की तुलना में वैसे ही है जैसे स्वयं अल्लाह की महानता इंसान पर है।

अल्लाह का न कोई तुल्य है और न हो सकता है, इसी प्रकार उसके कलाम का भी कोई तुल्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि क़ुरआन अल्लाह का कलाम है तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह के कलाम को अल्लाह के पास से अल्लाह के रसूल ही पहुँचाते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

मुहम्मद तुम्हारे पुरूषों में से किसी के पिता नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं तथा नबियों के अंत करने वाले हैं तथा अल्लाह हर चीज को सही प्रकार से जानता है। (सूरह अहजाब-४०)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾

तथा हम ने (ऐ नबी) तुम्हें सारे लोगों के लिए शुभ सूचना देने वाला तथा यातना (अज़ाब) से डराने वाला बना कर भेजा है किन्तु बहुत से लोग इस बात का ज्ञान नहीं रखते। (सूरह सबा-२८)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

हम ने आप को सारे संसार के लिए रहमत बना कर भेजा है। (सूरह अंबिया-१०७)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

प्रथम आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि मुहम्मद ﷺ सारे लोगों के लिए रसूल हैं, वह अंतिम नबी हैं, आप के बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने अपने संदेश को पहुँचाने के लिए आप को चुन लिया क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि आप सबसे अधिक इसके लिए उपयुक्त हैं।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह ने आप को संपूर्ण विश्व के लिए रसूल बनाकर भेजा, गोरे हों या काले, अरब के हों या अरब के अतिरिक्त किसी और देश के, आप सब के लिए रसूल हैं। बहुत से लोग सत्य नहीं जानते इसीलिए वह मुहम्मद ﷺ की पैरवी नहीं करते तथा इस कारण गुमराह एवं कुफ़्र में भी फसें।

तीसरी आयत में अल्लाह तआला मुहम्मद ﷺ को संबोधित करके कह रहे हैं कि उसने उन्हें सम्पूर्ण जगत के लिए रहमत बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आप को रहमत बनाकर लोगों पर कृपा प्रदान किया, जो आप पर ईमान लाये तथा आप की पैरवी की उस ने अल्लाह की रहमत को स्वीकार किया तथा उसके लिए स्वर्ग (जन्नत) है, जो मुहम्मद ﷺ पर ईमान न लाये न उनकी पैरवी की तो उस ने अल्लाह की रहमत को ठुकरा दिया जिसके कारण आग एवं कष्टदायक यातना का भोगी हुआ।

अल्लाह तथा उसके रसूल मुहम्मद ﷺ पर ईमान लाने का निमंत्रण

ऐ बुद्धिमान ! हम तुझे अल्लाह पर जो ईश्वर है तथा मुहम्मद ﷺ पर जो उसके रसूल हैं ईमान लाने का निमंत्रण देते हैं, तथा उसके धार्मिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का आमन्त्रण देते हैं, वही धर्म इस्लाम है जिसका स्रोत महान क़ुरआन है और अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ की हदीसें हैं, अल्लाह ने आप की रक्षा की थी, आप वही आदेश देते जिसका अल्लाह ने आदेश दिया अथवा एवं चीज से रोकते जिससे अल्लाह ने रोका है इसलिए विशुद्ध हृदय से इस प्रकार कहिए :

मैं ईमान ले आता हूँ कि अल्लाह मेरा ईश्वर है वही अकेला मेरा पूजित है, तथा ईमान ले आता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं इसलिए उन्हीं की पैरवी की जाये, इसके अतिरिक्त कहीं मुक्ति नहीं है, अल्लाह मुझे तथा आप को मुक्ति एवं सौभाग्य का साधन प्रदान करे | आमीन

अध्याय - ३

सत्य धर्म (इस्लाम) की पहचान (मारिफ़त)

ऐ बुद्धिमान ! जब तुम्हें ज्ञान हो गया कि अल्लाह तआला तुम्हारा ईश्वर है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जीविका प्रदान किया, वही अकेला पूजित है जिसका कोई भागीदार नहीं, तुम पर अनिवार्य है क उसी की आराधना करो, तथा तुम्हें ज्ञान हो गया कि मुहम्मद अल्लाह के दूत (रसूल) हैं सारे लोगों के लिए तो यह भी आप ज्ञात कर लें कि अल्लाह एवं उस के दूत पर आप का ईमान उसी समय शुद्ध होगा जब आप इस्लाम धर्म की मारफ़त (पहचान) प्राप्त करें, अल्लाह ने इसी धर्म को अपनी प्रसन्नता का कारण बनाया, अपने अवतारों को इसी के प्रचार एवं प्रसार का आदेश दिया तथा अंतिम संदेश वाहक मुहम्मद ﷺ को भी इसी धर्म के साथ भेजा, तथा इसी के अनुसार कार्य करने को अनिवार्य किया।

इस्लाम का परिचय

अल्लाह के रसूल अंतिम संदेशवाहक ने फ़रमाया :

((الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله، و تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ان استعطت اليه سبيلا))

"इस्लाम यह है कि आप गवाही दें कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई (सच्चा) पूजित (माबूद) नहीं है, तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के दूत (रसूल) हैं, नमाज को क़याम करें, जकात अदा करें, रमजान के रोजे रखें और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर का हज करें।" (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी एवं मुस्लिम)

इस्लाम वह सांसारिक धर्म है जिसे अल्लाह ने सारे लोगों को अपनाने का आदेश दिया है, सारे अम्बिया इसी पर ईमान ले आये और अपने इस्लाम का एलान किया। अल्लाह तआला ने यह बात स्पष्ट कर दी कि इस्लाम ही सत्य धर्म है, इस के अतिरिक्त वह किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ﴾

नि:संदेह अल्लाह के निकट धर्म इस्लाम ही है। (सूरह आले इमरान:१९)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾

जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी और धर्म को चाहे तो कदापि उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा परलोक (आख़िरत) में वह घाटे उठाने वालों की पंक्तियों में होगा। (सूरह आले इमरान:८५)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

अल्लाह तआला सूचना दे रहे हैं कि उन के पास इस्लाम धर्म ही स्वीकृत योग्य है, दूसरी आयत में सूचित कर रहे हैं कि इस्लाम के अतिरिक्त कोई धर्म स्वीकृत योग्य नहीं है, मृत्यु के पश्चात केवल मुसलमानों को ही सौभाग्य प्राप्त होगा, तथा जिनकी मृत्यु इस्लाम पर न हो वह परलोक में क्षति में रहेंगे और नरक में यातना के भोगी होंगे।

इसीलिए सारे अवतारों ने अपने इस्लाम का एलान किया तथा जिसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उससे अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन किया, यहूदो नसारा में जिसे कल्याण एवं मुक्ति प्रिय हो उसे इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए और मुहम्मद ﷺ की पैरवी करनी चाहिए ताकि वह वास्तव में ईसा व मूसा अलैहिमुस्सलाम के अनुयायी हो सकें, क्योंकि मूसा एवं ईसा और सारे रसूल अलैहिमुस्सलाम मुसलमान थे तथा उन्होंने लोगों को

इस्लाम का निमंत्रण दिया था, अल्लाह के रसूल ﷺ की ईशदूतता के बाद से महाप्रलय (क़ियामत) तक किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को मुसलमान कहे और न अल्लाह तआला के निकट यह दावा स्वीकृत योग्य है किन्तु यह कि वह अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आये, उनकी पैरवी करे तथा क़ुरआन के अनुसार कार्य करे। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(ऐ पैग़म्बर) आप कह दीजिए यदि तुम अल्लाह से प्रेम रखते हो तो मेरे मार्ग पर चलो अल्लाह भी तुम से प्रेम रखेगा, तुम्हारे गुनाह को क्षमा कर देगा, अल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु है। (सूरह आले इमरान:३१)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

अल्लाह तआला अपने रसूल मुहम्मद ﷺ से फ़रमा रहे हैं कि वह लोगों पर यह बात प्रकट कर दें कि जो कोई अल्लाह से प्रेम का दावेदार है उसे चाहिए कि वह मेरी पैरवी करे फिर अल्लाह उन्हें प्रिय रखेगा, अल्लाह तआला न तुम्हें प्रिय रखेगा और न तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा किन्तु यह कि आप मुहम्मद ﷺ पर ईमान लायें और उनकी पैरवी करें।

यही धर्म इस्लाम है जो पूर्ण रूप से सत्य एवं सरल है सारे लोगों के लिए उतारा गया है, अल्लाह तआला इससे प्रसन्न है इसके

अतिरिक्त किसी और धर्म को वह स्वीकार करने वाला नहीं है, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾

आज मैंने तुम्हारे धर्म (दीन) को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया तथा अपनी नेमत (अनुकम्पा) तुम पर अंत कर दी तथा इस्लाम धर्म को तुम्हारे लिए पसन्द किया। (सूरह मायदा: ३)

आयत का संक्षिप्त भावार्थ :

यह आयत अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ पर "हज्जतुल विदाअ" के अवसर पर अरफ़ात के मैदान में नाज़िल हुई जबकि वह और मुसलमान अल्लाह के सामने दुआ एवं अल्लाह की याद में डूबे हुए थे, यह प्यारे रसूल ﷺ के जीवन का अंतिम काल था जबकि इस्लाम फैल चुका था क़ुरआन का नाज़िल होना सम्पूर्ण हो चुका था।

इस आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि उसने मुसलमानों के लिए उनके धर्म को पूर्ण कर दिया तथा उसने प्यारे नबी ﷺ को भेजकर, क़ुरआन नाज़िल फ़रमा कर, उन पर अपनी नेमत की पूर्ति कर दी और वह इस्लाम धर्म से सदैव के लिए प्रसन्न हो गया, इसके अतिरिक्त कोई और धर्म स्वीकृत योग्य नहीं, यह इस्लाम धर्म पूर्ण एवं एकत्र धर्म है तथा हर समय एवं हर स्थान के लिए अनुकूल है, यह ज्ञान एवं प्रतिभा, सत्यता

एवं सदाचारी और न्याय एवं सत्य का धर्म है, यह वह पूर्ण धर्म है जो जीवन के हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शन करता है। वह धर्म भी है और सत्ता का विधान भी है, राजनीति हो कि अर्थव्यवस्था, सामूहिक हो कि न्याय प्रबन्धन वह मानवीय आवश्यकताओं के लिए दीप स्तम्भ है जिस में मानवता की सांसारिक एवं परलोकिक कल्याण है।

इस्लाम का स्तम्भ

इस्लाम के पाँच स्तम्भ हैं, सच्चा मुसलमान होने के लिए उन पर ईमान लाना और उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है।

१. इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य के योग्य नहीं तथा मुहम्मद ﷺ अल्लाह के दूत (रसूल) हैं।

२. नमाज़ स्थापति करे।

३. ज़कात अदा करे।

४. रमज़ान के रोज़े रखे।

५. यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर का हज करे।

पहला स्तम्भ :

لا إله الا الله محمد رسول الله

ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना। यह गवाही अपने में एक अलग अर्थ रखती है, हरेक मुसलमान को इसका जानना और इस पर कार्य करना आवश्यक है, जिसने ज़ुबान से इस कलमा को अदा किया हो परन्तु न इस का अर्थ जानता हो और न ही इस पर कार्य करता हो तो उसे इस गवाही का कोई लाभ न होगा।

"ला इलाहा इल्लल्लाह" का अर्थ यह है कि आकाश एवं पृथ्वी में सत्य आराधित अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसके

अतिरिक्त हर आराधित असत्य है, 'इलाह' का अर्थ पूज्य के हैं। जो व्यक्ति अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की पूजा करता है वह काफ़िर है तथा अनेकेश्वरवादी (मुश्रिक) है चाहे वह किसी ईशदूत (नबी) या ऋषि मुनि (वली) ही की पूजा करे या इस उद्देश्य से उनकी पूजा करे कि वह अल्लाह के यहाँ स्रोत एवं साधन हैं, निकटता का माध्यम है फिर भी वह काफ़िर एवं अनेकेश्वरवादी (मुश्रिक) होगा, जिन अनेकेश्वरवादियों से अल्लाह के रसूल ﷺ ने धार्मिक युद्ध किया था वह भी ईशदूतों एवं ऋषि मुनियों की पूजा इसी तर्क वितर्क पर करते थे और उन्हें माध्यम एवं वसीला कहते थे किन्तु यह तर्क बड़ी बोदी एवं बहिष्कृत है इसलिए कि वसीला एवं माध्यम अल्लाह तआला के अच्छे नामों और अच्छे गुणों के द्वारा प्राप्त होगा और अच्छे कर्मों के द्वारा निकटता हासिल होगी, जैसे नमाज़, सदक़ा, ख़ैरात, रोज़ा, जिक्र, जिहाद एवं माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार आदि तथा जीवित मोमिन की दुआ अपने भाई के लिए जायज़ है।

उपासना (इबादत) की क़िस्में

दुआ :

अर्थात अपनी ऐसी आवश्यकताों का माँगना जिसको प्रदान करने का सामर्थ्य अल्लाह के अतिरिक्त कोई न रखता हो जैसे वर्षा का देना, रोगी का रोग निवारण करना जिस पर किसी मानव की शक्ति न हो, स्वर्ग की याचना करना, आग से मुक्ति माँगना, संतान जीविका और भाग्यशाली आदि के लिए माँगना।

यह सारी चीज़ें अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से नहीं माँगी जायेगी, जिस किसी ने जीवित और मृत्यु पाये मानव से यह चीज़ें माँगी तो वह उस की पूजा करने वाला माना जायेगा। अल्लाह तआला अपनें उपासकों (बन्दों) को आदेश दे रहा है कि वह केवल उसी की उपासना करे क्योंकि दुआ उपासना ही है, जिसने किसी ग़ैर से माँगा वह नरक का भोगी होगा।

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

तथा तुम्हारा रब फ़रमाता है मुझ से दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करूँगा; निस्संदेह जो लोग मेरी उपासना करने से कतराते हैं वह अवश्य अपमानित होकर नरक में प्रवेश करेंगे। (सूरह ग़ाफ़िर-६०)

अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भी पुकारा जाये तो वह किसी के लिए कण भर लाभ एवं हानि की शक्ति नहीं रखते हैं चाहे वह ईशदूत हों कि ऋषि मुनि।

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلا﴾

(ऐ पैग़म्बर) कह दो अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिनको (अल्लाह का भागीदार समझते हो) उन्हें पुकार कर देखो वह तो इतना भी सामर्थ्य नहीं रखते कि कोई दु:ख तुम्हारा

दूर कर दें या उसको हटा दें। (सूरह इस्रा:५६)

अल्लाह का कथन है :

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

तथा सारी मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं इसलिए अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। (सूरह जिन्न:१८)

उपासना की क़िस्मों में ज़बह, नज़र और नियाज़ भी है :

इंसान ज़बह करके ख़ून बहाकर नज़र व नियाज़ के द्वारा अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से निकटता प्राप्त न करे। जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए ज़बह किया हो तो उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे किसी ने क़ब्र या जिन्न के लिए ज़बह किया हो, इस कारण वह ग़ैरुल्लाह की पूजा एवं उपासना करने वाला ठहरा और धिक्कार का पात्र हुआ। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ O لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

आप कह दीजिए कि मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीवन और मेरी मृत्यु अल्लाह ही के लिए है, उसका कोई भागीदार नहीं है, तथा मुझको यही आदेश मिला है और मैं सब से पहले उसकी आज्ञा पालन करने वाला हूं। (सूरह अंआम: १६२,१६३)

अल्लाह के रसूल ﷺ का कथन है :

"لعن الله من ذبح لغير الله"

"अल्लाह का धिक्कार है उस पर जिसने अल्लाह के अतिरिक्त के वास्ते ज़बह किया हो।" (सहीह मुस्लिम)

यदि किसी ने ये कहा हो कि फ़लाँ के लिए मेरी नज़र है, यदि फ़लाँ काम हो जाये तो दान करूँगा या फ़लाँ काम करूँगा, यह नज़र शिर्क के अधीन है, इसलिए कि यह नज़र मानव के लिए हुई, धार्मिक एवं उचित नज़र का तरीक़ा यह है कि इंसान ये कहे : अल्लाह के लिए मेरी नज़र है यदि मेरा काम हो जाये तो मैं सदक़ा करूँगा या फ़लाँ नेक काम करूँगा।

उपासना की क़िस्मों में पनाह माँगना, सहायता माँगना और फ़रियाद करना भी है :

अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से सहायता न माँगी जाये न ही सहायता के लिए पुकारा जाये और न ही पनाह माँगी जाये। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

हम तेरी ही उपासना करते हैं तथा तुझ ही से सहायता माँगते हैं। (सूरह फ़ातिहा:४)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूँ प्रात: काल के रब की सभी प्राणी वर्ग के दुष्कृत्य से। (सूरह फलक़ :१,२)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"إنه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله"

"मुझसे सहायता नहीं माँगी जायेगी बल्कि अल्लाह से सहायता माँगी जायेगी।" (सही हदीस है तथा तबरानी ने रिवायत किया है)

एक और सहीह हदीस में नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया :

"اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله"

"जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो तथा जब सहायता माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो।" (तिर्मिज़ी)

जीवित एवं उपस्थित मनुष्य से उन्हीं चीज़ों में सहायता माँगना उचित है जिस पर उसका सामर्थ्य एवं पहुँच हो, किन्तु पनाह देने की क्षमता केवल अल्लाह ही के पास है अत: किसी और की पनाह चाहना उचित नहीं है, अनुपस्थित मनुष्य से या जिसकी मृत्यु हो चुकी हो उससे सहायता नहीं माँगी जायेगी और न फ़रियाद की जायेगी, इसलिए कि वह किसी चीज पर क्षमता नहीं रखता है चाहे नबी, वली या फ़रिश्ता ही क्यों न हो।

परोक्ष की बात अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, यदि किसी ने परोक्ष की बातों का दावा किया तो वह काफ़िर है उसको झुठलाना आवश्यक है, यदि कोई परोक्ष की चीज़ों की

भविष्यवाणी करे तथा वह वैसा ही हो जाये तो वह संयोगवश घटना माना जायेगा, अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"जो कोई किसी दैवज्ञ या ब्रह्माज्ञानियों के पास जाये तथा उसकी पुष्टि करे तो वह मुहम्मद ﷺ का काफ़िर माना जायेगा ।" (इसे इमाम अहमद और हाकिम ने रिवायत किया है ।)

उपासना की क़िस्मों में आशा करना, भरोसा करना और विनय एवं नम्रता भी है :

इंसान अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे पर भरोसा न करे, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे से आशायें न बाँधे, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे से डर एवं भय न करे ।

बड़े खेद की बात है कि बहुत से इस्लाम से संवन्ध रखने वाले लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे जीवित बुजुर्गों को या मृत्यु पाये हुए लोगों को (क़ब्र वालों को) पुकारते हैं, तथा उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता माँगते हैं, यह अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे की उपासना है, ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं है चाहे वह मुसलमान होने का दावा करे और "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुलल्लाह" की प्रतिज्ञा करे, नमाज रोजा की पाबन्दी करे और अल्लाह के घर का हज करे । अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

नि:संदेह आप की ओर और आप से पहले जो ग़ुजर चुके हैं (संदेशवाहक) उनकी ओर भी वह्यी की गई थी कि यदि तुम ने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो तुम्हारा कर्म अकारत चला जायेगा और तुम घाटे वालों में से हो जाओगे। (सूरह ज़ुमर:६५)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

नि:संदेह जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर स्वर्ग (जन्नत) हराम कर दिया है उसका ठिकाना नरक है अर्थात अत्याचारों का कोई सहायक नहीं। (सूरह मायदा:७२)

अल्लाह तआला ने अपने नबी से फ़रमाया कि वह लोगों से कह दें :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ (अंतर यह है कि) मेरे पास अल्लाह की ओर से वह्यी आती है कि

तुम्हारा अल्लाह वही एक सच्चा पूजित है इसलिए जिसे अपने रब से मिलने की आशा हो उसको चाहिए कि वह अच्छा कर्म करे और अपने रब की उपासना में किसी को भागीदार न बनाये। (सूरह अल-कहफ़:११०)

मूर्ख लोगों को उनके गुमराह और बुरे विद्वानों (आलिमों) ने धोखा में रखा है, यह विद्वान तो कुछ धार्मिक नियमों को जानते हैं किन्तु तौहीद (अद्वैतवाद) जो इस्लाम धर्म का आधार है उससे अपरचित हैं, अभिस्ताव एवं वसीला के नाम पर शिर्क का निमंत्रण देते हैं, शिर्क के अर्थ से अज्ञानता इसका मुख्य कारण है, इसका उनके पास कोई तर्क नहीं सिवाय बेकार एवं व्यर्थ कष्ट कल्पनाओं के या झूठी हदीसों के या फिर कथाओं एवं कहानियों के, सपना है जिसे शैतान ने उनके लिए सजा संवार रखा है, जिसके द्वारा वह ग़ैरुल्लाह की उपासना का औचित्य खोज निकालते हैं, शैतान एवं काम वासना की इच्छा की पैरवी और अपने बाप दादा के मार्ग पर चलते हुए शिर्क को उचित कर रखा है जैसाकि पहले के मुश्रेकीन का हाल था।

अल्लाह तआला ने क़ुरआन में जिस माध्यम (वसीला) की चर्चा की है :

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

अर्थात उसका वसीला तलाश करो (सूरह मायेदा:३५)

इससे तात्पर्य नेक कर्म हैं जिसे अल्लाह की 'तौहीद' (अद्वैतवाद) नमाज़, रोज़ा, सदक़ा, ख़ैरात, हज, जिहाद, अम्र बिल मारूफ़ व

नहि अनिल मुनकर (नेक कामों का आदेश और बुराई से रोकना) और सिलह रहमी (सहनशीलता) आदि हैं। मृतकों को पुकारना और उनसे सहायता माँगना आपत्तियों के समय उनकी दोहाई देना यह सब उनकी उपासना है।

अभिस्ताव (शिफ़ाअत):

नबियों, औलियाओं और दुसरे मुसलमान जिन्हें अल्लाह तआला अभिस्ताव की अनुमति दे उनका अभिस्ताव सत्य है। हम उस पर ईमान लाते हैं, किन्तु यह अभिस्ताव मृतकों से नहीं माँगी जायेगी, इसलिए कि वह अल्लाह का अधिकार है, अल्लाह की अनुमति के बिना किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, मोमिन बन्दा इसे अल्लाह ही से माँगता है और यूँ कहता है :

ऐ अल्लाह तेरे रसूल और तेरे नेक बन्दों को मेरा अभिस्ताव करने वाला बना दे, वह यूँ नहीं कहता : ऐ फ़लां बुज़ुर्ग आप मेरा अभिस्ताव करें इसलिए कि वह मृत्यु पा चुके हैं तथा मृतकों से कोई चीज माँगी नहीं जायेगी। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

आप फ़रमा दीजिए कि अभिस्ताव तो अल्लाह के हाथ में है, आकाश एवं पृथ्वी में उसी का शासन है, फिर तुम्हें लौटकर उसी के पास जाना है। (सूरह ज़ुमर: ४४)

इस्लाम विरोधी बिदअतों में से यह भी बिदअत है कि क़ब्रों को

सजदा करने का स्थान बनाया जाये, उस पर दीप जलाया जाये, उस पर भवन निर्माण किया जाये, उस पर लिखा जाये, उसे ठोस बनाया जाये, उस पर चादरें चढ़ाई जायें और उस के पास नमाज़ पढ़ी जाये, इन सारी चीज़ों से अल्लाह के रसूल ﷺ ने मना फ़रमाया है, इसलिए कि यह चीज़ें ग़ैरुल्लाह की उपासना का मुख्य कारण बनती हैं इसलिए यह हदीसें सहीहैन अथवा सुनन में मौजूद हैं।

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बहुत सारे देशों में नादान लोग क़ब्रों पर जो कुछ कर रहे हैं वह अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, कुछ प्रसिद्ध क़ब्रें यह हैं, बदवी और सय्यदा ज़ैनब की क़ब्र मिश्र में, जीलानी की क़ब्र ईराक़ में, अहले बैत की ओर संबन्धित नजफ़ व कर्बला की क़ब्रें, अली हजवेरी की क़ब्र पाकिस्तान में, चिश्ती की क़ब्र अजमेर में और इसके अतिरिक्त बहुत सारी क़ब्रें बहुत से देशों में पाई जाती हैं, उसका तवाफ़ उनसे अपनी आवश्यकताओं की माँग, उनसे लाभ एवं हानि की आशा ...... यह सारी चीजें शिर्क हैं जो यह काम कर रहे हैं वह मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) हैं गुमराह हैं, चाहे वह इस्लाम का दावा करें, नमाज़, रोज़ा एवं हज की पाबन्दी करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान से कहते रहें, क्योंकि ज़ुबान से केवल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से कोई मुसलमान नहीं होगा अपितु उसका अर्थ जानना और उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक है, ग़ैर मुस्लिम यदि हो तो केवल कलमा शहादत को अदा करते ही मुसलमान समझा जायेगा यहाँ

तक कि उससे कोई ऐसा काम हो जाये जिससे उसका पुराने शिर्क पर स्थिर रहना मालूम हो, उन नादानों की तरह, या धार्मिक अनिवार्यता को वताये जाने के बाद भी वह किसी अनिवार्यता से इंकार करे, या इस्लाम धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म पर भी इमान ले आये तब वह इस्लाम से निष्कासित माना जायेगा।

नवियों और औलियाओं[1] को कुछ पता नहीं कि लोग उन्हें पुकारते हैं उनसे वह मुक्त हैं, जो उन्हें पुकारते हैं उनसे सहायता मांगते हैं, अल्लाह ने अपने रसूलों को केवल एक अल्लाह की उपासना का निमंत्रण देने और ग़ैरुल्लाह की उपासना छोड़ने की शिक्षा देने के लिए भेजा था, वह ग़ैरुल्लाह चाहे नवी

---

[1] अल्लाह के औलिया से तात्पर्य वह लोग हैं जो अल्लाह के एक होने को मानते हैं उसके आज्ञाकारी होते हैं तथा अल्लाह के रसूल ﷺ की पैरवी करते हैं, उनमें से कुछ अपने ज्ञान और जिहाद (धार्मिक युद्ध) के कारण प्रकट हो जाते हैं और कुछ प्रकट भी नहीं होते, जो प्रसिद्ध एवं विदित हैं वह यह नहीं चाहते कि लोग उनकी पवित्रता वयान करें, जो वास्तव में औलिया हैं वह अपने औलिया होने का दावा नहीं करते वल्कि वह अपने आप को छोटा ही समझते हैं, उनका न कोई विशेष वस्त्र होता है और न कोई वेश-भूषा विशेष होता है, वह केवल हर चीज़ में अल्लाह के रसूल ﷺ के तरीका को ही अपनाते हैं, हर मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) मुसलमान जो अल्लाह के रसूल का अनुयायी भी हो उसकी संयमता एवं सदाचारिता के आधार पर उसके अन्दर वली या ऋषि होने का गुण पाया जाता है। इस परिचय से यह बात स्पष्ट होती है कि जो लोग अपने आप को औलिया होने का दावा करते हैं और एक विशेष वस्त्र पहना करते हैं ताकि लोग उनकी आदर एवं सम्मान करें, वह औलिया नहीं हैं वल्कि झूठे हैं।

हों, वली हों या कोई और हों।

अल्लाह के रसूल ﷺ तथा औलिया से प्रेम, उनकी उपासना करने में नहीं है क्योंकि उनकी उपासना करना उनकी प्रतिकूलता है, उनसे प्रेम यह है कि उनका अनुकरण किया जाये, उनके बताये हुए तरीक़ा पर चला जाये। सच्चा मुसलमान नबियों तथा औलियाओं को प्रिय रखता है किन्तु वह उनकी उपासना नहीं करता, हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ का प्रेम हम पर आवश्यक है, अपने आप से परिवार जनों एवं सारे लोगों से भी अधिक आप को प्रिय रखना आवयक है।

फ़िरक़ा नाजिया (मुक्ति पाने वाला वर्ग) :

मुसलमान संख्या के अनुसार तो वहुत हैं किन्तु वास्तव में वह कम हैं। इस्लाम की ओर संवन्ध रखने वाले फ़िर्क़े वहुत अधिक हैं उनकी संख्या ७३ तक पहुँचती है जिनकी कुल संख्या एक हज़ार मिलयन[1] से अधिक हैं, परन्तु सच्चा मुसलमान का वर्ग वास्तव में एक ही है, यह वही है जो अल्लाह के एक होने को मानता है और 'अक़ीदा' (विश्वास) एवं व्यवहार में मुहम्मद ﷺ तथा उनके सहावा के तरीक़ा पर हो, जैसाकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة ، وافترقت

[1] यह संख्या पुस्तक के संकलन के समय की है।

النصارى على اثنيتن وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة قال الصحابة: من هى يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابى"

"यहूद (७१) एकहत्तर वर्गों में बट गहे तथा नसारा (७२) बहत्तर वर्गों में बट गये और यह उम्मत तिहत्तर (७३) वर्गों में बट जायेगी। सारे के सारे आग में होंगे सिवाय एक के। सहाबा ने पूछा वह कौन सा वर्ग है ऐ अल्लाह के रसूल ? आप ने फ़रमाया : जो इस तरीक़ा पर हों जिस पर कि मैं और आज मेरे सहाबा हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

नबी ﷺ और सहाबा का तरीक़ा यह था :

ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर विश्वास एवं अक़ीदा तथा उसके अनुसार व्यवहार। अल्लाह ही को पुकारें, ज़बह और नज़र उसी के लिए करें, सहायता एवं फ़रियाद उसी से की जाये, उसी से पनाह माँगी जाये, लाभ एवं हानि का मालिक भी उसी को समझा जाये। इस्लाम का स्तम्भ भी उसी के लिए शुद्ध हृदय के साथ अदा किया जाये, उसके फ़रिश्तों की, किताबों की, रसूलों की, मृत्यु के पश्चात जीवन की, लेखा-जोखा की, स्वर्ग-नरक की पुष्टि और अच्छे एवं बुरे भाग्य पर ईमान लाया जाये। जीवन के हर क्षेत्र में क़ुरआन को निर्णायक माना

जाये, अल्लाह के मित्रों से मित्रता एवं अल्लाह के शत्रुओं से शत्रुता रखी जाये, उसी की ओर निमंत्रण दिया जाये, उसके लिए जिहाद (धार्मिक युद्ध) किया जाये, अपने राजा एवं ख़लीफ़ा की अच्छी बातों में आज्ञा पालन किया जाये। जहाँ कहीं भी हो सत्य का बोलबाला करें, नबी ﷺ और उनकी पत्नियों एवं उनकी संतानों से प्रेम एवं मित्रता का सम्बन्ध हो, नबी करीम ﷺ के सारे सहाबा से प्रेम किया जाये तथा उन की प्रतिष्ठा के अनुसार उनकी श्रेणियाँ नियुक्त की जायें, इन सबसे सहमति का प्रकटन किया जाये, उनके विरोधों में गुस्ताख़ी न की जाये बल्कि ख़ामोशी अपनाई जाये, मुनाफ़िक़ीन (द्वयवादी) तथा गुमराह लोगों ने उनके व्यक्तित्व में जो कुछ कटाक्ष किये हैं उसकी पुष्टि न की जाये, उन मुनाफ़िक़ीन ने इसके द्वारा मुसलमानों में फूट डालने की चेष्टा की, कुछ विद्वानों एवं इतिहासकारों ने धोखा से उसे स्वीकार कर लिया तथा अपनी किताबों में लिख दिया यह उनकी भूल है।

जो लोग अहले बैत होने का दावा करते हैं तथा अपने आप को "सादात" (सैय्यद क़ौम) कहलवाते हैं उन्हें अपने नस्ब (गोत्र) से संबन्धित जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए। अल्लाह ने उस व्यक्ति पर धिक्कार किया है जो दूसरे के पिता की ओर अपने आप को जोड़े, यदि उन का गोत्र सिद्ध हो जाये तो उन्हें चाहिए कि वह हर मामला में अल्लाह के रसूल ﷺ का अनुसरण करें, ख़ालिस तौहीद को आवश्यक जानें, बुराईयों को छोड़ दें, यदि लोग उनके लिए

झुकें या उनके पाँव चूमें तो उनसे अप्रसन्नता व्यक्रत करें, अपने लिए किसी विशेष लिबास को न अपनायें, क्योंकि यह सारी चीज़ें रसूल की सुन्नत के विरूद्ध हैं। अल्लाह के रसूल ﷺ इनसे मुक्त हैं, अल्लाह के निकट सब से अधिक संयमी ही सबसे अधिक मान्य वाला है।

"صلى الله على نبينا وآله وسلم تسليما"

क़ानून बनाने का अधिकार केवल अल्लाह के लिए है

जहाँ भी इस्लामी शास्त्र का अधिपत्य होगा वहाँ न्याय, दया और श्रेष्ठा का बोलबाला होगा।

ला इलाहा इल्लल्लाहु के अर्थ में इस बात का भी आस्था रखना और उस पर अमल करना आवश्यक है कि : क़ानून एवं शास्त्र को बनाने का इख़्तियार केवल अल्लाह के लिए विशेष है, किसी मानव को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा क़ानून बनाये जो इस्लामी शास्त्र के विरूद्ध हो, किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं है कि अल्लाह के क़ानून से हट कर न्याय करे, इस्लामी शरीअत के विरूद्ध किसी आदेश से वह प्रसन्न न रहे और न किसी को यह अधिकार है कि वह हलाल को हराम करे या हराम को हलाल करे, जो कोई यह अनुचित कार्य करेगा जान बूझकर धर्म के विरोध की नीयत से और उससे प्रसन्न होगा तो वह काफ़िर हो जायेगा, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

तथा जो कोई अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार न्याय न करे तो वह काफ़िर है। (सूरह मायदा:४४)

रसूलों के भेजने का उद्देश्य :

अल्लाह तआला ने रसूलों को कलमये तौहीद (ला इलाहा इल्लल्लाह) का निमंत्रण देने और शिक्षा देने के लिए भेजा, यानि

एक ही अल्लाह की उपासना की जाये तथा मानव की उपासना से बचा जाये, उसी के शास्त्र को आदेश बनाया जाये और सारी चीज़ों से विमुखता की जाये।

जो क़ुरआन को दूरदर्शिता के साथ पढ़ेगा तथा अंधविश्वास से मुक्त होगा वह हमारी बयान की हुई चीज़ों को सत्यता के साथ स्वीकार करेगा, यह बात भी उस पर प्रकट होगी कि अल्लाह तआला ने अपने बंदों के बीच सीमायें निश्चित कर रखी हैं, अल्लाह और मोमिन (ईश्वरवादी) बंदा का सम्बन्ध यह है कि वह केवल एक अल्लाह की उपासना करे, उसका तथा नबियों एवं नेक बंदों का सम्बन्ध यह है कि वह उनसे प्रेम एवं मुहब्बत रखे (जो कि अल्लाह की मुहब्बत के अधीन हो) उन की पैरवी करे, मोमिन बन्दा का संबन्ध काफ़िरों से घृणा एवं बैर पर आधारित होगा इसलिए कि अल्लाह उनसे बैर रखता है, इसके बावजूद वह उन्हें इस्लाम का निमंत्रण देता रहेगा, शायद कि उन्हें निर्देश (हिदायत) मिल जाये, यदि वह इस्लाम का इंकार करे या अल्लाह के आदेश के सामने सिर झूकाने से इंकार करे तो फिर उनसे जिहाद किया जायेगा, ताकि दुनिया में फ़ितना समाप्त हो जाये, और सारा धर्म अल्लाह ही के लिए हो, यह कलमये तौहीद (ला इलाहा इल्लल्लाह) के अर्थ है, सच्चा मुसलमान होने के लिए इस का जानना और उस पर कार्य करना अनिवार्य है।

अल्लाह के रसूल मुहम्मद ﷺ की गवाही का अर्थ :

अल्लाह के रसूल मुहम्मद ﷺ की गवाही देने का अर्थ यह है कि आप इस बात का ज्ञान एवं विश्वास रखें कि मुहम्मद ﷺ सारे

लोगों के लिए रसूल हैं और वह बंदा हैं उनकी उपासना न की जाये, रसूल हैं इसलिए झुठलाये न जायें बल्कि उनकी आज्ञाकारी एवं पैरवी की जाये, जिसने उनकी पैरवी की वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जिसने उनकी अवज्ञा की वह आग में होगा, इस बात का ज्ञान एवं विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र चाहे उपासना में हो, आदेश एवं राजनीति में हो और उचित एवं अनुचित करने में हो वह केवल रसूल अकरम ﷺ से ली जायेगी, क्योंकि वह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की ओर से शास्त्र पहुँचाते हैं जो आदेश अल्लाह के रसूल के माध्यम से न हो वह स्वीकृत योग्य नहीं है, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

तथा जो तुम्हें रसूल दें तुम उसे ले लिया करो और जिस चीज़ से रोकें रुक जाया करो। (सूरह अल-हश्र-७)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(ऐ पैग़म्बर) तुम्हारे रब की क़सम वह मोमिन नहीं होंगे जब तक यह आपसी झगड़ों में आप को पंच एवं निर्णय करने वाला न बना लें, फिर आप के निर्णय से दिलों में कोई क्षति एवं संकीर्णता महसूस न करें और प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लें। (सूरह निसा:६५)

दोनों आयतों की व्याख्या :

पहली आयत में अल्लाह तआला मुसलमानों को आदेश दे रहे हैं कि वह उसके रसूल मुहम्मद ﷺ का हर मामला में पैरवी करें और हर उस चीज से रुक जायें जिस से आप ﷺ ने रोका है, इसलिए कि आपका आदेश एवं आप का प्रतिबंध अल्लाह की ओर से होता है।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला क़सम खा कर फ़रमा रहा है कि अल्लाह और रसूल पर ईमान उस समय तक सहीं नहीं होगा जब तक अपने आपसी विरोधों में अल्लाह के रसूल ﷺ को निर्णय करने वाला न बना लें, फिर उस आदेश को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लें चाहे वह अपने हित में हो या न हो, अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد"

"जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो हमारे तरीक़ा पर न हो तो वह काम स्वीकृत योग्य नहीं है उसे रद कर दिया जायेगा।" (सही मुस्लिम)

निमंत्रण का विचार :

ऐ बुद्धिमान ! जब तुझे "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" का अर्थ मालूम हो गया और इससे भी परिचित हो गये कि 'शहादत' (गवाही) इस्लाम की कुंजी है, इसका आधार है, जिस पर इस्लाम धर्म का भवन स्थिर है तो तुझे चाहिए कि पवित्र

हृदय से "अश्हदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" का समर्थन करे तथा इस 'शहादत' के अनुसार कार्य करे ताकि लोक एवं परलोक में कल्याण प्राप्त हो और परलोक में कष्ट से मुक्ति भी मिले।

यह भी मालूम होना चाहिए कि "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही की माँग है कि इस्लाम के सभी आधारों पर चला जाये, अल्लाह ने इन आधारों को इसीलिए अनिवार्य किया है कि मुसलमान इन्हें सत्यता एवं निर्मलता के साथ अदा करके अल्लाह तआला की उपासना करे, जिसने बिना किसी धार्मिक बाधा के किसी भी आधार को छोड़ दिया उसने "ला इलाहा इल्लल्लाह" के अर्थ में बाधा डाला इसलिए उसकी गवाही विश्वस्त नहीं होगी।

इस्लाम के स्तंभों का दूसरा आधार : नमाज़

इस्लाम का दूसरा आधार नमाज़ है। दिन रात मिलाकर पाँच नमाज़ें हैं, अल्लाह तआला ने अपने और बन्दों के बीच सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए इसे अनिवार्य किया है, जिसमें वह अपने अल्लाह से अपने मन की बातें करता है, उससे दुआ माँगता है, यह नमाज मुसलमानों को निर्लज्जता एवं दुराचारी से बचाने का साधन है। इससे उसे शारीरिक एवं हार्दिक सुख मिलता है, आराम एवं संतोष मिलता है और इससे उसकी दुनिया व आख़िरत बनती है।

नमाज के लिए अल्लाह ने शरीर, वस्त्र और नमाज़ के स्थान की पवित्रता का आदेश दिया है, मुसलमान पवित्र पानी से पवित्रता

प्राप्त करता है मालीनता को दूर करता है जैसे पेशाब एवं पैख़ाना । नमाज़ के द्वारा वह अपने शरीर को मालीनता से और अपने हृदय को मैलापन से पवित्र करता है।

नमाज़ इस्लाम धर्म का स्तंभ है, "कलमये तौहीद" के बाद सब से मुख्य आधार यही है, मुसलमान पर अनिवार्य है कि युवावस्था में पहुँचने के बाद से मृत्यु तक इसकी पाबन्दी करे, उस पर आवश्यक है कि वह अपने घर के लोगों को इसका आदेश दे और जब बच्चे सात वर्ष के हो जायें तो उन्हें भी इसकी शिक्षा दे ताकि वह इसका आदी बन सकें। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

नि:संदेह नमाज़ मोमिनों पर निश्चित समय में अनिवार्य है। (सूरह निसा:१०३)

अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

हालाँकि उन्हें यही आदेश दिया गया था कि एक ही अल्लाह की उपासना करें पूर्ण शुद्धता के साथ, दीन को उसके लिए ख़ालिस करते हुए और नमाज़ स्थापित करें, ज़कात अदा करें क्योंकि यही सत्य धर्म है । (सूरह बैय्यना:५)

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ :

पहली आयत का उद्देश्य यह है कि नमाज मुसलमानों पर अत्यन्त आवश्यक है, उन्हें चाहिए कि निश्चित समय पर उसे अदा करें, दूसरी आयत में अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह ने जिस उद्देश्य के लिए उन्हें जन्म दिया और जो आदेश उन्हें दिया वह केवल यह है कि वह एक ही अल्लाह की उपासना करें, नमाज़ स्थापित करें और सहायता योग्य लोगों को 'ज़कात' (दान) दिया करें।

नमाज़ मुसलमानों पर हर हाल में आवश्यक है, रोग की हालत में भी उस पर अनिवार्य है, सामर्थ्य के अनुसार ठहर कर या बैठकर या लेटकर अदा करेगा, यहाँ तक कि यदि हिलने की शक्ति न हो तो आँख एवं दिल के संकेतों ही से नमाज़ पढ़ेगा, रसूले अकरम ﷺ ने फ़रमाया :

"नमाज़ छोड़ने वाला मुसलमान नहीं है, पुरूष हो कि महिला।"

आप का कथन है :

"العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"

"हमारे और काफ़िरों के बीच नमाज़ का वचन है जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ़्र किया।" (सही हदीस)

पांच नमाज़ें निम्नलिखित हैं :

फ़ज्र, ज़ोहर, अस्र, मग़रिब और ईशा। फ़ज्र की नमाज का समय पूरव में सुवह की लाली प्रकट होने से आरम्भ होती है तथा सूर्य

के उदय पर समाप्त होता है, अंतिम समय तक विलम्ब करना जायज़ नहीं है।

ज़ोहर का समय ज़वाल (सूर्य के पतन) से आरम्भ होता है और हर चीज़ का छाया उसके सामान होने तक रहता है, ज़वाल की छाया को छोड़कर हिसाब किया जायेगा, अस्र का समय ज़ोहर के समय के सामप्त होने के बाद आरम्भ होता है, सूर्य के पीला होने तक रहता है, अंतिम समय तक नमाज़ की अदाईगी में विलम्ब करना जायेज़ नहीं है, बल्कि जब सूर्य में सफेदी एवं चमक हो उसी समय अदा कर लेनी चाहिए, मग़रिब का समय सूर्य डूबने से आरम्भ हो जाता है तथा आकाश की लाली समाप्त होने तक रहता है, अंतिम समय तक़ विलम्ब करना सही नहीं है, मग़रिब का समय समाप्त होने के बाद ईशा के समय का आरम्भ होता है तथा आधी रात तक बाक़ी रहता है इस से अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता।

यदि किसी मुसलमान ने बिना किसी धार्मिक कारण के नमाज़ में भी इतना विलम्ब कर दिया कि उसका समय निकल जाये तो उसने महा अपराध किया, उस पर आवश्यक है कि वह तौबा करे और दोबारा इस प्रकार का अपराध न करे।

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ○ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾

फिर तबाही है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ों की चिंता नहीं करते। (सूरह माऊन: ४,५)

नमाज़ के अहकाम

प्रथम : तहारत (पवित्रता)

नमाज में प्रवेश करने से पहले मुसलमान पर आवश्यक है कि वह पवित्रता प्राप्त करे, अपने गुप्तांग को साफ़ करे यदि उससे पेशाब या पैख़ाना निकला हुआ हो तो फिर वुज़ू करे।

वज़ू :

अपने दिल में पवित्रता की नियत करे ज़ुबान से कुछ न कहे इसलिए कि अल्लाह दिल के संकल्प को जानने वाला है, अल्लाह के रसूल ﷺ ज़ुबान से नियत को प्रकट नहीं करते थे, फिर बिस्मिल्लाह कहे फिर कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और नाक झाड़े, पूरे चेहरे को धोये, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोये, दाहिने हाथ से शुरू करे, दोनों हाथों से पूरे सिर का मसह करे, कानों का मसह करे, दोनों पावों को टखनों तक धोये, दाहिने पाँव से शुरू करे।

वज़ू के बाद यदि हवा, पेशाब, पैख़ाना निकल जाये या नींद और बेहोशी के कारण बुद्धि जाती रहे तो नमाज के लिए उसे दोबारा वज़ू करना चाहिए।

यदि मुसलमान जनाबत (अशौच) की हालत में हो यानी पुरूष महिला के संभोग से मनी (वीर्य) निकली हो अथवा संभोग के बिना ही चाहे नींद ही में क्यों न हो तो वह पूरे शरीर को स्नान के द्वारा पवित्रता प्राप्त करेगा, महिला यदि हैज़ (मासिक धर्म) या

निफ़ास (प्रसव रक्त) से पवित्र हो तो उस पर भी आवश्यक है कि पूरे शरीर को स्नान के द्वारा पवित्रता प्राप्त करे। मासिक धर्म वाली और प्रसव रक्त वाली महिला की नमाज़ सही नहीं है जब तक कि वह पवित्र न हो जाये, उन पर नमाज़ अनिवार्य भी नहीं है। अल्लाह ने उन पर यह आसानी की है कि हैज़ व निफ़ास में जो नमाज़ें छूट जायें उसकी क़ज़ा भी नहीं की जायेगी, इसके अतिरिक्त जो चीज़ें छूट जायें उस की क़ज़ा की जायेगी पुरूष की तरह।

तयम्मुम :

जिसे पानी न मिले या पानी का प्रयोग उसके लिए हानिकारक हो जैसे कोई बीमार हों तो ऐसी अवस्था में वह तयम्मुम के द्वारा पवित्रता प्राप्त करेगा।

तयम्मुम का तरीक़ा :

दिल में पवित्रता की नियत करे फिर बिसमिल्लाह कहे, मिट्टी पर दोनों हाथों को एक बार मारे, उन्हें चेहरे पर मले फिर बायें हथेली से दायें हाथ के ऊपरी भाग पर मसह करे और दायीं हथेली से बायें हाथ के ऊपर मसह करे, इस प्रकार उसे पवित्रता प्राप्त हो जायेगी और यही तयम्मुम का तरीक़ा है, मासिक धर्म एवं प्रसव रक्त वाली महिला के लिए जब वह पवित्र हो तथा 'जुंबी' के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जो वज़ू करना चाहे और पानी न मिले या उसके प्रयोग से क्षति का भय हो।

द्वितीय : नमाज़ का तरीक़ा

१. फ़ज्र की नमाज़ : इसकी दो रिकअत हैं, सबसे पहले मुसलमान क़िबला की ओर मुँह करके खड़ा होगा, क़िबला से तात्पर्य काबा है जो मक्का में 'मस्जिदे हराम' में स्थापित है, दिल में यह नियत करे कि मैं फ़ज्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ ज़ुबान से नियत के शब्द नहीं अदा करे फिर अल्लाहु अकबर कहे उसके बाद नमाज़ आरम्भ करने की कोई दुआ पढ़े, एक दुआ यह भी है।

"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

"तेरी पवित्रता है ऐ अल्लाह ! तेरी प्रशंसा के साथ, तेरा नाम बरकत वाला है, तेरी शान ऊँची है, तेरे अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित नहीं है, मैं मरदूद शैतान से तेरी पनाह चाहता हूँ।"

फिर सूरह फातिहा पढ़े :

﴿بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ O الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ O الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ O مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ O إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ O اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ O صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो रहमान और रहीम है, हर प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है वह

रहमान और रहीम है, न्याय के दिन का मालिक है, हम तेरी ही उपासना करते हैं, तथा तुझ ही से सहायता चाहते हैं, हमें सीधे मार्ग पर चला उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने दया की, उन लोगों के मार्ग पर नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और न उन लोगों के मार्ग पर जो पथभ्रष्ट हुए।

क़ुरआन को अरबी ज़ुबान ही में पढ़ना आवश्यक है।[1] फिर अल्लाहु अकबर कहे और रुकूअ करे इसमें अपनी पीठ एवं सिर को नीचा करे, अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखे और यह दुआ पढ़े: "سبحان ربي العظيم" "मेरे महान पालक की पवित्रता है।" फिर कहे : "سمع الله لمن حمده" कहते हुए सिर उठाये जब सीधा खड़ा हो जाये तो यह दुआ पढ़े : "ربنا ولك الحمد" "ऐ मेरे रब तेरे ही लिए प्रशंसा है।" फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में चला जाये, सजदा में दोनों पाँव की अंगुलियाँ दोनों हाथ, दोनो घुटने, पेशानी और नाक ज़मीन पर लगनी चाहिए। सजदा में यह दुआ पढ़े : "سبحان ربي الاعلى""मेरे ऊँचे एवं उत्तम रब की पवित्रता हो।" फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ बैठ जाये और यह दुआ पढ़े : "رب اغفرلي" "ऐ मेरे रब मेरी मुक्ति फ़रमा।"

---

[1] यदि क़ुरआन को अरबी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में पढ़ा जाये तो वह क़ुरआन नहीं होगा, इसलिए कि क़ुरआन के शब्दों का अनुवाद असंभव है बल्कि उसके अर्थों का अनुवाद होता है, उसके अक्षर एवं शब्द का यदि अनुवाद किया जाये तो उसकी अलंकृत शैली समाप्त हो जाती है उसके कुछ अक्षर समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार वह क़ुरआन बाक़ी नहीं रह जाता।

फिर अल्लाहु अकबर कहे तथा दूसरा सिजदा करे, इसमें "سبحان ربي الاعلى" पढ़े फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाये, फिर सूरह फ़ातिहा जैसाकि पहली रिकअत में पढ़ा था वैसे ही पढ़े, फिर तकबीर कहे और रुकूअ करे, रुकुअ से उठे तो सजदा करे। सजदा से बैठे फिर दूसरा सजदा करे, इन सभी अवसरों पर वही शब्दों एवं दुआवों को पढ़े जिसको पहली रिकअत में पढ़ा था, दो रिकअतों के बाद बैठे तो यह पढ़े :

"التحيات لله ، والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله"

"सभी मौखिक, शारीरिक और आर्थिक उपासनायें अल्लाह ही के लिए हैं, ऐ नबी आप पर अल्लाह का सलाम एवं उसकी दया और बरकत हो, हम पर भी तथा सारे नेक बंदों पर भी सलाम हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित नहीं है और इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के बन्दे एवं उसके रसूल हैं।"

"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد" ·

"ऐ अल्लाह मुहम्मद पर और मुहम्मद की संतान पर तू रहमत भेज जैसाकि तूने इब्राहीम और इब्राहीम की संतान पर रहमत भेजा।"

फिर दायें-बायें दोनो ओर "अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातोहू" कहते हुए सलाम फेरे[1] इस प्रकार सुबह यानी फ़ज्र की नमाज़ पूरी हुई।

२. ज़ोहर, अस्र तथा ईशा की नमाज़ : चार रिकअत हैं, पहले दो रिकअतें उसी प्रकार अदा करेगा जिस प्रकार फ़ज्र की दो रिकअतें अदा कीं थी किन्तु 'तश्हहुद' में बैठने और उसकी दुआयें पढ़ने के बाद सलाम नहीं फेरेगा बल्कि खड़ा हो जायेगा तथा तीसरी एवं चौथी रिकअत पढ़ेगा जैसाकि पहली दो रिकअतों को अदा किया था, अंतिम रिकअत में 'तश्हहुद' में बैठेगा 'अत्ताहियात' पढ़ेगा, फिर दरूद पढ़ेगा फिर दायें-बायें सलाम फेरेगा।

३. मग़रिब की नमाज़ : मग़रिब की नमाज़ में तीन रिकअत होते हैं दो रिकअत वैसे ही पढ़ेगा जैसाकि ऊपर बयान हो चुका है फिर 'तश्हहुद' में बैठेगा, 'तश्हहूद' पढ़ने के बाद तीसरी रिकअत के लिए खड़ा हो जायेगा तीसरी रिकअत में वही कुछ करेगा जो

---

[1] 'दरूद' के बाद भी अल्लाह के रसूल ﷺ से दुआयें साबित हैं : लेखक ने यहां उसकी चर्चा नहीं की है जैसे :

"اللهم انى أعوذبك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال-" या "اللهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم"

इससे पहले कि रिकअतों में कर चुका है, दूसरे सजदा के बाद 'तश्हहुद' में बैठेगा, अत्तहियात, दरूद और दुआ के बाद दायें-बायें सलाम फेरेगा, रुकूअ एवं सुजूद की दुआयें बार-बार दोहरायेगा क्योंकि बार-बार दोहराना ज़्यादा अफ़ज़ल है।

पुरूषों पर आवश्यक है कि वह यह पाँच नमाज़ें मस्जिद में जमाअत के साथ अदा करें, इमामत ऐसा व्यक्ति करे जिसकी क़िरात बेहतर हो, नमाज़ के अहकाम को जानने वाला एवं दीनदार हो, इमाम फ़ज्र की नमाज़ और मग़रिब व ईशा की पहली दो रिकअतों में क़िरात ऊँचे स्वर में पढ़ेगा और मुक़्तदी उसको ध्यान से सुनेगा।

महिलायें इन नमाज़ों को पूरे पर्दा के साथ घर ही में अदा करेंगी, महिला अपने पूरे शरीर को ढाँकेगी अपने हाथ पाँव भी ढाँकेगी, इसलिए कि उसका पूरा शरीर परदा में होना चाहिए सिवाय चेहरा के, पुरूषों की उपस्थिति में चेहरा भी छुपायेगी, इसलिए कि वह उपद्रव का कारण है, इससे उसकी पहचान होगी और कष्ट में पड़ जायेगी, महिला का मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायेज है किन्तु शर्त यह है कि वह पूरे परदा में बिना ख़ुश्बू के निकले, पुरूषों के पीछे नमाज़ पढ़े ताकि न उपद्रव का कारण बने और न स्वयं उपद्रव में पड़े।

मुसलमान को चाहिए कि पूर्ण तन्मयता (ख़ुशूऊ) एवं विनय के साथ नमाज़ अदा करे, अपने क़याम, रुकूअ एवं सजदा में धैर्य एवं संतोष बनाये रखे शीघ्रता न करे, अनुचित व्यवहार न करे,

आकाश की ओर निगाह न उठाये, क़ुरआन के अतिरिक्त कोई चीज़ न पढ़े तथा नमाज़ के अज़कार (विर्द) को उनके स्थानों पर अदा करे ।[1] इसलिए कि अल्लाह ने अपने ज़िक्र के लिए नमाज़ का आदेश दिया है ।

जुमा के दिन मुसलमान नमाज़े जुमा दो रिकअत अदा करेंगे, इमाम दोनों रिकअतों में फ़ज्र की नमाज़ की तरह ऊँचे स्वर में क़िरात करेगा, इससे पहले दो ख़ुतबा देगा जिस में वह मुसलमानों को सदुपदेश देगा, उन्हें धार्मिक मसायल बतायेगा, पुरूषों पर आवश्यक है कि वह जुमा की नमाज़ मस्जिद में इमाम के साथ अदा करें, जुमा के दिन यही ज़ोहर की नमाज़ होती है ।

इस्लाम का तीसरा स्तम्भ ज़कात :

अल्लाह तआला ने हर मुसलमान को जिसके पास एक सीमा तक धन-दौलत है (जिस पर ज़कात अनिवार्य हो) उसे हर वर्ष ज़कात निकालने का आदेश दिया है जिसे वह मिस्कीनों, निर्धनों और सहायता योग्य लोगों को देगा, जिसकी चर्चा क़ुरआन में है, सोने का निसाब जिस पर ज़कात अनिवार्य है बीस मिस्क़ाल (८७ ग्राम) है, चाँदी का माल जिस पर ज़कात अनिवार्य है ५२.५ तोला चाँदी

---

[1] यदि किसी को चेतावनी देनी हो या रद करना हो तो "सुब्हानल्लाह" कहे, इमाम से कुछ कमी या ज़्यादती एवं ग़लती हो जाये तब भी 'मुक्तदी' "सुब्हानल्लाह" कह कर उसको सतर्क करेगा, यदि किसी को बुलाना हो तो नमाज़ी "सुब्हानल्लाह" कहेगा, महिला की आवाज़ फ़ितना का कारण बन सकती है इसलिए वह ताली बजा कर सचेत करेगी ।

(६११.५ ग्राम) अथवा दो सौ दिरहम है या उसके तुल्य नगद पैसा हो, व्यापार के वस्तु का मूल्य यदि ज़कात की सीमा को पहुँच जाये तो साल पूरा होने के बाद उसके मालिक पर आवश्यक है कि उसकी ज़कात अदा करे।

फल एवं अनाज पर ज़कात की सीमा तीन सौ 'साअ' है, (८ कुन्टल के समीप) सम्पत्ति यदि बेचने के लिए हो तो उसके मूल्य की ज़कात अदा की जायगी और यदि किराया के लिए रखी हो तो किराया पर ज़कात अदा की जायेगी।

सोने एवं चाँदी और व्यापार के वस्तु पर ज़कात की मात्रा चालीसवाँ भाग है उसे हर वर्ष अदा करना होगा, फल एवं अनाज बिना मेहनत के हो जैसे नदी, नाला या वर्षा के पानी से उसकी सिंचाई हो तो उसमें दसवाँ भाग ज़कात अदा की जायेगी और यदि उसकी सिंचाई में मेहनत एवं ख़र्च हो तो उसमें बीसवाँ भाग ज़कात दी जायेगी।

फल एवं अनाज की ज़कात उसकी कटाई के समय ही दी जायेगी, और एक वर्ष में दो तीन बार खेती हुई तथा दो तीन बार कटाई हुई तो वह तीन बार उसकी ज़कात अदा करेगा।

गाय, बैल, बकरी एवं ऊँट की ज़कात के संबन्ध में अहकाम की किताबों में विस्तार के साथ चर्चा है कृपया उस ओर सम्पर्क करें। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

हाँलाकि उन्हें यही आदेश दिया गया था कि एक ही अल्लाह की उपासना करें पूर्ण तन्मयता के साथ धर्म को उसके लिए शुद्ध करते हुए तथा नमाज़ को स्थापित करें, ज़कात अदा करें और यही सत्य धर्म है। (सूरह बैय्यना:५)

ज़कात निकालने के बहुत सारे लाभ हैं जैसे इससे निर्धनों को ढारस बँधता है कि उनकी आवश्यकतायें पूरी होती हैं, निर्धनों एवं धनवानों के बीच प्रेम एवं मुहब्बत के सम्बन्ध दृढ़ होते हैं।

समाज की प्रतिभूति एवं आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में इस्लाम धर्म ने केवल ज़कात ही पर ठहराव नहीं किया है बल्कि धनवानों पर अनिवार्य कर दिया है कि अकाल के समय में निर्धनों की सहायता करें, मुसलमान पर हराम है कि वह पेट भर खाये जब कि उसका पड़ोसी भूखा हो, मुसलमानों पर ज़कात फ़ितर भी अनिवार्य किया गया जो ईद के दिन अदा करेगा जिसकी मात्रा एक 'साअ' है तथा उसे खाने वाली आम चीज़ों में से अदा करेगा, फ़ितरा हर व्यक्ति की ओर से अदा की जायेगी, यहाँ तक कि बच्चा एवं नौकर की ओर से भी उसका मालिक अदा करेगा, मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह क़सम का कफ़्फ़ारा[1] भी अदा करे यदि उसने क़सम खाई हो तथा फिर उसे तोड़ दिया हो। अल्लाह ने मुसलमानों पर प्रतिज्ञा पालन को भी अनिवार्य किया है, तथा नफ़ली 'सदका' व 'ख़ैरात' पर भी उभारा है, अल्लाह के

[1] क़सम के कफ़्फ़ारा में ग़ुलाम आज़ाद करने दस मिस्कीनों को खाना खिलाने या उन्हें कपड़े बनवाने में अधिकार दिया गया है, यदि यह सब संभव न हो तो तीन रोज़े रखेगा।

मार्ग में ख़र्च करने वालों को उत्तम प्रतिशोध का वादा है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उन्हें कई गुना प्रतिशोध से सम्मानित करेगा, हर नेकी का बदला दस गुना से सात सौ गुना है बल्कि इससे भी अधिक होता है।

इस्लाम का चौथा स्तम्भ रोज़ा :

रमज़ान महीना का रोज़ा रखना एवं रोज़े का तरीक़ा :

मुसलमान रोज़े की नियत सुबह होने से पहले करता है, फिर खाने-पीने और संभोग करने से सूरज डूबने तक बचा रहता है, फिर इफ़्तार करता है, यह कर्म पूरा महीना करता है, इसका उद्देश्य अल्लाह की उपासना एवं प्रसन्नता की प्राप्ति है।

रोज़े का लाभ :

रोज़े के अनगिनत लाभ हैं। कुछ मुख्य लाभों को यहाँ दर्शाया जा रहा है :

१. वह अल्लाह की उपासना एवं उसके आदेश का पालन है, अल्लाह के लिए बन्दा अपना खाना-पीना और संभोग आदि को त्याग देता है, यह संयमता का मुख्य कारण है।

२. रोज़ा से शारीरिक, आर्थिक एवं सामूहिक स्तर पर बहुत से लाभ हैं, इसका बोध वही लोग कर सकते हैं जो ईमान एवं विश्वास के साथ रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोज़े अनिवार्य किये गये, जैसांकि तुम से पहले लोगों पर अनिवार्य किये गये थे आशा है कि तुम संयमी (तक़वा वाले) बन जाओ। (सूरह बक़रा:१८३)

और फ़रमाया :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

रमज़ान का महीना वह महीना है जिसमें क़ुरआन उतारा गया, लोगों के निर्देश (हिदायत) के लिए, इसमें निर्देश की खुली-खुली दलीलें हैं और सत्य को असत्य से पहचानने का तर्क, तुममें से जो इस महीना में उपस्थित रहे (यात्रा) पर न हो) वह रोज़ा रखे और जो बीमार हो या यात्रा में हो तो वह रोज़ों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे लिए सरलता चाहता है कष्ट देना नहीं चाहता है और यह चाहता है कि तुम रमज़ान की गिनती पूरी करो तथा अल्लाह की प्रशंसा किया करो इस उपकार पर कि तुम्हें सीधा रास्ता चलाया और इसलिए तुम उसका शुक्र अदा कर सको। (सूरह बक़रा:१८५)

रोज़े के अहकाम जिसका वर्णन क़ुरआन एवं हदीस में है :

१. रोगी एवं यात्री को रोज़ा छोड़ने की अनुमति है, जितने रोज़े छूट गये हों उसके बदले रमज़ान के बाद रोज़े रखना होगा।

२. मासिक धर्म (हैज) एवं प्रसव रक्त (निफ़ास) वाली महिला भी इस अवस्था में रोज़ा नहीं रखेगी, उसकी क़ज़ा रमज़ान के बाद करेगी।

३. गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली महिला भी यदि अपने आप पर या अपने बच्चा से भयभीत हो तो रोज़ा छोड़ देगी बाद में उसकी क़ज़ा करेगी।

४. रोज़ेदार भूलकर खा-पी ले तो उसका रोज़ा सही है, अल्लाह ने मुहम्मद ﷺ की उम्मत की भूल एवं विवशता को क्षमा कर दिया है, मुंह में जो कुछ है उसका तुरन्त निकाल फेंकना अनिवार्य है।

इस्लाम का पाँचवा स्तम्भ हज :

पूरी आयु में अल्लाह के घर का एक बार हज करना अनिवार्य है, एक से अधिक बार 'नफ़िल' है, हज के बहुत से लाभ हैं :

१. प्राण वायु (रूह) एवं शरीर और धन के माध्यम से यह अल्लाह की उपासना है।

२. इसमें हर स्थान से मुसलमानों का सम्मेलन होता है, एक ही

स्थान पर मिलते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, एक ही रब की एक ही समय में उपासना करते हैं, दास एवं स्वामी, निर्धन एवं धनवान, काले एवं गोरे में कोई अंतर नहीं। सब अल्लाह की मख़लूक और उसके बंदे हैं, मुसलमान आपस में परिचय एवं सहयोग प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन को याद करते हैं जबकि अल्लाह सबको एक ही मैदान में एकत्रा करेगा उनका लेखा-जोखा होगा, यूँ अल्लाह की आराधना करके मृत्यु के बाद आने वाले दिन की तैयारी करते हैं।

हज में मुसलमानों का 'क़िबला व काबा' के चारों ओर तवाफ़ करने का उद्देश्य होता है, अल्लाह ने जिसकी ओर मुँह करके हर नमाज़ को पढ़ने का आदेश दिया है, चाहे जहाँ कहीं भी उपस्थित हों, पवित्र स्थानों पर ठहराव का भी उद्देश्य होता है, जैसे अरफ़ात एवं मुज़दलिफ़ा और मिना हैं। इन सारे कार्यों का उद्देश्य उन पवित्र स्थानों में अल्लाह के आदेशानुसार अल्लाह की उपासना करना है।

काबा हो या अन्य पवित्र स्थान, बल्कि संपूर्ण जगत में किसी की उपासना नहीं की जायेगी, न वह लाभ एवं हानि के मालिक हैं, उपासना केवल एक अल्लाह की की जायेगी, लाभ एवं हानि की शक्ति केवल अल्लाह के पास है, यदि अल्लाह तआला हज्जे बैतुल्लाह का आदेश नहीं फ़रमाते तो मुसलमानों का हज करना सहीं नहीं होता, इसलिए कि उपासना अपनी इच्छा या अपनी राय के आधार पर नहीं होती बल्कि केवल अल्लाह के आदेश से होगी जिसकी चर्चा अल्लाह की किताब में होगी या फिर अल्लाह के

रसूल ﷺ की सुन्नत में होगी। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾

तथा लोगों में जो बैतुल्लाह के जाने की क्षमता रखते हैं उस पर हज अनिवार्य है अल्लाह के लिए तथा जो कोई न माने तो अल्लाह तआला सारे जहानों से बेपरवाह है।[1] (सूरह आले इमरान:९७)

'उमरा' जीवन में एक बार मुसलमान पर अनिवार्य है चाहे हज के साथ करे या किसी और समय में अदा करे।

मस्जिदे नबवी की जियारत न हज में अनिवार्य है और न किसी और समय में बल्कि 'मुस्तहब' (प्रिय) है, जियारत करने वाले को पुण्य (सवाब) मिलेगा न करने वाले को गुनाह नहीं है।

जो हदीस आम लोगों की ज़ुबान पर है :

"من حج فلم يزرني فقد جفانى"

जिसने हज किया और मेरी जियारत नहीं की तो उसने मुझ पर

---

[1] लोग मजारों, दरगाहों एवं क़ब्रों की जियारत की प्रतिज्ञा करते हैं जो सरासर गुमराही और अल्लाह एवं रसूल का विरोध है, अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं : "जियारत की नियत से यात्रा केवल तीन मस्जिदों के लिए की जायेगी। मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़सा।

अत्याचार किया, यह हदीस सही नहीं है, बल्कि वह अल्लाह के रसूल ﷺ पर झूठ गढ़ी हुई है।[1]

हाँ मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के लिए यात्रा करना सही है, "ज़ाईर" (तीर्थ यात्री) जब मस्जिदे पहुँच जाये तो "तहिय्यतुल मस्जिद" अदा करे, फिर नबी अकरम ﷺ की क़ब्र की ज़ियारत करना जायज़ है, इस प्रकार उन पर सलाम करेगा : अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह।

"ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, पूर्ण शिष्टाचार, सम्मान और धीमे स्वर से सलाम करे, आप से कोई चीज़ नहीं माँगे बल्कि केवल सलाम करके वापिस चला जाये।

आप ने उम्मत को यही आदेश दिया है, सहाबा का भी यही व्यवहार था, जो लोग नबी ﷺ की क़ब्र के पास विनय एवं नम्रता के साथ ठहरते हैं और आप से अपनी सहायता तलब करते हैं या मदद माँगते हैं या आप को अपने और अल्लाह के बीच माध्यम बनाते हैं यह सब अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, नबी ﷺ इनसे मुक्त हैं, हर मुसलमान ऐसे कामों को जो नबी ﷺ के साथ

---

[1] उसी प्रकार यह हदीस भी है कि मेरे पद एवं दर्जा के वसीला को थामे रहो मेरा पद अल्लाह के निकट बहुत बड़ा है, यह हदीस भी उसी प्रकार सिद्ध नहीं है 'जिसने किसी पत्थर में भी अच्छा गुमान किया तो वह उसको लाभ पहुँचायेगा' यह सारी झूठी गढ़ी हुई हदीसें हैं, हदीस की विश्वस्त पुस्तकों में इनका कोई नाम व निशान नहीं है बल्कि यह और इस जैसी हदीसें गुमराह करने वाले विद्वानों की पुस्तकों में मिलती हैं जो शिर्क एवं बिदअत का निमंत्रण देते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता।

हो या किसी और के साथ कदापि न करे, इससे बचा रहे, उसके बाद आप के दोनों साथी (अबू बक्र और उमर) रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की क़ब्रों की जियारत करे, फिर अहले 'बक़ीअ' तथा शहीदों की क़ब्रों की ज़ियारत करे, धार्मिक ज़ियारत का तरीक़ा यह है कि मुसलमानों के क़ब्रिस्तान जाये, क़ब्र वालों को सलाम करे उनके लिए अल्लाह से दुआ करे, मृत्यु को याद करे और लौट जाये।

उमरा एवं हज का तरीक़ा :

सबसे पहले हज करने वाले को चाहिए कि अपने हलाल एवं पवित्र धन को अपनाये, हराम मालों से बचे, इसलिए कि हराम माल दुआ एवं हज के स्वीकृत न होने का कारण बनता है, हदीस में है (हर माँस जो हराम माल से बना हो, आग उसका अधिक हक़दार है) अच्छे साथियों को अपनाये जो तौहीद और ईमान पर चलने वाले हों।

मीक़ात :

हाजी जब मीक़ात (एहराम बाँधने का स्थान) पहुँचे तो एहराम बाँधे यदि गाड़ी आदि में जाये तो मीक़ात पहुँचने के बाद एहराम बाँधे; यदि हवाई जहाज़ में हो तो मीक़ात पहुँचने से पहले एहराम बाँधे ताकि मीक़ात से आगे न बढ़ जाये, मीक़ात जहाँ से एहराम बाँधने का आदेश नबी करीम ﷺ ने दिया वह पाँच हैं :

१. ज़ुल हुलैफ़ा (आबयारे अली) मदीना वालों के लिए।

२. जुहफ़ा (राबिग़ के निकट है) वह शाम, मिस्र और पश्चिम वालों के लिए है।

३. क़रने मनाज़िल (सैल या वादिये महरम) नज्द, ताइफ़, और उस ओर से आने वालों के लिए है।

४. ज़ाते इरक़, ईराक़ वालों के लिए।

५. यलमलम, यमन वालों के लिए।

जो उपरोक्त क्षेत्रों के निवासी न हों किन्तु उसका वहाँ से गुज़र हो तो वह वहीं से एहराम बाँध लेगा, मक्का वालों और जिन का घर मीक़ात के अन्दर हो वह अपने घरों से ह एहराम बाँध लेगा।

एहराम का तरीक़ा :

एहराम से पहले पवित्रता प्राप्त करना और ख़ुशबू लगाना मुस्तहब (वह काम जिसे प्यारे रसूल ﷺ ने पसन्द फ़रमा कर स्वयं किया हो अथवा उसका पुण्य बयान फ़रमाया हो) है, फिर मीक़ात पर एहराम का वस्त्र पहन ले, जहाज पर यात्रा करने वाला अपने घर ही से तैयारी कर ले तथा जब मीक़ात के निकट हो या उस के ऊपर पहुँच जाये तो नियत कर ले तथा लब्बैक पढ़ना आरम्भ कर दे, पुरूष के लिए एहराम का वस्त्र इज़ार (तहेबन्द) और चादर है जो बिना सिली हो वह उन्हें शरीर पर लपेट लेगा, सिर नहीं ढाँकेगा, महिला के लिए एहराम का कोई विशेष वस्त्र नहीं है उस पर केवल इतना अनिवार्य है कि वह ढीला-ढाला वस्त्र पहने, देखने वालों के लिए कोई फ़ितना न हो,

एहराम में प्रवेश कर जाये तो अपना चेहरा और हाथों पर कोई सिली हुई चीज न पहने जैसे नक़ाब या दस्ताने आदि। हाँ यदि पुरूषों का सामना हो तो अपने दोपट्टा से चेहरा ढाँक ले जैसा कि उम्माहातुल मोमिनीन (मुसलमानों की मातायें) और सहाबा की महिलायें किया करती थीं।

एहराम का वस्त्र पहनने के बाद हाजी अपने दिल में 'उमरा' की नियत करे फिर यूँ तलबिया कहे (अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरा) ऐ अल्लाह मैं उमरा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, फिर 'तमत्तुअ' करेगा क्योंकि हज्जे तमत्तुअ ही उत्तम है, अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपने सहाबा को इसी का आदेश दिया तथा यही हज करना अनिवार्य बताया, जिन्होंने 'तमत्तुअ' करने में असमंजस जताया उनपर आप क्रोधित हुए, जिसके साथ जानवर हो वह "हज्जे क़िरान" करेगा, नबी ﷺ की तरह "हज्जे क़िरान" करने वाला अपने तलबिया में यूँ कहे (अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरा व हज्जन) ऐ अल्लाह मैं उमरा एवं हज के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, वह अपना एहराम यौमुन नहर को क़ुर्बानी करने तक न खोले, वह मुफ़रिद मात्र अकेला हज की नियत करता है और कहता है (अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन) ऐ अल्लाह में हज के लिए उपस्थित हूँ।

मुहरिम पर वर्जित कार्य :

मुसलमान जब एहराम की नियत कर लेता है तो उस पर निम्नलिखित चीज़ें हराम हो जाती हैं :

१. जिमाअ (संभोग) बोसो-किनार (आलिंगन और मुख चुम्बनें) या भोगेच्छा के लिए छूना, या इस प्रकार की बातें करना, शादी विवाह का पैग़ाम देना, निकाह करना, मुहरिम न स्वयं निकाह करेगा न दूसरों का निकाह करायेगा।

२. बाल मुँडाना या उसकी काट-छाँट करना।

३. नाख़ून काटना।

४. ऐसी चीज़ से सिर ढाँकना जो सिर से चिमटी हुई हो, किसी चीज़ से छाव प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है, जैसे छतरी, ख़ैमा तथा गाड़ी आदि।

५. ख़ुश्बू लगाना या सूँघना।

६. खूखे में शिकार न स्वयं शिकार, करेगा और न शिकार करने वाले को बतायेगा।

७. पुरूष का सिला हुआ वस्त्र का पहनना, महिला का चेहरा एवं हाथों पर सिली हुई चीज़ का पहनना, चप्पल पहन सकता है, नहीं मिलने पर मोज़े भी पहन सकता है।

उपरोक्त चीज़ों में से किसी चीज़ का भूल कर या अज्ञानता के कारण उस काम को कर ले तो उसे तुरन्त अलग कर दे उस पर कोई पकड़ नहीं है।

मुहरिम जब काबा पहुँचे तो तवाफ़ करे, यह तवाफ़े कुदूम होगा, तवाफ़ के सात चक्कार होते हैं, उसका आरम्भ हज्रे अस्वद

(काला पत्थर) से होता है यह उसके उमरा का तवाफ़ है, तवाफ़ के लिए कोई विशेष दुआ नहीं है, अल्लाह का ज़िक्र करे, जो चाहे अल्लाह से माँगे ।[1] फिर दो रिकअत नमाज़ मुक़ामे इब्राहीम के पीछे अदा करे यदि संभव न हो तो हरम में किसी भी स्थान पर अदा करे, फिर सई के लिए 'सफ़ा' जाये, उस पर चढ़े, क़िबला की ओर मुँह करे, तकबीर कहे, "ला इलाहा इल्लल्लाह" का विर्द करे, फिर 'मरवह' की ओर जाये, उस पर चढ़े, क़िबला की ओर होकर तकबीर कहे अल्लाह का ज़िक्र और दुआ करे, फिर सफ़ा आये, इस प्रकार सात चक्कर लगाये, जाना एक चक्कर तथा आना एक चक्कर की गणना होगी, फिर अपने बाल काटे, महिला अपने बालों के किनारे से ऊँगली के पोर के बराबर बाल कटवाये, उपरोक्त कार्यों से निपटने के बाद "हज्जे तमत्तुअ" करने वाले का उमरा मुकम्मल होता है और वह एहराम से हलाल हो जायेगा, वह सारी चीजें उसके लिए हलाल हो जायेंगी जो एहराम के कारण हराम हो गई थीं।

एहराम से पहले या बाद में महिला मासिक धर्म की अवस्था में हो जाये या उसको प्रसव हो जाये तो वह हज्जे क़िरान वाली हो जायेगी, उमरा एवं हज का तलबिया कहेगी, मासिक धर्म (हैज़)

---

[1] हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी के बीच में यह दुआ सुन्नत से साबित है:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"ऐ हमारे रब हमें लोक एवं परलोक में भलाई से सम्मानित कर और हमें आग की यातना से बचा।" (सूरह बक़र:-२०१)

एवं प्रसव रक्त (निफ़ास) एहराम के लिए बाधक नहीं हैं, वह केवल बैतुल्लाह के तवाफ़ से रुकी रहेगी, हज के सारे काम बजा लायेगी सिवाये तवाफ़ के। यदि वह हज के एहराम से पहले तथा मिना जाने से पहले पवित्र हो जाये तो स्नान करेगी अपने बाल कटवा कर उमरा के एहराम से हलाल हो जायेगी, फिर आठ तारीख़ को लोगों के साथ हज का एहराम बाँधेगी। उसके पवित्र होने से पहले लोग यदि हज में प्रवेश कर जायें तो उसका हज 'हज्जे क़िरान' में परिवर्तित हो जायेगा, वह एहराम में रहेगी, तलबिया कहेगी, हाजियों के साथ सारे कर्मों को अदा क़रेगी। मिना, अरफ़ात और मुज्दलिफ़ा में क़याम करेगी, 'रमी' एवं 'नहर' भी करेगी फिर अपने बाल भी कटवायेगी, जब पवित्र हो जाये तो स्नान के बाद हज का तवाफ़ एवं 'सई' करेगी।

यह तवाफ़ एवं सई उसके उमरा और हज दोनों के लिए काफ़ी होंगे। जैसाकि आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा को यह परिस्थिति पेश आई तो नबी ﷺ ने कहा कि उनकी पवित्रता के बाद उनका तवाफ़ एवं सई उनके हज एवं उमरा दोनों के लिए हैं, इसलिए कि इफ़राद हज करने वाले की तरह "हज्जे क़िरान" करने वाले पर भी एक ही तवाफ़ और एक ही सई है।[1]

---

[1] यह तवाफ़ या तो ईद के दिन या उसके बाद अदा करेगा, हज से पहले का जो तवाफ़ है जिसे तवाफ़े कुदूम कहा जाता है वह नफ़िल है, 'सई' 'क़ारिन' और 'मुफ़रिद' के लिए एक ही है यदि तवाफ़े कुदूम के साथ कर ले तो काफ़ी है यदि न करे तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ ईद के दिन या उसके बाद करे।

रसूले अकरम ﷺ ने उसकी व्याख्या फ़रमाई तथा आप ने ऐसा ही किया एवं हदीस में आप ने फ़रमाया :

"دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة"

"क़ियामत तक के लिए उमरा हज में प्रवेश कर गया।"
(अल्लाह बेहतर जानता है)

आठ ज़िलहिज्जा को सारे हुज्जाज मक्का में अपने-अपने स्थान से हज के लिए एहराम बाँधेंगे, पवित्रता के बाद एहराम का वस्त्र पहन लेंगे फिर पुरूष हो कि महिला हज की नियत करेंगे तथा यूँ तलबिया कहेंगे "अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन" ऐ अल्लाह मैं हज के लिए उपस्थित हो रहा हूँ,

एहराम की अवस्था में सारे उपरोक्त प्रतिबंधित चीज़ों से बचा रहे, दस ज़िलहिज्जा को जब मुज़्दलिफ़ा से मिना वापस आ जाये तो जमरतुल अक़बा को कंकरी मारे, पुरूष सिर मुंडाये और महिला बाल कटवाये तो फिर वह हलाल हो सकते हैं।

आठ ज़िलहिज्जा को एहराम बाँधकर हाजी मिना आयेगा, रात वहीं गुज़ारेगा, वहाँ सारी नमाज़ें अपने-अपने समय में क़स्र अदा करेगा, अरफ़ा के दिन सूर्य उदय होने के बाद 'नमरा' की ओर प्रस्थान करेगा वह जमाअत के साथ ज़ोहर एवं अस्र की नमाज़ संयुक्त तौर पर क़स्र के साथ अदा करेगा, फिर ज़वाल के बाद अरफ़ा की सीमाओं में प्रवेश कर जायेगा और यदि मिना से सीधा अरफ़ा चला जाये तो भी कोई आपत्ति नहीं, सारा अरफ़ा ठहरने का स्थान है।

हाजी अरफ़ा में अधिक से अधिक अल्लाह का ज़िक्र करे, दुआ एवं इस्तेग़फ़ार करे, क़िबला की ओर मुख हो, पहाड़ी की ओर मुख न करे, पहाड़ी भी अरफ़ा के मैदान का एक भाग है, पुण्य की नियत से उस पर चढ़ना जायेज़ नहीं है, उसके पत्थरों को बरकत के लिए छूना भी जायेज़ नहीं है बल्कि यह बिदअत है।

हाजी लोग अरफ़ा से सूर्य डूबने से पहले नहीं निकलेंगे, सूर्य डूबने के बाद मुज़्दलिफ़ा जायेंगे, जब मुज़्दलिफ़ा पहुँच जायें तो मग़रिब एवं इशा की नमाज़ एक साथ ईशा के समय में पढ़ेंगे, ईशा की नमाज़ को क़स्र करेंगे, रात वहीं गुज़ारेंगे, जब सुबह हो जाये तो फ़ज्र की नमाज़ पढ़ेंगे तथा अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, फिर सूर्य उदय होने से पहले मिना की ओर विदा होंगे, मिना पहुँचकर सूर्य उदय होने के बाद जमरा अक़बा को सात कंकरियाँ मारेंगे, जो आकार में अधिक बड़ी न हों और न ही छोटी बल्कि चने के दाना के बराबर हो, चप्पल आदि से मारना जायेज़ नहीं है इसलिए कि यह मज़ाक़ है, शैतान का अपमान अल्लाह के रसूल ﷺ के तरीक़े पर चलने तथा आप की पैरवी करने और विरोध से बचने में है।

रमी (कंकरी मारने) के बाद हाजी अपनी क़ुर्बानी के जानवर ज़ब्ह करेगा, फिर अपने बाल मुँडवायेगा, महिला अपने बाल काटेगी, फिर हाजी अपने कपड़े पहन लेगा। अब पत्नी के अतिरिक्त वह सारी चीज़ें जो हराम थीं हलाल हो जायेंगी, फिर तवाफ़े इफ़ाज़ा और सई करेगा, उसके बाद उसके लिए सारी चीज़ें यहां तक कि पत्नी भी हलाल हो जायेगी। उसके बाद लौटकर मिना आयेगा,

ईद का दिन तथा उसके बाद दो दिन रातों के साथ वहाँ विश्राम करेगा, मिना में रात गुज़ारना अनिवार्य है, ग्याहरवें और बारहवें दिन तीनों जमरात को ज़वाल के बाद कंकरी मारेगा। छोटा जमरा से आरम्भ करेगा जो मिना के निकट है फिर बीच वाले जमरा को फिर जमरये अक़बा को जिसे ईद के दिन मारा था हर जमरा को सात-सात कंकरियाँ मारेगा, हर कंकरी के साथ तकबीर कहेगा, कंकरियाँ मिना में अपने स्थान से साथ ले लें, जिसे मिना में स्थान न मिले वह जहाँ हाजियों के ख़ैमें समाप्त हों उसके निकट स्थान ग्रहण करे।

बारहवें दिन कंकरियों से निपट कर वह यात्रा कर सकता है और यदि तेरहवें दिन तक ठहर जाये तथा तेरहवें दिन भी कंकरी मार कर जाये तो अधिक अच्छा है। यात्रा करने से पहले तवाफ़े विदा करना आवश्यक है, मासिक धर्म एवं प्रसव रक्त वाली महिलायें तवाफ़े इफ़ाज़ा और सई कर लें तो फिर उन पर तवाफ़े विदा आवश्यक नहीं है।

हाजियों के लिए अगर वे हदी का ज़ब्ह ग्यारह, बारह एवं तेरह तारीख़ तक विलम्ब से करें तो यह जायेज़ है। हज का तवाफ़ और सई भी मिना से निकलने तक बिलंबित करना जायेज़ है, किन्तु अच्छा वही है जो हम ने ऊपर बयान किया है।

"والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وسلم"

ईमान

अल्लाह तआला ने हर मुसलमान पर यह अनिवार्य किया है कि वह अल्लाह तआला और उसके रसूल तथा इस्लाम के स्तंभों पर विश्वास (ईमान) रखे, उसी प्रकार उसके फ़रिश्तों[1] पर, किताबों[2] पर जो उसके रसूलों पर अल्लाह की ओर से उतरी ईमान लाना अनिवार्य क़रार दिया है । किताबों का सिलसिला क़ुरआन पर समाप्त हुआ। इसके द्वारा अल्लाह ने सभी आसमानी किताबों को रद कर दिया, इसे सभी किताबों का निरीक्षक बनाया, सभी

---

[1] **मलाइका (फ़रिश्ते) :** फ़रिश्ते भी मख़लूक़ हैं अल्लाह ने उन्हें नूर से जन्म दिया है, वह बहुत अधिक हैं, अल्लाह के अतिरिक्त कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता, उनमें से कुछ तो आकाश में हैं और कुछ इंसानों के साथ रहते हैं।

[2] मुसलमान पर आवश्यक है कि वह रसूलों पर उतारी हुई किताबों की सत्यता पर ईमान ले आये, उनमें से केवल क़ुरआन ही सुरक्षित है, तौरेत एवं इंजील जो यहूद एवं नसारा के पास हैं वह उनका अपना संकलन है, उसका आपस में विरोध एवं विपरीतता इसका तर्क है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूजित (अल्लाह) तीन हैं : ईसा अल्लाह के बेटे हैं। सत्य बात यह है कि पूजित (अल्लाह) एक है, ईसा अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, जैसाकि क़ुरआन में है। उसमें जो कुछ अल्लाह का कथन है वह भी क़ुरआन के कारण निरस्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने हज़रत उमर رضي الله عنه के हाथ में तौरेत का एक पृष्ठ देखा तो क्रोधित हो गये और फ़रमाया : क्या कोई संदेह में हो ? ऐ ख़त्ताब के बेटे ! क़सम अल्लाह की यदि मेरे भाई मूसा عليه السلام भी जीवित होते तो उन्हें भी मेरी पैरवी करनी होती। उमर رضي الله عنه ने कागज का पृष्ठ फेंक दिया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए क्षमा तलब कीजिए।

रसूलों के सिलसिला की अंतिम कड़ी मुहम्मद ﷺ हैं सारे रसूलों का संदेश एक था, उनका धर्म (दीन) एक है और वह इस्लाम है। उन्हें संसार में भेजने वाला एक है और वह अल्लाह तआला है। मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह क़ुरआन में वर्णित रसूलों से सम्बन्धित यह ईमान ले आये कि वह अपनी-अपनी क़ौमों की ओर रसूल बनाकर भेजे गये थे, इस पर भी ईमान लाये कि नबी ﷺ अंतिम नबी हैं तथा सारे लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गये थे, आप के रसूल बनने के बाद सारे लोग यहाँ तक कि यहूद व नसारा और अन्य धर्मों के मानने वाले भी आप की उम्मत में शामिल हैं, जो भी पृथ्वी पर हैं वह मुहम्मद ﷺ की उम्मत हैं सब पर आवश्यक है कि वह आप ﷺ की पैरवी करें।

जो मुहम्मद ﷺ की पैरवी न करे तथा इस्लाम में प्रवेश न करे उससे मूसा, ईसा और सारे अंबिया मुक्त हैं। इसलिए कि मुसलमान सारे रसूलों पर ईमान लाता है और उनकी पैरवी करता है। जो मुहम्मद पर ईमान न लाये और उनकी पैरवी न करे एवं इस्लाम में प्रवेश न करे तो वह सारे रसूलों को झुठलाने वाला और उनका कुफ़्र करने वाला है, यद्यपि उसने किसी एक की पैरवी का दावा भी कर रखा हो, दूसरे अध्याय में इससे संबन्धित क़ुरआन से दिये गये तर्कों की चर्चा हम ने कर दी है। मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया :

"والذى نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى ارسلت به الاكان من اصحاب النار"

"क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है मेरे सम्बन्ध में इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति सुने चाहे यहूदी हो कि नसारा फिर वह मुझ पर ईमान लाये बिना मृत्यु पा जाये तो उसका ठिकाना नरक में होगा।" (मुस्लिम)

मुसलमान पर आवश्यक है कि वह मृत्यु के बाद दोबारा जीवन दिये जाने पर ईमान ले आये, लेखा-जोखा, स्वर्ग-नरक पर भी ईमान ले आये, उस पर यह भी आवश्यक है कि वह अल्लाह के दिये हुए भाग्य पर ईमान ले आये।

भाग्य पर ईमान का अर्थ :

मुसलमान इस बात पर विश्वास रखे कि अल्लाह तआला को प्रत्येक चीज़ का ज्ञान है, आकाश एवं पृथ्वी को पैदा करने से पहले वह बन्दों के कामों को जानता था, उसी ज्ञान को अल्लाह ने "लौहे महफ़ूज़" (वह तख़्ती जिस पर अल्लाह ने संसार में होने वाली सारी घटनाओं का उल्लेख कर दिया है जिसे कोई बदल नहीं सकता) में लिखा है तथा मुसलमान इस बात को जानता है कि जो अल्लाह की इच्छा होगी वही होगा, जो उसकी इच्छा न हो वह कभी नहीं होगा, तथा अल्लाह ने बन्दों को अपनी आराधना के लिए पैदा किया, इसका उन्हें आदेश दिया और उसे बयान भी कर दिया, उन्हें अपनी अवज्ञा से रोका, उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया, उन्हें शक्ति एवं संकल्प से भी सम्मानित किया, जिसके द्वारा वह अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं एवं फल पाते हैं और जो पाप करता है वह दंड का भोगी होता है।

बंदा की मर्जी अल्लाह की इच्छा के अधीन है, भाग्य के वह मामलात जिसमें बन्दा की मर्जी एवं इख़्तियार का हस्तक्षेप न हो बल्कि अल्लाह बन्दा की मर्जी के विरूद्ध उसको लागू करते हैं जैसे भूल या ऐसे काम जिस पर कि वह विवश किये जायें, जैसे दरिद्रता, रोग एवं दुःख एवं कष्ट आदि इन चीजों पर अल्लाह तआला न तो बन्दा की पकड़ करते हैं और न उसे दंड देते हैं बल्कि रोग एवं दरिद्रता और आपत्तियों में बंदा सब्र करे और अल्लाह के निर्णय से प्रसन्न रहे तो महा प्रतिकार से सम्मानित किया जाता है। उपरोक्त सारी बातों पर मोमिन बंदा को ईमान लाना चाहिए, मुसलमानों में सबसे बड़े ईमान वाले जो अल्लाह के सबसे निकट और स्वर्ग में उच्च श्रेणियों में होंगे, वह ऐसे पवित्र एवं शुद्ध बंदे होंगे जो अल्लाह की ऐसी उपासना करते हैं, उससे ऐसे डरते हैं जैसे वे उसे देख रहे हों, वह अल्लाह की अवज्ञा न छुप कर करते हैं न दिखाकर। उस पर पक्का विश्वास रखते हैं कि वह उन्हें सदैव देख रहा है, चाहे वह जहाँ भी रहें, अल्लाह से उनकी नियतें उनके कार्य और उनकी बातें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अवज्ञा से बचते हैं और यदि कभी अल्लाह की प्रतिकूलता हो जाये तो तुरन्त तौबा करते हैं अपनी भूल पर लज्जित होते हैं, अल्लाह से उसकी मुक्ति एवं क्षमा चाहते हैं तथा दोबारा उसके निकट नहीं जाते। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

अल्लाह संयमी और भला काम करने वालों के साथ है। (सूरह अन्नहल:१२८)

इस्लाम एक सम्पूर्ण धर्म है :

अल्लाह तआला क़ुरआने करीम में फ़रमाते हैं :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾

आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को सम्पूर्ण किया और अपना प्रदान (नेमत) तुम पर समाप्त की और तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसन्द किया और इससे मैं प्रसन्न हुआ। (सूरह मायेदा:३)

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾

नि:संदेह यह क़ुरआन बहुत सही मार्ग का अनुदेश देता है तथा नेक काम करने वाले मोमिनों को शुभ सूचना देता है कि उन्हें महा प्रतिकार मिलेगा। (सूरह इस्रा:९)

क़ुरआन से संबन्धित अल्लाह का कथन यह है कि :

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

हम ने यह किताब तुम पर उतारी (यानी क़ुरआन) जिसमें हर चीज़ का अच्छा बयान है तथा मुसलमानों के लिए वह अनुदेश, प्रदान और शुभ सूचना है। (सूरह अन्नहल:८९)

सही हदीस में नबी ﷺ ने फ़रमाया :

"تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك"

"मैंने तुम्हें बिल्कुल प्रकाशमय मार्ग पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन की तरह है इससे जो भी भटकता है वही हलाक होता है।"

आप ﷺ ने फ़रमाया :

"تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابداً كتاب الله و سنتي"

"मैंने तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ी हैं यदि तुम उसको दृढ़ता के साथ पकड़े रहोगे तो कदापि गुमराह नहीं होगे वह है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत।"

आयतों की व्याख्या :

पहली आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए धर्म (दीन) को समस्त कर दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है और न इसमें किसी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता

है, वह हरेक स्थान एवं काल तथा क़ौम के लिए बिल्कुल उचित है, अल्लाह ने इस महा सरल एवं समस्त धर्म के माध्यम से मुसलमानों पर अपनी अनुकम्पा को पूर्ण किया है, उसने मुसलमानों पर मुहम्मद ﷺ की रिसालत के माध्यम से इस्लाम को शक्ति प्रदान करके इस्लाम को मानने वालों को प्रतिष्ठा एवं सफलता देकर महा उपकार किया, कभी भी वह इस धर्म से अप्रसन्न नहीं होगा और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी आयत में फ़रमाया गया है कि क़ुरआन लोक-परलोक की समस्याओं के लिए पूर्णत: प्रर्याप्त है, इसमें हर भलाई एवं कल्याण की सूचना है तथा हर उपद्रव से बचने की चेतावनी है, पुराने एवं नूतन हर काल की समस्याओं का इसमें सही एवं न्यायपूर्ण समाधान मौजूद है, हर वह समाधान जो क़ुरआन से टकराता हो उसमें अन्याय और मूर्खता है।

ज्ञान हो कि विश्वास, राजनीति हो कि शासन, अर्थशास्त्र हो कि सामूहिकता, वैधानिक न्याय हो कि दंडित सारी समस्यायें जो मानव जाति के लिए आवश्यक हैं उसका क़ुरआन में सीधा, साफ़ एवं संतुष्ट समाधान है, फिर रसूले अकरम ﷺ के माध्यम से भी अल्लाह तआला ने उसकी पूर्ण व्याख्या फ़रमा दी है जैसाकि उपरोक्त आयत में है :

﴿الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

क़ुरआन में हर चीज विस्तारपूर्वक बयान है।

अध्याय - ४

इस्लामी जीवन प्रणाली

१. विद्या की प्राप्ति:

अल्लाह तआला ने इंसान पर सबसे पहले विद्या ग्रहण करने को अनिवार्य किया है, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

इसलिए आप (जान लीजिए) कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूजित नहीं तथा अपने पापों की क्षमा के लिए और ईमानदार पुरूष एवं ईमानदार महिलाओं के लिए (मुक्ति की) दुआ करते रहिये और अल्लाह जानता है तुम्हारे चलने एवं रहने सहने को। (सूरह मुहम्मद:१९)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

अल्लाह तआला तुम में ईमानवालों को तथा जिन्हें विद्या से सम्मानित किया गया उनके पद को ऊँचा करता है। (सूरह मुजादिला:११)

और फ़रमाया है :

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

(आप कहिये) ऐ मेरे रब मेरे ज्ञान में और अधिकता कर। (सूरह ताहा:११४)

एक और स्थान पर फ़रमाया है :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो ज्ञानियों से पूछो। (सूरह नहल-४३)

अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ ने सही हदीस में फ़रमाया :

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

"विद्या का प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।"

आप ﷺ ने फ़रमाया :

"فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب"

"विद्वान की प्रधानता मूर्ख पर ऐसे ही है जैसे चौदहवीं की चाँद की प्रधानता दूसरे सितारों पर।"

इस्लाम में विद्या के आवश्यक एवं अनावश्यक होने के रूप से दो क़िस्में हैं :

पहली क़िस्म : फ़र्ज़ ऐन (मूल कर्तव्य) है यानी हर इंसान पर इस का ग्रहण करना चाहे पुरूष हो या महिला, आवश्यक है। इसके

न जानने का बहाना स्वीकृत योग्य नहीं है, वह है अल्लाह की पहचान, प्यारे रसूल ﷺ की पहचान और इस्लाम धर्म की पहचान तथा इस्लाम धर्म के आवश्यक अहकाम का ज्ञान प्राप्त करना[1]।

दूसरी क़िस्म : फ़र्जे किफ़ाया है (वह फ़र्ज जो एक आदमी के अदा करने से सब की ओर से अदा हो जाये) यानी यदि कुछ लोगों ने उसको अदा किया तो सारे लोगों पर से ज़िम्मेदारी एवं गुनाह टल जाता है, दूसरों के हित में प्रिय होता है अनिवार्य नहीं होता, तथा वह इस्लामी शास्त्र के आदेशों का विस्तृत ज्ञान है जिससे इंसान पठन-पाठन और धर्म विद्या एवं धर्माज्ञा के योग्य बनता है उसी प्रकार दस्तकारी एवं कला जिसकी आवश्यकता मुसलमानों को होती है इसलिए शासक पर यह अनिवार्य होता है कि यदि कला और विज्ञान के जानने वाले मुस्लिम समाज में न हों तो उनको इसका प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करे।

२. अक़ीदा (विश्वास) :

अल्लाह तआला ने प्यारे रसूल ﷺ को आदेश दिया है कि आप एलान कर दें कि सारे लोग अल्लाह के बन्दे हैं, उन पर उसी की उपासना करना आवश्यक है, उन पर अनिवार्य है कि वह बिना किसी माध्यम के सीधे तौर पर अल्लाह से बद्ध रहें, जिसका बयान "ला इलाहा इल्लल्लाह" की व्याख्या में हो चुका है उन्हें आदेश दिया कि वह केवल एक अल्लाह पर भरोसा करें, उसके अतिरिक्त किसी से भयभीत न हों उसी से आशायें करें इसलिए

[1] इसका विवरण अध्याय तीन में दिया जा चुका है।

कि वही लाभ एवं हानि का मालिक है, उसको अद्भुत विशेपता रखने वाला कहें जिसकी चर्चा स्वयं अल्लाह तआला और उसके रसूल ने किया है, इसका विवरण दिया जा चुका है।

३. सामाजिक सम्बन्ध :

अल्लाह ने मुसलमान को आदेश दिया कि वह एक सदाचारी इंसान बने, इंसानियत को कुफ्र के अंधकार से निकालने और इस्लाम के प्रकाश में लाने का प्रयास करता रहे, इसी उद्देश्य के लिए मैं ने इस पुस्तक को लिखा है ताकि मेरी कुछ जिम्मेदारी अदा हो सके।

अल्लाह ने मुसलमान को यह आदेश दिया कि उसका संपर्क दूसरों से अल्लाह के लिए हो, वह नेक एवं सदाचारी, अल्लाह एवं रसूल की आज्ञापालन करने वाले बन्दों से मैत्री रखेगा, चाहे वह दूर का इंसान ही क्यों न हो, काफिरों और अल्लाह एवं रसूल के अवज्ञाकारियों से वैर एवं शत्रुता रखेगा चाहे वह निकटवर्ती इंसान ही क्यों न हों।

यही वह सम्बन्ध है जो विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलाता है और नाना प्रकार के लोगों से सम्बन्ध स्थापित कराता है, इसके विपरीत देश, परिवार एवं व्यक्तिगत लाभों का सम्बन्ध है जो शीघ्र ही टूट जाता है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

﴿عَشِيرَتَهُمْ﴾

जो लोग अल्लाह एवं अंतिम दिन पर विश्वास रखते हैं उन्हें आप नहीं पायेंगे कि वह उन लोगों से मैत्री रखते हों जो अल्लाह एवं रसूल के शत्रु हैं चाहे वह उनके बाप-दादा हों या बेटे हों या भाई हों या परिवार वाले हों। (सूरह मुजादिला:२२)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठा वाला अल्लाह के निकट सब से अधिक तक़वा वाला है। (सूरह हुजरात:१३)

पहली आयत में अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि मोमिन अल्लाह के शत्रुओं से मैत्री नहीं रखता है चाहे वह निकटवर्ती सम्बन्धी ही क्यों न हों, दूसरी आयत में अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह के निकट प्रतिष्ठित एवं प्रिय वही है जो उसका आज्ञाकारी हो चाहे वह किसी भी रंग का हो और किसी भी लिंग से सम्बन्ध रखता हो।

अल्लाह तआला ने मित्र एवं शत्रु के साथ न्याय का आदेश दिया है, अल्लाह ने अत्याचार को स्वयं पर भी हराम किया है तथा आपस में बन्दों के बीच भी हराम किया है, न्याय एवं सत्यंता का आदेश दिया है और अपभोग से रोका है, माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार, रिश्ता को जोड़ने , माँगने वालों पर उपकार,

नेक कामों में बढ़-चढ़ कर भाग लेना आवश्यक ठहराया है, हर चीज़ के साथ सदव्यवहार का आदेश दिया है यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, अल्लाह ने उसको कष्ट देना हराम क़रार दिया है और उसके साथ भी उपकार का आदेश दिया है।[1]

क्षति पहुँचाने वाले जानवर जैसे पागल कुत्ता, साँप, बिच्छु, चूहा, चील और छिपकली हैं, इन के कष्ट से बचने के लिए उन्हें मार डाला जायेगा, किन्तु उन्हें पीड़ा नहीं दी जायेगी।

४. अल्लाह की संरक्षिता का अनुभव और मोमिन के दिल की चेतावनी :

क़ुरआन में बहुत सी आयतें इसकी स्पष्टता करती हैं कि अल्लाह तआला बन्दों को देख रहा है वह जहाँ कहीं भी रहें, वह उनके कर्मों एवं नियतों को जानता है, उनके कर्मों एवं कथनों की गणना कर रखा है, फ़रिश्ते उनके साथ रहते हैं, खुले-छुपे हर काम को लिखते हैं, अल्लाह तआला उनके हर काम एवं कथन का निकट ही में हिसाब करेगा, उन्हें कष्टदायक यातना से

---

[1] यहाँ तक कि हलाल जानवरों के ज़ब्ह के समय भी भलाई का लिहाज रखने का आदेश है, अल्लाह के रसूल ﷺ ने चाक़ू तेज़ करने तथा जानवर को आराम पहुँचाने का आदेश दिया है, जब्ह के लिए आप ने कंठ और ख़ून की रगों को काटने का आदेश दिया ताकि ख़ून निकल जाये, ऊँट का नहर किया जायेगा यानी गर्दन के निचले भाग में घोंपा जायेगा, बिजली के झटके (Electrick Shock) के द्वारा या सिर पर मार कर ख़त्म करना इस्लाम में मना है, उसका खाना जायेज़ नहीं है।

धमकाया है यदि वह अल्लाह की अवज्ञा करें, उसका विरोध करें. यह चीजें मोमिनों को पापों से बचाने का मुख्य कारण माना जाता है, वह अल्लाह के भय से विरोधों एवं अपराधों से बचे रहते हैं।

जो अल्लाह से भय न खाये और पाप करता रहे उसके लिए भी अल्लाह ने सीमा बाँध दिया है जिससे वह इस संसार में पापों से बचा रहता है, इससे तात्पर्य नेक कामों का आदेश और बुराई से रोकना है जिसका अल्लाह ने मुसलमानों को आदेश दे रखा है, हर मुसलमान यह अनुभव करता है कि यदि कोई दूसरा भी गलती करे तो अल्लाह के निकट उसकी पूछ-ताछ होगी, यहाँ तक कि वह कम से कम ज़ुबान ही से उसे रोक दे, यदि हाथ से न रोक सके, तथा अल्लाह ने शासक और ख़लीफ़ा को आदेश दिया है कि बुराई करने वालों पर अल्लाह के निश्चित किये हुए दंडों को लागू करें, क़ुरआन एवं हदीस में इसका विवरण मौजूद है, इसकी अनुकूलता से समाज में न्याय एवं सम्पन्नता का दौर दौरा होता है।

५. सामाजिक एवं सामूहिक सहयोग :

अल्लाह ने मुसलमानों को आपस में आँतरिक सहयोग का आदेश दिया है जिसकी चर्चा सदक़ात एवं ज़कात के अध्याय में की जा चुकी है, अल्लाह ने मुसलमानों पर किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा देना हराम कर रखा है, यहाँ तक कि मार्ग में कोई कष्टदायक चीज़ हो तो अल्लाह ने मुसलमानों को उसको

हटाने का आदेश दिया है चाहे उस कष्टदायक चीज़ का कारण कोई भी हो, इस काम पर सवाब (पुण्य) का वादा किया गया है जिस प्रकार दुखदायी का कारण बनने वालों को यातना से डराया गया है।

मुसलमान पर यह अनिवार्य है कि वह अपने भाई के लिए वही चीज पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द करता है तथा उसके लिए वही चीज़ नापसन्द करे जो अपने लिए नापसन्द करता है।

अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

तथा आपस में नेकी एवं संयमता में सहयोग करते रहो बुराई एवं अत्याचार में सहयोग न करो। (सूरह मायेदः-२)

और एक स्थान पर फ़रमाया :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

निःसंदेह मोमिन आपस में भाई हैं, इसलिए तुम दो भाईयों के बीच सुधार किया करो। (सूरह हुजरात:१०)

और फ़रमाया :

﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

अधिक काना फूसियों में कोई भलाई नहीं है, हाँ (भलाई यह है कि) सदक़ा का या किसी नेक काम का या लोगों में सुधार का आदेश दे, जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करेगा हम उसे महा प्रतिकार से सम्मानित करेंगे। (सूरह निसा:११४)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

"कोई व्यक्ति उस समय तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही चीज़ न चाहे जो अपने लिए चाहता है।" (मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपने महान संबोधन में जो जीवन के अंतिम समय में "हज्जतुल विदाअ" के अवसर पर किया था, फ़रमाया :

"ऐ लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे पिता एक हैं, जान लो किसी अरबी को किसी ग़ैर अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और गोरे को काले पर कोई प्रधानता नहीं है सिवाय तक़वा (संयमता) के। क्या मैंने तुमको पहुँचा दिया ? सहाबा ने कहा हाँ ऐ अल्लाह के रसूल आप ने पहुँचा दिया, और आप ने कहा: तुम्हारी जानें, तुम्हारी

सम्पत्ति और तुम्हारी इज्जतें ऐसे ही हराम हैं जैसे कि इस दिन, इस महीना एवं इस शहर की हुरमत (प्रतिष्ठा) है। क्या मैंने तुम्हें पहुँचा दिया ? सहावा ने कहा, हाँ ! फिर आप ने अपनी ऊँगली को आकाश की ओर उठाया और कहा ऐ अल्लाह तू गवाह रह ।"[1]

६. देश सम्बन्धी राजनीतिक :

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को आदेश दिया कि अपने आप पर किसी इमाम को नियुक्त करें तथा शासन के लिए उस का आज्ञा पालन करें, यह भी आदेश दिया कि मिल-जुलकर रहें, टुकड़ियों में विभाजित न हों, एक उम्मत बन कर रहें, लोगों को अल्लाह ने आदेश दिया कि वह अपने शासक एवं सरदारों की आज्ञा पालन करें, इस पर कि वह अल्लाह की अवज्ञा का आदेश न दें, अल्लाह की अवज्ञा में किसी मानव की आज्ञा पालन नहीं की जायेगी।

अल्लाह ने उस मुसलमान को जो किसी ऐसे देश में हो जहाँ वह अपने दीन (धर्म) को जाहिर नहीं कर सकता हो, उसका निमंत्रण नहीं दे सकता हो वहाँ से उसे इस्लामी देश की ओर हिजरत (प्रवास) करने का आदेश दिया है, इससे तात्पर्य ऐसे देश हैं जहाँ सारे मामलात में इस्लामी शास्त्र की पाबन्दी की जाती है, तथा मुसलमान शासक अल्लाह के आदेशों के अनुसार हुक्म देता हो।

---

[1] यह महान एवं व्यापक संबोधन हदीस की विभिन्न किताबों में लिखित है।

❋ इस्लाम राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं वंशीय सीमाबन्दी को स्वीकार नहीं करता, मुसलमान की राष्ट्रीयता केवल इस्लाम है, बन्दे अल्लाह के बन्दे हैं, पृथ्वी अल्लाह की ज़मीन है जिसमें मुसलमान किसी आपत्ति के बिना चल फिर सकता है शर्त केवल यह है कि वह अल्लाह की शरीअत का पाबन्द रहे, यदि किसी मामला में विरोध करे तो उस पर अल्लाह का आदेश लागू होगा, अल्लाह ने जो दंड निर्धारित कर दिया है उसको लागू करने में ही अमन व शाँति है, लोगों का सुधार है, प्राणों, सम्पत्तियों एवं प्रतिष्ठाओं की रक्षा है, इसमें नितान्त कल्याण एवं भलाई है ज़बकि इसको छोड़ने में हानि एवं क्षति है।

❋ अल्लाह ने नशा वाली चीज़ों को हराम करके बुद्धि को सुरक्षित किया है, शराब पीने वालों की सज़ा चालीस से अस्सी कोड़ों तक निश्चित कर रखा है, इसमें उसके लिए चेतावनी, उसकी बुद्धि की सुरक्षा और लोगों को उसकी हानि से सुरक्षित रखना है।

❋ मुसलमानों के ख़ून की रक्षा, ख़ून का बदला ख़ून इस्लामी शास्त्र के द्वारा जायेज़ किया गया है, हत्यारे को हत्या की जायेगी, घाव में भी प्रतिहिंसा को इस्लामी शास्त्र के अनुसार अनुकूल किया गया है, इसी प्रकार मुसलमान को अपने नफ़्स, अपनी इज़्ज़त और सम्पत्ति की ओर से रक्षा करने की आज्ञा दी गई है, अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

ऐ बुद्धिमानों तुम्हारे लिए प्रतिहिंसा (क़िसास) में जीवन है ताकि तुम संयमी (मुत्तक़ी) बन जाओ। (सूरह बक़रा:१७९)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"जो अपने प्राण की रक्षा में हत्या हो जाये वह शहीद है, जो अपने घर वालों की रक्षा में हत्या हो जाये वह शहीद है, जो अपनी सम्पत्ति की रक्षा में हत्या हो जाये वह शहीद है।"

※ अल्लाह ने मुसलमानों की इज़्ज़तों की भी सुरक्षा प्रदान की है, मुसलमान के पीछे ऐसी बात से मना फ़रमाया जो उसको पसन्द न हो, उस व्यक्ति पर धार्मिक दंड निश्चित किया जो किसी मुसलमान पर अपराधिक या नैतिक आरोप लगाता है, जैसे बलात्कार का आरोप, बाल मैथुन (लिवातत) आदि। किन्तु वह उसको धार्मिक स्तर पर सिद्ध करे।

※ अल्लाह ने उस मेल-मिलाप से परिवारों को सुरक्षित किया है जो शास्त्र के अनुकूल न हो, हरामकारी (ज़िना) को कठोरता से हराम ठहरा कर अल्लाह ने इज़्ज़तों की भी रक्षा की है, यदि हरामकारी करने वालों में दण्ड की शर्तें पूरी हों तो उस पर कठोर दंड निश्चित किया है।

※ अल्लाह ने चोरी, धोखा, जुआ, रिश्वत और दूसरा हराम

कमाईयों को हराम ठहरा कर सम्पत्तियों की भी रक्षा की है, चोर और डाकुओं पर अल्लाह ने कठोर दंड निश्चित किया है, चोर का हाथ काटा जायेगा और यदि चोरी साबित हो तथा दूसरे नियम पूरे न हों तो केवल दंड दिया जायेगा।

इन दंडों को निश्चित करने वाला अल्लाह तआला जानने वाला और हिकमत वाला है, वह अधिक जानता है कि बन्दों की हालत कैसे सही होगी, वह उन पर सबसे अधिक दया करने वाला भी है, मुसलमान अपराधियों के लिए अल्लाह ने इन दंडों को 'कफ़्फ़ारा' बनाया है, जिसके द्वारा इस्लामी समाज की सुरक्षा का उद्देश्य है, जो लोग हत्यारे की हत्या और चोर के हाथ काटे जाने पर आपत्तियाँ व्यक्त करते हैं वास्तव में उनकी आपत्ति शरीर के एक ऐसे बीमार अंग के काटने पर है कि यदि न काटा जाये तो पूरे समाज में उसकी बीमारी फैल सकती है जबकि यह आपत्ति करने वाले अपने अत्याचारी स्वार्थों के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या को अच्छा समझते हैं।

७. बाहरी राजनीतिक :

अल्लाह ने मुसलमानों को एवं शासकों को यह आदेश दिया है कि वह ग़ैर मुस्लिमों को इस्लाम का निमंत्रण दें ताकि वह कुफ्र के अंधकार से निकल कर अल्लाह पर ईमान ला सकें, इस संसार की प्राकृतिक आवश्यकताओं में डूबकर तथा जो निर्दयता में हैं उससे निकलकर अध्यात्म (रूहानी) सुख-चैन की ओर आयें, जिससे मुसलमान लाभांवित हो रहे हैं, अल्लाह ने मुसलमान को

आदेश दिया कि वह एक नेक और अच्छा इंसान बनकर सारे इंसानों को लाभ पहुँचाये, सारी मनुष्यता की मुक्ति के प्रयास में लगा रहे। इसके विपरीत इंसानों के नियम उससे केवल यह चाहते हैं कि वह एक अच्छा नागरिक बनकर रहे, यह स्वयं उसकी कमी एवं फ़साद का तर्क है और इस्लाम की वास्तविकता एवं उत्तमता का उज्जवल उदाहरण है।

अल्लाह ने मुसलमानों को आदेश दिया कि वह अल्लाह के शत्रुओं के लिए जिस प्रकार हो सके तैयारी करें, ताकि वह इस्लाम और मुसलमान की रक्षा कर सकें तथा स्वयं को और अल्लाह के शत्रुओं को भयभीत कर सकें, अल्लाह ने आवश्यकता अनुसार ग़ैर मुस्लिमों के साथ समझौता करने की भी आज्ञा दी है, मुसलमानों पर प्रतिज्ञा को तोड़ना हराम ठहराया है, हाँ यदि शत्रु ने प्रतिज्ञा तोड़ने में पहल की तो फिर उनके लिए भी प्रतिज्ञा भंग करना उचित है।

मुसलमानों पर आवश्यक है कि वह ग़ैर मुस्लिमों से युद्ध करने से पहले उन्हें इस्लाम का निमंत्रण दें, यदि न मानें तो कर एवं अल्लाह के आदेश की अधीनता स्वीकार करने का अभियाचन किया जायेगा, यदि इसे भी न मानें तो युद्ध की जायेगी ताकि कोई उपद्रव बाक़ी न रहे तथा सारा धर्म अल्लाह ही के लिए हो, युद्ध के बीच अल्लाह ने बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और वैरागियों की हत्या करने से मना किया है परन्तु यह कि इन में से कोई युद्ध करने वालों को कथनी एवं करनी के द्वारा सहायता करे, अल्लाह

ने क़ैदियों के साथ शिष्ट व्यवहार का आदेश दिया है, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम में युद्ध अधिकार के लिए नहीं बल्कि सत्य को फैलाने, बन्दों पर दया करने और लोगों को किसी मनुष्य की उपासना करने से हटा कर केवल अल्लाह की उपासना की ओर ले जाने के लिए है।

८. आज़ादी

अक़ीदा (विश्वास) की आज़ादी :

अल्लाह ने इस्लाम में ग़ैर मुस्लिमों को अक़ीदा की आज़ादी दे रखी है, जो उसके आदेश के अधीन हों उसे इस्लाम समझाया जायेगा, उसे स्वीकार करने के लिए निमंत्रण भी दिया जायेगा, यदि इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसमें उसकी भलाई एवं मुक्ति है, और यदि अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहे तो उसने अपने लिए कुफ़्र एवं दुर्भाग्य तथा यातना को अपनाया, उस पर वाद-विवाद होगा, अल्लाह के पास इसके लिए कोई बहाना नहीं होगा, तब मुसलमान उसके विश्वास (अक़ीदा) पर उसको छोड़ देंगे शर्त यह है कि वह अपमानित होकर कर देगा, इस्लामी आदेशों की अधीनता स्वीकार करे, मुसलमानों के सामने अधर्मियों वाला आचरण अपनाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

इस्लाम में प्रवेश करने के बाद मुसलमान को दोबारा अधर्मी बनने की आज्ञा नहीं है, यदि धर्म भ्रष्ट कर ले तो उसका दंड हत्या है, इसलिए कि वह सत्य को जानने के बाद सत्य को

छोड़ने के कारण जीवित रहने के योग्य नहीं रह गया सिवाय इसके कि तौबा कर ले तथा इस्लाम की ओर दोबारा लौट जाये, यदि उसका धर्म भ्रष्ट इस्लाम को तोड़ने वाली किसी चीज़ के करने के कारण हो तो वह उस से तौबा करेगा और मुक्ति चाहेगा ।

इस्लाम को तोड़ने वाली यानी इस्लाम की सीमा से बाहर करने वाली चीज़ें

१ : अल्लाह के साथ शिर्क करना। अर्थात बन्दा अल्लाह के साथ किसी और को भी पूजित बनाये, वह अपने और अल्लाह के बीच माध्यम बनाकर उसे पुकारे, उससे दुआ करे, तथा उससे निकटता प्राप्त करने का प्रयास करे तब भी वह शिर्क है, वह अल्लाह और उपासना का अर्थ समझकर पूज्यता को स्वीकार करे जैसाकि मक्का के मुश्रिकीन करते थे कि नेक लोगों की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते थे ताकि वह उन के लिए अभिस्ताव करेंगे, या उनकी पूज्यता की स्वीकृति न करे और इस बात को न माने कि वह अल्लाह के साथ किसी और को पूजित बनाया है और यह समझे कि उनकी उपासना वास्तव में अल्लाह ही की उपासना है, जैसाकि उन मुश्रिकीन का दावा है जो इस्लाम से अपने आप को सम्बन्धित करते हैं, वह यह समझते हैं कि शिर्क केवल मूर्ति को सजदा करने का नाम है, या बन्दा किसी और चीज़ को अल्लाह के अतिरिक्त कहे कि मेरा पूजित है केवल यही शिर्क है।

उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कई लोग शराब पीते हैं किन्तु उसका नाम दूसरा रखते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○ ألا لِلَّـهِ الدِّيـنُ الْخَالِصُ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

ऐ (नबी) आप अल्लाह ही की उपासना करते रहिये दीन (धर्म) को उसके लिए ख़ालिस करते हुए, सुन लीजिए कि भक्ति केवल अल्लाह ही के लिए ख़ालिस है, तथा जिन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त दूसरों को अपना बिगड़ी बनाने वाला बना लिया (वह कहते हैं) हम उन्हें इसलिए नहीं पूजते हैं (कि वह अल्लाह हैं) बल्कि इसलिए पूजते हैं कि वह हमें अल्लाह से निकट करवा दें, नि:संदेह यह लोग जिन बातों में विरोध कर रहे हैं अल्लाह (महा प्रलय के दिन) उनका न्याय कर देगा, नि:संदेह जो झूठा नाशुकरा है अल्लाह उसका निर्देश नहीं करते हैं। (सूरह ज़ुमर: २,३)

अल्लाह का कथन है :

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ O إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

वही अल्लाह तुम्हारा रब है तथा उसी का शासन है और जिनको तुम उसके अतिरिक्त पुकारते हो उन्हें गुठली के छिलके के बराबर भी सामर्थ्य नहीं है, यदि तुम उनको

पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, और यह मान लो कि जो सुन भी लें तो तुम्हारा काम नहीं कर सकते और महाप्रलय के दिन वह तुम्हारे शिर्क का इंकार करेंगे और आप को जानकार (अल्लाह) जैसा कौन सूचनायें कर सकते हैं। (सूरह फ़ातिर:१३,१४)

२. मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ार को काफ़िर नहीं ठहराना : जैसे यहूद व नसारा एवं मुलहिदीन (धर्म भ्रष्ट) मजूस (अग्नि पूजक) और ऐसे अवज्ञाकारी लोग जो क़ुरआन एवं हदीस से हट कर न्याय करते हैं, अल्लाह के आदेश से प्रसन्न नहीं होते, जिसने ऐसे लोगों पर कुफ़्र का फ़तवा नहीं लगाया यद्यपि उसको ज्ञान है कि अल्लाह ने उनको काफ़िर ठहरा दिया है तो वह कुफ़्र का करने वाला होगा।

३. जादू जिसमें बड़े शिर्क का वजूद हो, या उसके करने वालों को कुफ़्र का ज्ञान होने के बावजूद उससे प्रसन्न रहे तो ऐसा व्यक्ति कुफ़्र का करने वाला होगा।

४. इस्लाम से हटकर किसी व्यवस्था या शास्त्र को अच्छा समझना या नबी के आदेश के अतिरिक्त किसी और के आदेश को अच्छा समझना, या अल्लाह के आदेश से हटकर न्याय करने को उचित समझना।

५. अल्लाह के रसूल ﷺ से वैर एवं दुश्मनी रखना या किसी ऐसी चीज़ से वैर रखना जिसका इस्लाम में जायेज़ होना मालूम हो।

६. इस्लाम धर्म की किसी चीज़ का मज़ाक़ उड़ाना और ठठोल करना।

७. इस्लाम की प्रगति से अप्रसन्न होना या इस्लाम के पतन से प्रसन्न होना।

८. कुफ़्फ़ार से प्रेम एवं सहायता के द्वारा मित्रता रखना जबकि उसे मालूम हो कि उनसे मित्रता रखने वाला उन्हीं में से माना जायेगा।

९. यह विश्वास रखना कि रसूल ﷺ के धर्म विधान से निकास उचित है, हाँलाकि उसे मालूम है कि धर्म विधान की किसी भी चीज़ से निकलना उचित नहीं है।

१०. इस्लाम धर्म से विमुखता, सदुपदेश के बाद भी कोई इस्लाम धर्म से मुँह मोड़ता है न उसको सीखता है और न उसको व्यवहार में लाता है तो ऐसा व्यक्ति कुफ्र करने वालों में से होगा।

११. इस्लाम धर्म के किसी निर्विवाद आदेश का इंकार करना, जबकि वह आदेश उससे गुप्त नहीं रह सकता।

(ख) विचार-विमर्श की आज़ादी :

अल्लाह ने विचार-विमर्श की आजादी दे रखी है इस शर्त के साथ कि वह इस्लामी शिक्षा से नहीं टकराती हो, मुसलमान को उसने आदेश दिया कि वह हरेक के सामने सत्य बात बोले, वह अल्लाह के मामला में किसी का भय न करे, इसको भी सर्वश्रेष्ठ जिहाद क़रार दिया है, उसने उन्हें आदेश दिया कि वह मुसलमान

शासकों को भी सदुपदेश दिया करें, उन्हें इस्लाम के विरोध से बचने का उपदेश दें, जो किसी झूठी-बात का निमंत्रण दे तो उसका विरोध करे तथा उसे रोके, विचार-विमर्श के सम्मान का यह सबसे अच्छा तरीक़ा है, धर्म विधान विरोधी किसी विचार की आज्ञा नहीं दी जायेगी, इसलिए कि उसमें उपद्रव है सत्य से युद्ध है और विनाश है।

(ग) व्यक्तिगत आज़ादी :

व्यक्तिगत आज़ादी को इस्लामी शास्त्र ने पवित्रता के लिए सीमाबद्ध करना उचित ठहराया है, हरेक मानव को पुरूष हो कि महिला उन्हें अपने कार्यों में अधिकार की आज़ादी दी गई है जैसे व्यापार, क्रय-विक्रय, दान, उपहार, क्षमा देना आदि। हरेक महिला एवं पुरूष को अपना जीवनसाथी चुनने की आज्ञा है, जिसे वह पसन्द नहीं करते हों उससे विवाह पर विवश नहीं किया जायेगा, यदि महिला ने अपने धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के मानने वाले पुरूष को अपनाया तो उससे विवाह की आज्ञा नहीं दी जायेगी, इसमें उसके विश्वास एवं प्रतिष्ठा की रक्षा का उद्देश्य है, और इसमें उसकी और उसके परिवार वालों की अच्छाई भी है।

महिला का अभिभावक (यानी ऐसा पुरूष जो परिवार में सबसे अधिक निकट हो या उसका प्रतिनिधि) वही उसके विवाह की ज़िम्मेदारी अदा करेगा, महिला स्वयं अपना विवाह नहीं कर सकती क्योंकि इस प्रकार का कार्य व्याभिचारिणी (ज़ानिया)

महिलायें करती हैं, अभिभावक महिला के पति से यह कहेगा : मैंने फलाँ महिला को तुम्हारे निकाह में दिया, पति उत्तर देगा मैंने इस विवाह को स्वीकार किया, निकाह के समय दो गवाह भी होंगे।

इस्लाम मुसलमानों को धर्म विधान से अलग होने की आज्ञा नहीं देता बल्कि सीमा में रहकर व्यवहार करने का आदेश देता है इसलिए कि इंसान एवं उसकी अधीन में जो चीज़ें हैं वह सब वास्तव में अल्लाह की सम्पत्ति है, इसलिए उसका व्यय धर्म विधान के अनुसार होना चाहिए। अल्लाह ने बंदों पर दया एवं कृपा के चलते यह सीमायें निर्धारित किया है, जिसने उसको थाम लिया उसमें उसका सौभाग्य और अनुदेश है, जिसने विरोध किया उसमें उसकी दुर्भागिता और विनाश है, इसीलिए अल्लाह ने व्याभिचार (जिना) एवं बाल मैथुन (लिवातत) को प्रबलता के साथ हराम किया है, मुसलमान पर आत्महत्या को हराम ठहराया है क्योंकि आत्म हत्या करना अल्लाह के भेंट को ठुकराना है इसलिए इस के प्रति कठोरता बरता है। इसी प्रकार मोंछ काटने, नाख़ून तराशने, नाफ़ के नीचे का बाल साफ़ करने, बग़ल के बाल को उखाड़ना और ख़तना करने का आदेश दिया है।

अल्लाह के शत्रुओं की समानता करना भी अल्लाह ने मुसलमानों पर हराम किया है, ऐसी चीज़ों में समानता न करें जो उनकी विशेषतायें हों, इसलिए कि ज़ाहिरी चीज़ों में उनकी समानता हृदय में उनके लिए प्रेम एवं सम्मान की भावना को उत्पन्न करता है, अल्लाह तआला मुसलमानों से यह चाहता है कि वह सही

इस्लामी विचार धारा वाला हो, इंसानी सोंच-विचार का संगठन नहीं हो, अल्लाह तआला मुसलमान से चाहता है कि वह एक अच्छा आदर्श व्यक्ति हो न कि किसी दूसरे के अधीन हो।

इस्लाम दस्तकारी एवं कला और अन्य कलाओं को सीखने का आदेश देता है, चाहे उसका आविष्कारक कोई ग़ैर मुस्लिम ही क्यों न हो क्योंकि असल ज्ञान सीखाने वाला अल्लाह तआला है। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

हम ने इंसान को सिखाया जबकि वह कुछ नहीं जानता था। (सूरह अलक़:५)

यह सदुपदेश एवं सुधार का उच्च श्रेणी है कि अल्लाह ने इंसान को विचार-विमर्श की आज़ादी और पूरी छूट दे रखी है और उसे अपने दुष्कृत्य एवं दूसरों के दुष्कृत्य से भी सुरक्षित रखा है।

(घ) निवास की आज़ादी :

अल्लाह ने मुसलमान को निवास की भी पूरी आजादी दी है, किसी के लिए यह जायेज़ नहीं है कि बिना आज्ञा के उसके घर में प्रवेश करे यहाँ तक कि उसकी आज्ञा के बिना अंदर झाँकना भी जायेज़ नहीं है।

(ङ) जीविका की आज़ादी :

अल्लाह ने इस्लामी धर्म-विधान की सीमाओं में रहकर जीविका अर्जित करने और व्यय करने की आज्ञा दी है, उसे काम करने

एवं कमाने का आदेश दिया है ताकि अपने और अपने परिवार वालों का पालन-पोषण कर सके, नेक कामों में व्यय कर सके, ग़लत तरीक़ा से कमाई को अल्लाह ने हराम ठहरा दिया है जैसे सूद, जुआ, रिश्वत, चोरी और शगुन अर्थात भविष्य की बात बताकर उसके द्वारा ली गई मज़दूरी, जादू, व्यभिचार (ज़िना) और बाल मैथुन (लिवातत) आदि से प्राप्त किया गया माल एवं हराम चीज़ों के मूल्यों को भी हराम ठहरा दिया है जैसे जीवधारियों के चित्रों का मूल्य, शराब, सूअर, गाने-बजाने का सामान, नाचने और गाने की मज़दूरी आदि सब हराम हैं, इन साधनों से कमाना भी हराम है, और इसमें ख़र्च करना भी हराम है। मुसलमान के लिए जायेज़ नहीं है कि वह जो धर्म विधान के अनुकूल हो उन चीज़ों पर व्यय करे, यह धर्मोपदेश एवं सदुपदेश का उच्च स्थान है कि इंसान की कमाई एवं व्यय में पथ प्रदर्शन किया गया है ताकि हलाल कमाई के द्वारा सम्पन्नता एवं निस्पृहता के साथ जीवन निर्वाह करे।

(च) पारिवारिक व्यवस्था :

अल्लाह ने घरेलू व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत ही सही कप्रकार से पथ प्रदर्शन किया है, जो उसे स्वीकार करे वह भाग्यशाली हो जाते हैं, माता-पिता के साथ अच्छे बरताव का आदेश दिया, उनसे अच्छी बात करे, यदि दूर हो तो बराबर उनसे मिलता रहे, उनकी सेवा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उन पर व्यय करे, यदि वह गरीब हों तो उनके रहने-सहने की व्यवस्था करे, जिसने उनकी देख-रेख नहीं की उन्हें यातना की धमकी दी

गई है और जो उनसे अच्छा बरताव करे उनकी सम्पन्नता की ज़मानत दी गई है। विवाह को अनुकूल माना गया है क्योंकि उसमें बहुत से लाभ हैं जिसका विवरण क़ुरआन एवं हदीस में विस्तार के साथ मौजूद है, जैसे :

१. विवाह से सतीत्व एवं गुप्तांग की रक्षा होती है, व्याभिचार (ज़िना) से बचा रहता है और दृष्टियाँ हराम से सुरक्षित रहती है।

२. पति-पत्नी को संतोष एवं सुख प्राप्त होता है, इसलिए कि अल्लाह ने आपस में प्रेम एवं दया रख दिया है।

३. विवाह के द्वारा धार्मिक एवं पवित्र तरीक़ा से मुसलमानों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है।

४. विवाह के द्वारा पति-पत्नी एक-दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं।

इसलिए कि दोनों अपने-अपने प्राकृतिक स्वभाव से उचित ज़िम्मेदारी को निभाने में लगे रहते हैं, पुरूष घर से बाहर काम करता है रूपया पैसा अर्जित करता है ताकि पत्नी एवं बच्चों पर व्यय कर सके, महिला घर में काम करती है, वह गर्भवती होती है, बच्चा को दूध पिलाती है, बच्चों को प्रशिक्षण देती है, पुरूष के लिए खाने-पीने एवं सोने की व्यवस्था करती है, वह जब थका हारा घर में प्रवेश करता है तो पत्नी एवं बच्चों में घुल मिल कर अपनी थकन एवं परेशानी को भूल जाता है, सब मिल जुल कर भोग-विलास एवं आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं, यदि आपसी सहमती से महिला कुछ काम करके अपने लिए कुछ

अर्जित करना चाहे या उससे पति की सहायता करना चाहे तो यह जायेज़ है, किन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा काम करे जिसमें किसी दूसरे के साथ मेल-जोल न हो, जैसे अपने घर में या अपने खेत में, या पति के खेत में, ऐसा काम जिसमें पुरूष का पुरूषों के साथ सम्पर्क हो जैसे कोई फैक्ट्री हो, कार्यालय हो या व्यापार का स्थान हो तो ऐसा काम जायेज़ नहीं है, न महिला उसको करे और न पुरूष और परिवार वालों को अनुमति है कि वह उसे आज्ञा दें, इसमें उसकी और समाज की ख़राबी है और उपद्रव का भय है, महिला जब तक घर में सुरक्षित है पुरूषों से दूर है तो अत्याचारी हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ते, तथा उपद्रवी एवं अपभोगी दृष्टियाँ उसकी ओर नहीं उठतीं, यदि वह लोगों में निकल पड़े तो अपनें आप नष्ट हो जायेगी, भेड़ियों में बकरी की तरह हो जायेगी, कुछ समय के बाद ही यह दुश्चरित्र उसकी सुशीलता के दामन को दाग़-दाग़ कर डालेंगे।

यदि पुरूष को एक महिला से ज़रूरत पूरी न हो तो अल्लाह ने उसके लिए चार पत्नियों तक रखने की आज्ञा दी है, शर्त यह है कि वह खाने-पीने और रहने-सहने में चारों के साथ न्याय करे, हृदय से प्रेम में न्याय आवश्यक नहीं क्योंकि वह इंसान के बस से बाहर की चीज़ है, इसका वर्णन अल्लाह तआला ने अपनी किताब क़ुरआन में किया है और कहा है कि इसमें तुम न्याय नहीं कर सकते :

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾

अर्थात तुम से यह हो ही नहीं सकता कि तुम पत्नियों के बीच (पूरा-पूरा) न्याय करो चाहे उसकी (कैसी ही) इच्छा रखते हो। (सूरह निसा:१२९)

इस हार्दिक प्रेम में न्याय नहीं कर सकना एक से अधिक विवाह के लिए बाधक नहीं है इसलिए कि यह शक्ति से बाहर की चीज़ है, अल्लाह ने अपने रसूलों के लिए और जो संसारिक चीज़ों में न्याय कर सकता है उसके लिए एक से अधिक विवाह की आज्ञा है, अल्लाह तआला इंसानों की बुद्धियों से अवगत है, इसमें पुरूषों और महिलाओं की भलाई है, इसलिए कि स्वस्थ पुरूष में काम वेग की शक्ति इतनी होती है कि वह चार पत्नियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और यदि एक ही पत्नी पर संतोष करे जैसाकि नसारा का हाल है,[1] या कुछ अधर्मी लोगों की प्रयास है तो उससे निम्नलिखित बुराईयाँ उत्पन्न होने की शंका है :

१. यदि मोमिन हो, अल्लाह के अधीन हो तो जीवन में कुछ कमी महसूस करेगा और अपनी हलाल इच्छा को भी दबाना पड़ेगा, इसलिए कि एक पत्नी हो तो गर्भ के अंतिम महीनों में, निफ़ास (प्रसव रक्त) में, हैज (मासिक धर्म) में, उसके रोग में पति की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, यह उस अवस्था में जबकि दोनों एक-दूसरे से प्रेम रखते हों, और यदि आपस में प्रेम न हो तो समस्या बहुत ही हानिकारक भी हो जाती है।

---

[1] ईसा अलैहिस्सलाम ने एक समय में कई पत्नियों को रखने से मना नहीं किया इसको नसारा ने अपनी लालसा की पैरवी के चलते हराम क़रार दिया।

२. यदि पुरूष अल्लाह का अवज्ञाकारी एवं अपभोग हो तो वह हरामकारी एवं जिनाकारी में लिप्त हो जाता है तथा अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अधिकतर लोग जो पत्नी की बहुलता को नाजायेज़ समझते हैं हरामकारी में लिप्त हो जाते हैं, यदि वह पत्नियों की बहुलता का विरोध करे तो वह काफ़िर माना जायेगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे जायेज़ कर दिया है, इसका ज्ञान होने के बाद भी वह इसका विरोध कर रहा है।

३. यदि एक से अधिक विवाह से रोक दिया जाये तो बहुत सी महिलायें विवाह एवं संतान से वंचित रह जायेंगी, नेक एवं पवित्र महिला निराशा एवं परेशानी में बिना विवाह के जीवन व्यतीत कर देगी, यदि वह नेक न हो तो व्याभिचारिणी (जानिया) बन कर जीवन व्यतीत करेगी तथा अपराधी उसकी इज़्ज़त एवं सतीत्व से खेलते रहेंगे, यह मालूम है कि महिलायें पुरूषों से अधिक संख्या में पायी जाती हैं क्योंकि पुरूष महिलाओं की तुलना में मृत्यु के उपकरणों से अधिक निकट होते हैं, युद्धों एवं भयंकर कामों में वह भाग लेता है, तथा महिला युवावस्था के बाद ही विवाह के योग्य हो जाती है जबकि बहुत सारे पुरूष इसके लिए तैयार नहीं होते, बहुत से पुरूष महर अदा करने की क्षमता नहीं रखते या विवाहित जीवन के व्यय को सहन करने की शक्ति नहीं जुटा पाते, इससे पता चलता है कि इस्लाम ने महिला के साथ न्याय भी किया और उस पर दया भी की है, जो लोग पत्नियों की अधिकता के विषय में बाधा डालते हैं या उसका विरोध करते

हैं वह वास्तव में महिला की श्रेष्ठता के और नबियों के शत्रुओं में से हैं, अधिक विवाह करना नबियों की सुन्नत है, वह अल्लाह के निश्चित की हुई सीमाओं में रहकर कई विवाह करते थे।

दूसरे विवाह के कारण पहली पत्नी का स्वाभिमानी होना या दुखी हो जाना एक भावनात्मक मामला है, परन्तु भावना को इस्लामी विधान के मामला में आदेश नहीं बनाया जायेगा, हाँ विवाह से पहले महिला चाहे तो यह शर्त रख सकती है कि पुरूष दूसरा विवाह न करे, यदि पुरूष शर्त मान ले तो उस पर शर्त की अदायेगी आवश्यक है, यदि वह शर्त नहीं निभाये तो महिला को उसके साथ रहने या निकाह तोड़ने की आज़ादी है, पुरूष महिला को दी हुई चीज वापस नहीं लेगा।

अल्लाह ने तलाक़ को जायेज़ ठहराया है, विशेषत: उस अवस्था में जब कि पति-पत्नी में झगड़ा हो, या आपस में प्रेम न हो, ताकि वह कष्ट की हालत में जीवन व्यतीत न करें, बल्कि हर कोई अपने लिए उचित रिश्ता खोज ले, जिससे वह बचा जीवन प्रसन्न एवं आनन्द के साथ निर्वाह कर सके, और परलोक में भी प्रसन्न रह सके, यदि दोनों की मृत्यु इस्लाम पर हुई हो।[1]

---

[1] नेक मुस्लिम महिलायें लेखा-जोखा के बाद जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगी तो अल्लाह उन्हें यह अधिकार देगा कि वह मुसलमान जन्नतियों में से जिससे चाहें विवाह कर लें, मुसलमान महिला ने यदि एक से अधिक विवाह किया था तो वह अपने प्रिय व्यक्ति को अपनायेगी यदि वह जन्नती हुआ तो।

(छ) स्वास्थ्य की सुरक्षा :

इस्लामी विधान के आदेश उपचार के नियमों के अनुसार हैं, क़ुरआन और हदीस में बहुत सारी शारीरिक एवं मनो विज्ञानिक रोगों की चर्चा है और उसका आध्यात्मिक एवं भौतिक उपचार का भी वर्णन है, अल्लाह तआला फ़रमाते है :

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

तथा क़ुरआन में हम ऐसी चीजें उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए रोग निवारक हैं। (सूरह इस्रा:८२)

मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया :

"ما انزل الله من داء الا انزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل"

"अल्लाह ने कोई रोग नहीं पैदा किया किन्तु उसकी दवा भी पैदा कर दी जो जान सकता था जान लिया और जो न जान सका नहीं जाना।"

आप ﷺ ने फ़रमाया :

"تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام"

"ऐ अल्लाह के बन्दो दवा का प्रयोग करो किन्तु किसी हराम चीज़ को दवा के तौर पर प्रयोग न करो।"

इमाम इब्ने क़य्यम ने अपनी किताब "ज़ादुल मआद फ़ी हदये ख़ैरिल इबाद" में इस की चर्चा विस्तार के साथ किया है उसकी ओर प्रवृत्ति की जाये वह सबसे अधिक लाभकारी और सही एवं ठोस किताब है जिसमें इसलाम की व्याख्या और अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ की जीवनी का बयान है।

(ज) व्यापार, कला, कृषि एवं धन :

व्यापार, कला, कृषि एवं धन इनके अतिरिक्त जिन चीज़ों की मानवीय जीवन में आवश्यकता होती है जैसे खाना, पानी, आम आवश्यकतायें, शहरों एवं गाँवों का संगठन, उसकी सफ़ाई, उसके मार्गों की मरम्मत, झूठ एवं अपभोग की रोक-थाम आदि। इन सारी चीज़ों से सम्बन्धित इस्लाम में पूर्ण विवरण मौजूद है।

(झ) छुपे हुए शत्रुओं का बयान और उनसे मुक्ति पाने का तरीक़ा :

अल्लाह ने क़ुरआन में बयान कर दिया है कि मुसलमानों का शत्रु भी है जो लोक एवं परलोक में बरबादी की ओर उसे ढकेलता है, यदि वह उनकी बात माने और उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, उनसे बचने का तरीक़ा भी बयान किया जिसका विवरण निम्नलिखित में दिया जा रहा है।

पहला धिक्कृत शैतान :

शैतान जो दूसरे शत्रुओं को भी मुसलमान के विरूद्ध भड़काता है, वह हमारे पिता आदम और माता हव्वा का शत्रु है, जिन्हें जन्नत

से निकाला, वह आदम की संतान का महा प्रलय तक स्थायी शत्रु है, सदैव जान तोड़ प्रयास में लगा रहता है कि उन्हें कुफ्र में फँसा दे ताकि उसके साथ सदैव के लिए जहन्नम में रहे। अल्लाह की पनाह। जिसे कुफ्र में ग्रस्त नहीं कर सकता उसे बुराईयों में फँसाने का प्रयास करता रहता है ताकि वह अल्लाह की यातना एवं प्रकोप का पात्र माना जाये।

शैतान इंसान के शरीर में रक्त की तरह चक्कर काटता रहता है, उसके दिल में भ्रम डालता रहता है, बुराई को ख़ूब सजा-सँवार कर पेश करता है ताकि लोग उसमें ग्रस्त हो जायें, इससे बचने का वही एक साधन है जो अल्लाह तआला ने बयान किया है कि मुसलमान को जब ग़ुस्सा आये या पाप का निश्चय करे तो :

"اعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

"अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम" कहे, न अपने ग़ुस्सा पर अमल करे और न बुराई को करे, बल्कि इसका ज्ञान रखे कि दिल में बुराई का विचार शैतान की ओर से है ताकि उसे बध में डाल दे और फिर अपनी मुक्ति का प्रकटन करे जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

निःसंदेह शैतान तुम्हारा शत्रु है, तुम उसे अपना शत्रु बनाये

रखो, वह अपने गिरोह को केवल इसलिए बुलाता है कि वह नर्क वालों में हो जाये। (सूरह फ़ातिर:६)

दूसरा शत्रु :

नफ्स की इच्छायें हैं जैसे कभी-कभार इंसान हृदय में सत्य को इंकार करने की इच्छा का अनुभव करता है, यदि कोई दूसरा सत्य बात पेश करे तो उसको रद्द करता है, अल्लाह के आदेश को रद्द करने और इंकार करने का मनोभाव पाता है इसलिए कि वह इसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, सत्य एवं न्याय पर अपने मनोभाव को प्रमुख करना भी नफ़्स की इच्छाओं का भाग है, इससे मुक्ति का तरीक़ा यह है कि बन्दा अल्लाह की पनाह की याचना करे, नफ़्स की इच्छाओं को न माने बल्कि सत्य कहे और उसी को माने चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो, तथा शैतान से अल्लाह की पनाह चाहे।

तीसरा शत्रु :

नफ़्से अम्मारा है जो बुराई की ओर रूचि दिलाये जैसाकि कभी-कभार इंसान अपने आप में हरामकारी की इच्छा पाता है, जैसे शराब पीना, ज़िना तथा बिना आपत्ति के रमज़ान के रोज़े छोड़ना आदि। जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है। उससे बचने का तरीक़ा यह है कि बन्दा अपने नफ़्स और शैतान के दुष्कृत्य से अल्लाह की पनाह चाहे और यह हराम इच्छा को करने से बचा रहे, अल्लाह की आज्ञा की ख़ातिर उसे छोड़ दे जैसाकि मनपसन्द खाने और पीने को छोड़ देता है जब पता चले कि इसमें उसकी

क्षति है, इस चीज को बुद्धि में रखे कि यह हराम लालसा शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाली है, इसके बाद लम्बा पश्चाताप एवं पछतावा ही हिस्सा में आयेगा।

चौथा शैतान :

इसांनी शैतान है, वह पापी इंसान है जिस पर शैतान ने अपना दाव चला दिया है, स्वयं बुराई करते हैं और लोगों के सामने उसकी अच्छाई बयान करते हैं, इससे बचने का उपाय यह है कि उससे दूर रहें उसके साथ न बैठें एवं उससे बचे रहें।

रोचक जीवन और उच्च उद्देश्य :

उच्च उद्देश्य जिसकी ओर अल्लाह ने मुसलमान बन्दों को ध्यान दिलाया, यह विनाश होंने वाली दुनिया और जीवन की रंगीनियाँ नहीं बल्कि वास्तविक एवं सदैव रहने वाले भविष्य काल की तैयारी है यानी मृत्यु के के बाद परलोक का जीवन है, इसलिए सच्चा मुसलमान इस दुनिया में कर्मों को करने में लगा रहता है इसलिए कि यह परलोक के जीवन का साधन है और उसकी खेती है, स्वयं यह लक्ष्य नहीं है।

अल्लाह तआला के इस कथन को याद कीजिए :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

मैंने इंसानों और जिन्नों को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया है। (सूरह ज़ारियात:५६)

अल्लाह का कथन है :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ O وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ﴾

ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और हर व्यक्ति यह देख ले कि उसने कल यानी क़ियामत के लिए क्या सामान आगे भेजा है, अल्लाह का भय करो, अल्लाह तुम्हारे सब कामों से परिचित है उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वह अपने आप को भूल गये, यही लोग अवज्ञाकारी हैं। (सूरह हश्र:१८,१९)

अल्लाह तआला का कथन है :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه O وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾

अर्थात जो कण बराबर भी नेकी करेगा उसे देख लेगा और जो कण बराबर भी बुराई करेगा उसे देख लेगा। (सूरह ज़लज़ाल:७,८)

मुसलमान इन महान आयतों को और इस जैसी दूसरी आयतों को सदैव अपनी बुद्धि में रखता है, जो उसे उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य से अवगत कराता है, तथा उसके भविष्य काल की अनुस्मारण

कराता है जिसके कारण वह वास्तविक एवं सदैव रहने वाली भविष्य काल की तैयारी में लगा रहता है।

वह अल्लाह की उपासना इख़लास के साथ करता है और उसकी प्रसन्नता के कामों में लीन रहता है इस आशा के साथ कि इस दुनिया में उसे इज़्ज़त एवं प्रतिष्ठा तथा मृत्यु के बाद स्वर्ग नसीब होगा, अल्लाह तआला उसे इस दुनिया में रोचक एवं सुखप्रद जीवन से सम्मानित करता है, इसलिए वह अल्लाह की संरक्षिता में उसकी निकटता एवं सुरक्षा में रहता है, अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह की उपासना करता रहता है, अल्लाह से दुआ के आनन्द में लगा रहता है, तथा अपनी ज़ुबान एवं हृदय से अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है, जिससे उसके दिल को संतोष प्राप्त होता है।

अपने कथनी एवं करनी के माध्यम से लोगों के साथ उपकार करता है, सज्जन लोग उसके उपकार की स्वीकृति देते हैं उसके लिए दुआ करते हैं जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, डाह करने वालों और नीच लोगों से उपकार का बदला प्रमाद मिलता है किन्तु वह अपने अच्छे बरताव से अलग नहीं होता है, इसलिए कि वह अपने व्यवहार के माध्यम से अल्लाह की प्रसन्नता और पुण्य चाहता है, धर्म और धर्म वालों का हँसी मज़ाक उड़ाने वाले लुच्चों को देखकर वह रसूलों को याद करता है और इस पर विश्वास रखता है कि यह कठिनाईयाँ अल्लाह के वास्ते हैं। अतः इस्लाम के लिए उसका प्रेम और दृढ़ होता है, कार्यालय में, खेती-

बाड़ी में, व्यापार में या फैक्ट्री में कहीं भी कार्य करता है तो उसका उद्देश्य इस्लाम और मुसलमानों को लाभ पहुँचाना होता है ताकि अल्लाह से मिलने के दिन उस की नेक नीयती एवं नि:स्वार्थता का प्रतिकार मिल सके, और हलाल कमाई उपलब्ध हो सके जिसे वह अपने आप पर अपने परिवार वालों पर व्यय कर सके और अल्लाह के मार्गों में सदक़ा एवं ख़ैरात कर सके यूँ वह निर्लोभिता, सज्जनता एवं संतोष के साथ प्रतिकार की आशा में जीवन निर्वाह करता है, इसलिए कि अल्लाह तआला शिष्ट एवं शक्तिशील मोमिन से प्रेम रखते हैं ताकि अल्लाह की आज्ञाकारिता की शक्ति प्राप्त हो सके। पत्नी से मिलता भी है ताकि अपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सके, तथा ऐसी संतान जन्म ले जो अल्लाह की उपासना करे, जीवन में मृत्यु के बाद उसके लिए दुआ करे, यूँ उसका नेक कर्म जारी रहता है, हर नेमत पर वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तथा उसको अल्लाह की आज्ञाकारिता में प्रयोग करता है, इस बात को भी स्वीकार करता है कि हर नेमत केवल अल्लाह तआला की ओर से उपलब्ध हैं, इस बात पर भी विश्वास रखता है कि उसे कभी-कभार भूख, भय, रोग एवं कष्ट होता है तो वह सब अल्लाह की ओर से जाँच है, अल्लाह तआला बन्दा के धैर्य एवं भाग्य से संतुष्ट देखना चाहता है हालाँकि उसे उसका ज्ञान है ![1]

---

[1] अल्लाह तआला बंदों को आदेश देता है और रोकता है, हालाँकि वह जानता है कि कौन उसकी आज्ञा का पालन करेगा और कौन नहीं

संतोष करता है, प्रसन्न रहता है और हर अवस्था में अल्लाह की प्रशंसा करता है, पुण्य की आशा के साथ जो अल्लाह ने संतोष करने वालों के लिए तैयार कर रखा है, यूँ कष्ट उसके लिए सरल हो ज़ाता है, वह कष्ट को ऐसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे रोगी दवा की कड़वाहट को रोग निवारण के लिए सहन कर लेता है।

यदि मुस्लिम इस उच्च मनोभाव के साथ जीवन निर्वाह करे और सदैव रहने वाले भविष्य काल के लिए कर्म करता रहे तो इस प्रकार सौभाग्य से आलिंगित होगा जो कभी न समाप्त होगी, न इस दुनिया की कड़वाहट उसे निःस्वाद करेगी और न मृत्यु ही इस सौभाग्य को समाप्त कर सकेगी, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली होता है, इस दुनिया में भी सौभागी होगा और परलोक के जीवन में भी।

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُـهَا لِلَّذِيـنَ لا يُرِيـدُونَ عُلُـوًّا فِـي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

यह परलोक का घर हम उन लोगों को देंगे जो दुनिया में

करेगा। किन्तु अल्लाह अपने ज्ञान का प्रकटन चाहता है ताकि बन्दा को उसके कर्मों का प्रतिकार मिल सके, और दुराचारी व्यक्ति यह न कह सके कि मेरे रब ने मुझ पर अत्याचार किया, ऐसे गुनाह पर दंड दिया जो मैंने नहीं किया, अल्लाह फ़रमाते हैं जिसका अनुवाद है :

"तथा आप का रब बंदों पर कण भर भी अत्याचार करने वाला नहीं है।" (सूरह फ़ुस्सेलत-४६)

बड़ाई और फ़साद करना नहीं चाहते तथा उन्हीं का परिणाम भला होगा जो संयमी हैं। (सूरह क़सस:८३)

अल्लाह तआला ने सच कहा :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

पुरूष हो या महिला जो कोई ईमान के साथ नेक काम करे तो हम उसे दुनिया में पवित्र जीवन प्रदान करेंगे, तथा उन लोगों को हम महा प्रलय में अवश्य उनके अच्छे कामों का बदला देंगे। (सूरह नहल:९७)

उपरोक्त आयत और इस प्रकार की दूसरी आयतों में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि अल्लाह तआला नेक पुरूष और महिला को जो अल्लाह की ख़ातिर नेक कामों को करते हैं उन्हें इस दुनिया ही में अच्छा प्रतिकार प्रदान कर देते हैं, और वह वैभवशाली अच्छा जीवन है जिस की हम ने पहले चर्चा की है, इसके अतिरिक्त मृत्यु के बाद भी अच्छा प्रतिकार है और वह स्वर्ग का सुख-चैन है, इसी संबन्ध में अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया :

"عجبا للمؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سرآء شكر فكان خيراً له وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً له"

"आश्चर्य है मोमिन के हाल पर कि उस का सारा मामला

ख़ैर (भलाई) ही का है, प्रसन्नता प्राप्त हुई तो वह अल्लाह का अभारी होता है जो उसके लिए उपकार है और यदि कोई कष्ट हो तो धैर्य के साथ सहन करता है जो उसके लिए उपकार है।"

इससे स्पष्ट होता है कि केवल इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसमें कल्याण एवं उपकार है, अच्छे बुरे की कसौटी है और पूर्णतः न्यायिक व्यवस्था है, नफ़्स का ज्ञान, प्रशिक्षण, राजनीतिक, अर्थ व्यवस्था एवं संगठन आदि के ज्ञान को विचाराधीन एवं दृष्टिगत रख कर इस्लाम के प्रकाश में शुद्धि करनी चाहिए।

मानवता के सारे ज्ञान और व्यवस्थाओं का इस्लाम के प्रकाश में संशोधन होना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए, यह असंभव है कि उसके विरोध में किसी प्रकार की सफलता की संभावना हो, बल्कि उसमें तो बिल्कुल लोक-परलोक की दुर्भाग्यता ही है।

अध्याय – ५

कुछ शंकाओं का निवारण

प्रथम : वह लोग जो इस्लाम पर धब्बा लगाते हैं उनकी दो क़िस्में हैं :

पहली क़िस्म : ऐसे लोग जो अपने आप को उसकी ओर संबन्धित करते हैं और अपने को मुसलमान होने का दावा करते हैं किन्तु वह अपने कथनों एवं कर्मों के द्वारा इस्लाम का विरोध करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जैसे लगता है कि इस्लाम से कोई नाता ही नहीं है, वह इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं है, अतः उनके कार्यों को इस्लाम की ओर सम्बन्धित करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों की सूची निम्नलिखित में दी जा रही है।

१. अक़ीदा से भटके हुए लोग :

जो क़ब्रों का तवाफ़ करते हैं क़ब्रों से अपनी आवश्यकतायें माँगते हैं, उनसे लाभ एवं हानि का विश्वास बनाये रखते हैं।

२. असभ्य, धर्म से आज़ाद लोग :

अल्लाह के आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं बल्कि उसको छोड़ते हैं और हराम कामों में व्यस्त रहते हैं जैसे शराब, हरामकारी आदि में लिप्त रहते हैं, अल्लाह के शत्रुओं से प्रेम रखते हैं और उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करते हैं।

३. इस्लाम पर धब्बा लगाने वाले लोग :

कुछ मुसलमान भी ऐसे होते हैं जो इस्लाम पर भद्दा धब्बा लगाते हैं। जिन का ईमान कमज़ोर होता है तथा इस्लामी शिक्षा पर अमल करने में आलस्य करते हैं, अनिवार्यता में आलस्य करते हैं किन्तु उसको छोड़ते नहीं, कुछ हराम चीज़ों को करते हैं जो शिर्क एवं कुफ्र की सीमा तक नहीं पहुँचती, बहुत से बुरे स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम उससे मुक्त है, बल्कि उसे बड़े गुनाहों में शुमार करता है, जैसे झूठ, धोखा वादा ख़िलाफ़ी और डाह आदि। ऐसे लोग इस्लाम की बदनामी का कारण बनते हैं यही कारण है कि इस्लाम से अपरिचित ग़ैर मुस्लिम समझते हैं कि इस्लाम इन चीज़ों की आज्ञा देता है।

दूसरी क़िस्म :

वह लोग हैं जो इस्लाम के शत्रु हैं उनसे कीना एवं वैर रखते हैं जैसे मुस्तशरिक़ीन (वह फिरंगी जो मशरिकी ज़ुबानों एवं ज्ञानों का माहिर समझा जाता हो), ईसाई मिश्नरी, यहूद और उनके मानने वाले हैं, इस्लाम की विशेषता, उत्तम मार्गदर्शन और उसकी पूर्ण व्यवस्था से उन्हें चिढ़ है, यह प्राकृतिक धर्म होने के कारण तेज़ी से फैलता है तथा लोग उसे आसानी से स्वीकार करते हैं।[1] हर

---

[1] अंतिम नबी हज़रत मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया : हर बच्चा प्रकृति के अनुसार जन्म लेता है फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बनाते हैं, इस सही हदीस में मुहम्मद ﷺ ने सूचित किया है कि इंसान इस्लामी स्वभाव पर जन्म लेता है, अपने स्वभाव के कारण

ग़ैर मुस्लिम व्याकुलता और अपने धर्म से विमुखता में अपना समय गुज़ारते हैं इलसिए कि उसका अपनाया हुआ धर्म उस के स्वभाव का विरोध करता है, सच्चे मुसलमान के विपरीत जो अपने धर्म से प्रसन्न होकर वैभवशाली जीवन निर्वाह करता है इसलिए कि यही सत्य धर्म है जो अल्लाह ने उसके लिए अनुकूल किया है, उसका शास्त्र मानव स्वभाव के बिल्कुल योग्य है, हर यहूदी नसरानी एवं ग़ैर मुस्लिम से हम यह कहते हैं कि तेरी संतान ने इस्लामी स्वभाव पर जन्म लिया है किन्तु तुम ने और उनकी माता ने बुरे प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें इस्लाम से दूर कर दिया है।

इस्लाम के शत्रुओं ने जैसे ईसाई मिश्नरियों ने इस्लाम और अंतिम रसूल ﷺ पर बहुत से आरोप लगाये हैं।

१. कभी तो आप की रिसालत को झुठलाया।

२. कभी तो आप पर दोष लगाया हालांकि आप पूर्णत: दोष एवं खोट से पवित्र हैं।

३. कभी तो इस्लाम के न्यायिक आदेशों की सूरत बिगाड़ी ताकि लोग इससे घृणा करने लगें।

उस पर ईमान लाता है यदि उसे अधिकार की आज़ादी दी जाये तो वह इस्लाम को अपनायेगा किन्तु यहूदियत या नसरानियत या मजूसियत और अन्य धर्मों को इसलिए अपनाता है कि उस पर उसका प्रशिक्षण होता है।

परन्तु अल्लाह तआला उनकी चालों को मात करता है, वह सत्य से टकराते हैं जबकि सत्य अपने आप ऊपर उठता चला जाता है उठाया नहीं जाता। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

वह (काफ़िर) यह चाहते हैं कि अपने मुँह से अल्लाह के नूर को बुझा दें तथा अल्लाह तआला अपना नूर पूरा करके रहेगा चाहे काफ़िर बुरा मानें, वही अल्लाह है जिसने अपने दूत को निर्देश और सच्चा दीन (धर्म) देकर भेजा ताकि उसको सब धर्मों पर विजयी कर दे चाहे मुश्रिक बुरा मानें। (सूरह अस्सफ़:८,९)

द्वितीय : इस्लाम के आधार :

यदि आप इस्लाम को उसकी वास्तविक शक्ल में जानना चाहते हैं तो क़ुरआने अज़ीम और अल्लाह के रसूल ﷺ की सही अहादीस का अध्ययन कीजिए, जो सही बुख़ारी, सही मुस्लिम, मुअत्ता इमाम मालिक, मुसनद इमाम अहमद, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन इब्ने माजा और सुनन दारमी में लिखी हुई हैं तथा सीरत इब्ने हिशाम, तफ़सीर इब्ने कसीर और ज़ादुल मआद फ़ी हदये ख़ैरिल इबाद जैसी बड़े-बड़े आलिमों की किताबों का अध्ययन कीजिए, ऐसे लोग जो बुद्धिमत्ता (बसीरत) के साथ

तौहीद और निमंत्रण के ध्वजावाहक थे जैसे शैख़ुल इस्लाम अहमद बिन तैमिया तथा इमाम व मुजद्दिद मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब, अल्लाह ने मुवहहिदों के अमीर मुहम्मद बिन सऊद के द्वारा बारहवीं सदी हिजरी में अक़ीदये तौहीद और इस्लाम धर्म को अरब द्वीप में और दूसरे क्षेत्रों में विजयी करवाया, इससे पहले शिर्क फैला हुआ था।

यहूदी और ईसाई आलिमों की किताबें तथा ऐसे लोगों की किताबें जो इस्लाम की ओर तो सम्बन्ध स्थापित करते हैं किन्तु बहुत सी चीज़ों में वह इस्लाम से बहुत दूर हैं, सारे सहाबा किराम या कुछ सहाबा किराम की प्रतिष्ठाओं पर कटाक्ष करते हैं, या तौहीद के ध्वजावाहक इमामों को बुरा-भला कहते हैं, जैसे इमाम इब्ने तैमिया, इमाम इबने कैय्यम और मुहम्मद बिन अब्दुल वहाव आदि हैं इन पर अनेक प्रकार के दोष लगाते हैं, ऐसी किताबों से बचे रहें धोखे में न आयें।

तृतीय फ़िक़ही मज़ाहिब :

सारे मुसलमान एक ही मजहब पर हैं और वह इस्लाम है, इनका शरण स्थल क़ुरआन और अल्लाह के रसूल की अहादीसें हैं, रहे फ़िक़ही मज़ाहिब तो वह चार हैं। जैसे हम्बली, मालकी, शाफ़ई और हनफ़ी। इससे तात्पर्य फ़िक़ही मदारिस हैं, जिसमें इन आलिमों ने अपने शिष्यों को तैयार किया है तथा हर आलिम के शिष्यों ने क़वायेद व मसायेल को लिपिबद्ध किया जो उसने क़ुरआन और हदीस से लिया, यह मसायेल उनकी ओर संबन्धित

हुए और बाद में उस का मज़हब कहा जाने लगा, यह इस्लाम के नियमों और सूत्रों में आपस में सहमत हैं, इन का शरण स्थल क़ुरआन और हदीस हैं। आपस में जो विरोध है वह अद्‌भुत व्यवहारिक मसायेल में है, हर आलिम ने अपने शिष्यों को यही सुदपदेश दिया कि वही बात लें जो क़ुरआन और हदीस के अनुसार हो चाहे बात किसी की भी हो।

मुसलमान किसी एक मज़हब की आवश्यकता का पाबन्द नहीं है, वह तो केवल क़ुरआन और हदीस का पाबन्द है, उन मज़ाहिब की ओर संबन्ध रखने वाले बहुत से लोग बुरे अक़ीदा के शिकार हो जाते हैं जैसे क़ब्रों का तवाफ़ करना, उनसे सहायता माँगना, अल्लाह की विशेषताओं का कष्ट कल्पना करना और उसके प्रकटित अर्थ को न लेना आदि। ऐसे लोग अपने इमामों के अक़ीदा में विरोध करते हैं इसलिए कि इमामों का अक़ीदा सलफ़ सालेहीन का अक़ीदा था।

चतुर्थ इस्लाम से निष्कासित फ़िर्क़े :

इस्लामी दुनिया में इस्लाम से निष्कासित फ़िर्क़े भी पाये जाते हैं, उनका दावा है कि वह मुसलमान हैं और अपने आप को इस्लाम की ओर संबन्ध स्थापित करते हैं, वास्तव में वह मुसलमान नहीं हैं इसलिए कि उनका विश्वास कुफ़्रिया विश्वासों में है, अल्लाह का उसकी आयतों का, उसकी तौहीद का इंकार उनके विश्वास का आधार है।

आंतरिक फ़िर्क़ा :

जो हुलूल व तनासुख (आवा गमन, मृत्यु के बाद फिर से दूसरी शक्ल में जन्म लेना) का मानने वाला है, उसका विश्वास है कि धर्म के नुसूस (ऐसी बातें जिसका मानना आवश्यक हो) का एक प्रकटित अर्थ है जिसे अल्लाह के रसूल ﷺ ने बयान किया है जिस पर उम्मत का बहुमत है, तथा एक आंतरिक अर्थ है जो प्रकटित अर्थ के बिल्कुल विरुद्ध है तथा इस आंतिरक अर्थ की नियुक्ति वह अपने उद्देश्य के अनुसार करते हैं,[1] आंतरिक फ़िर्क़ा के अस्तित्व में आने का असल कारण यह है कि यहूद, मजूस और मुलहिद फ़लसफ़ियों को फ़ारस में जब इस्लाम ने नीचा किया तथा चारों ओर इस्लाम का झंडा लहराने लगा तो यह लोग इकट्ठा हुए, इस्लाम और मुसलमानों को क्षति पहुंचाने की योजना बनाई, क़ुरआन के अर्थ एवं भावार्थ से सम्बन्ध रखने वाले मुसलमानों के विचारों को उलट-पलट करने के लिए इस नीच एवं हानिकारक

---

[1] आंतरिक गिरोह की कई उपाधि हैं, उनके आपस में कई फ़िर्क़े हैं। वह भारत, शाम, ईरान, ईराक़ और बहुत से देशों में फैले हुए हैं। कई लोगों ने इसका विवरण दिया है। शहरिसितानी ने इसकी चर्चा अपनी पुस्तक "अलमिलल वल निहल" में की है, बाद में लोगों ने भी इनका बयान किया है तथा कुछ नये फ़िर्क़ों को भी इसमें सम्मिलित किया है, जैसे क़ादियानी और बहाई। जिन विद्वानों ने इन फ़िर्क़ों का स्पष्टीकरण किया है उसमें कुछ यह भी है : "मुहम्मद सईद कैलानी" ने अपनी पुस्तक 'जैलुल मिलल वल निहल' में, शेख़ अब्दुल क़ादिर शैबह अलहम्द, जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा के अध्यापक ने अपनी पुस्तक 'अल अदयान वल फ़िरक़ वल मजाहिब अल मुआसिरह' में इसके सम्बन्ध में लिखा है।

मज़हब की आधारशिला रखी, इसका निमंत्रण देने लगे, उनकी जमाअत से संबन्ध रखने का दावा करने लगे ताकि आसानी से लोगों को धोखा दे सकें, बहुत से नादान लोगों को अपने जाल में फँसाया एवं उन्हें सत्य से हटा दिया।

उन्हीं पथभ्रष्ट फ़िर्क़ों में से "क़ादयानी" भी है जिसका सम्बन्ध ग़ुलाम अहमद क़ादयानी की ओर है, उसने नबूवत का दावा किया और लोगों को उस पर ईमान लाने का निमंत्रण दिया, अंग्रेज़ों ने अपने शासन काल (जो उसने भारत पर क़ाबिज़ होकर उसको ग़ुलाम बना रखा था) में उसका प्रयोग किया और उसके मानने वालों को अधिक पुरस्कार से सम्मानित किया जिसके कारण बहुतों ने उसकी पैरवी करनी आरम्भ कर दी, इस प्रकार क़ादयानियत का अस्तित्व अमल में आया जो इस्लाम का दावा करती है हालाँकि वास्तव में वह इस्लाम को समाप्त करने के प्रयास में जुटी हुई है।

उस मनूह ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम "तस्दीक़े बराहीन अहमादिया" है जिसमें नबूअत का दावा किया, इस्लाम के नुसूस का उलट-फेर किया उन्हीं उलट फेरों में से कुछ निम्नलिखित में दिया जा रहा है।

इस्लाम में जिहाद रद हो चुका है, हर मुसलमान पर आवश्यक है कि वह अंग्रेज़ से मित्रता करे, उसी समय एक और पुस्तक लिखा जिसका नाम "त्रियाक़ुल क़ुलूब" है। बहुत से लोगों को गुमराह करने के बाद यह झूठा १९०८ ई॰ में मृत्यु पाया। उसके बाद

इस गुमराह फ़िर्क़ा का नेतृत्व और निमंत्रण की ज़िम्मेदारी उसके ख़लीफ़ा हकीम नूरद्दीन ने संभाली।

आंतरिक फ़िर्क़ों में "बहाई" फ़िर्क़ा भी है जिसका इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं है, ईरान में नवीं सदी इस्वी में इसकी आधारशिला एक व्यक्ति अली मुहम्मद ने रखी, कुछ ने इस का नाम मुहम्मद अली शिराज़ी बताया, वह शिया के इस्ना अशरी फ़िर्क़ा से सम्बन्ध रखता था, इनसे हट कर एक नये मज़हब की आधारशिला रखी, अपने संबन्ध में दावा किया कि वह "मेहदी मुंतज़िर" है, फिर दावा किया कि अल्लाह तआला उसके अन्दर प्रवेश कर गया है इसलिए वह स्वयं लोगों के लिए अल्लाह है, अल्लाह तआला ऐसे मुलहिद व काफ़िर की बातों से पवित्र एवं ऊँचा है, उसने लेखा-जोखा, मृत्यु के पश्चात जीचन, स्वर्ग-नरक का इंकार किया, ब्राह्मण और बुद्ध मत के तरीक़े को अपना लिया, यहूद व नसारा और मुसलमानों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहा कि आपस में कोई अंतर नहीं है, फिर अंतिम नबी मुहम्मद ﷺ की नबूवत का इंकार किया, बहुत से इस्लामी आदेशों का भी इंकार किया, इसके बाद उसका सहायक उसका मंत्री बना जिसने अपना नाम 'अलबहा' रखा तथा इस निमंत्रण को फैलाया, इसके मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी यह फ़िर्क़ा उसी की ओर संबन्धित किया गया और उसका नाम 'बहाईया' पड़ गया।

इस्लाम से निष्कासित फ़िर्क़ों में यद्यपि वह इस्लाम का दावा करते हैं, नमाज़, रोज़ा और हज अदा करते हैं, वह शिया का एक बड़ा

फ़िर्क़ा है जिसका यह दावा है कि जिब्रील ﷺ ने रिसालत को पहुँचाने में अपभोग किया, अल्लाह ने उन्हें अली ﷺ के पास भेजा था . किन्तु उन्होंने मुहम्मद ﷺ के पास पैग़ाम पहुँचा दिया, बल्कि कुछ कहते हैं कि अली ही अल्लाह हैं, उनकी, उनके संतान की, उनकी पत्नी फ़ातिमा एवं उनकी माता ख़दीजा रज़ि अल्लाहु अन्हुम के सम्मान में अतिश्योक्ति से से काम लेते हैं, बल्कि अल्लाह के साथ उन्हें भी पूजित बना रखा है, आवश्यकता के समय उन्हें पुकारते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि वह निर्दोष थे उनका पद अल्लाह के निकट रसूलों से भी ऊँचा है, उनका यह भी विश्वास है कि जो क़ुरआन आज कल मुसलमानों के पास है उसमें कमी और बढ़ोत्तरी हो चुकी है, अपने लिए उन्होंने एक विशेष क़ुरआन बना लिया, अपनी ओर से उसमें सूरे और आयतें बढ़ाई, नबी करीम ﷺ के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ अबू बकर ﷺ और उमर को यह लोग ग़ाली देते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आईशा रज़ि अल्लाहु अन्हा को भी ग़ाली देते हैं, अली ﷺ और उनकी संतान से अच्छे बुरे समय में सहायता माँगते हैं, अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारते हैं और उनकी उपासना करते हैं, अपने आप को शिया कहते हैं। (यानी अहले बैत की जमाअत) अली ﷺ और उनकी संतान इनसे बिल्कुल मुक्त हैं इसलिए कि इन्होंने उन्हें पूजित की श्रेणी में रख दिया, अल्लाह पर झूठ गढ़ा और अल्लाह के कलाम में हेरा-फेरी की, अल्लाह तआला उच्च है इन सारी बातों से जो यह कह रहे हैं।

यह कुछ काफ़िर फ़िर्क़े हैं जिनका हम ने वर्णन किया है इसके

अतिरिक्त और भी काफ़िर फ़िर्क़े हैं जो इस्लाम को बरबाद करने में लगे हुए हैं, ऐ बुद्धिमान और ऐ मुसलमान जहाँ कहीं भी रहो उनसे सतर्क रहो, इस्लाम केवल दावा का नाम नहीं है बल्कि क़ुरआन और हदीस को जानने और उसके अनुसार व्यवहार करने का नाम है, क़ुरआन और हदीस में ग़ौर कीजिए। इसमें आप निर्देश (हिदायत) प्रकाश और सीधा मार्ग पायेंगे, ऐसा सीधा मार्ग जिस पर चलने वाला स्वर्ग में पहुँच कर उपकार एवं कल्याण से आलिंगित होगा।

मुक्ति का निमंत्रण

ऐ बुद्धिमान इंसान चाहे पुरूष हो या महिला जो अभी इस्लाम के प्रकाश से अनभिज्ञ है यह निमंत्रण तुझे दे रहा हूँ जिसमें मुक्ति है और कल्याण है।

* अपने आप को अल्लाह की यातना से बचा लो जो मृत्यु के पश्चात क़ब्र में होगा फिर नरक की आग में होगा।

* अल्लाह पर ईमान लाकर अपने आप को बचा लो, नबी पर ईमान लाकर कि वह रसूल हैं और इस्लाम को सत्य धर्म स्वीकार कर के और सच्चे दिल से यह कहो :

  "ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पाँच नमाज़ें अदा करो, अपने धन की ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो तथा अल्लाह के घर का हज करो यदि उसकी शक्ति रखते हो।

* अल्लाह की आज्ञाकारी का एलान करो इसके बिना न कोई उपकार एवं कल्याण है और न कोई मुक्ति।

* मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अल्लाह की क़सम खाता हूँ कि उसके अतिरिक्त कोई और पूजित नहीं, इस्लाम ही सत्य धर्म है अल्लाह तआला किसी से इस धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म स्वीकार करने वाला नहीं है, मैं अल्लाह को फ़रिश्तों को और सारे मानव जाति को गवाह बनाता हूँ कि अल्लाह के

अतिरिक्त कोई सत्य पूजित नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं तथा इस्लाम ही सत्य धर्म है और मैं मुसलमान हूँ।

मैं अल्लाह की दानशीलता एवं उपकार के माध्यम से सवाल करता हूँ कि वह मुझे, मेरी संतान और सारे मुसलमान भाईयों को सच्चे मुसलमान की दशा में मृत्यु दे तथा हमें स्वर्ग में हमारे सच्चे न्यायधारी नबी मुहम्मद ﷺ और सारे अंबिया तथा हमारे नबी के घर वाले और सहाबा की संगति से सम्मानित करे।

अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस पुस्तक से हर सुनने एवं पढ़ने वाले को लाभ पहुँचे, जान लीजिए कि मैं ने बात पहुँचा दी, ऐ अल्लाह तू इसका गवाह रह।

"والله اعلم ، وصلى الله على نبينا محمد و أله و صحبه"

विषय सूची

अध्याय - ३

अध्याय - ४

अध्याय - ५

مطبعة النرجس التجارية
NARJIS PRINTING PRESS
تلفون : ٢٣١٦٦٥٣ / ٢٣١٦٦٥٤
فاكس : ٢٣١٦٨٦٦ الرياض